ISSN No: 2454-1516

Special Issue January-2016, Vol-1 No-4

Shodh Darpan

An International Research Journal

A Quarterly International Research Journal

Peer Reviewed Journal

Indexed with Google Scholar, SJIF, JIF

SPECIAL ISSUE PART-II

Proceedings of

International Seminar on

Emerging skill development trends in the field of Sciences, Social Sciences & Education

15 TO 17 JANUARY 2016

KNOWLEDGE PARTNERS

BASTAR UNIVERSITY

JILA PRASHASAN

SPONSORED BY

CHHATTISGARH COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Special Issue January-2016, Vol-1 No-4 ISSN No- 2454-1516

SHODH DARPAN

SPECIAL ISSUE PART-II

Proceedings of

International Seminar on Emerging skill development trends in the field of Sciences, Social Sciences & Education

15 TO 17 JANUARY 2016

A Quarterly International Research Journal

Patron

Rev. Dr. Paul T. J.
Principal

Convener

Dr. Anita Nair
Research & Publication Cell

Editor-in-Chief

Dr. Ashim Ranjan Sarkar
HOD, Dept. of CS & IT
Christ College, Jagdalpur, Dt. Bastar (C.G.)

Co Editor-in-Chief

Mrs. Siji Jestus John
Asst. Prof, Dept. of CS & IT,
Christ College, Jagdalpur, Dt. Bastar (C.G.)

Website: www.christcollegejagdalpur.in/shodhdarpan.html
Email : 1. shodhdarpan@christcollegejagdalpur.in

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
Dr. RAMAN SINGH
CHIEF MINISTER

Do. No. 253 Hcm/JS/2015
DATE 20/01/2016

महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर, छत्तीसगढ़–492002
Mahanadi Bhwan, Mantralaya
Naya Raipur, Chhattisgarh

MESSAGE

It is heartening to know that Christ College, Jagdalpur is going to organize an International Seminar on January 15-17th 2016. The theme of the Seminar is ‘***Emerging Skill Development Trends in the field of Science, Social Sciences and Education***' .

I believe that the deliberations of the Seminar would go a long way in determining the role of advancement and innovation in this field. I wish the event and the souvenir a grand success.

(Dr. Raman Singh)

Shodh Darpan (Special Issue) Part-II, January-2016, Vol-1, No-4 , ISSN No- 2454-1516

केदार कश्यप
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग
अल्पसंख्यक कल्याण एवं स्कूल शिक्षा विभाग

अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. ....

निवास : सी-3, फॉरेस्ट कॉलोनी, राजातालाब
रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (निवास) 0771-2331032, 2331033 (F)
(कार्यालय) 0771-2510906, 2221106

रायपुर, दिनांक ....

शुभकामनाएं...

महाविद्यालय के सद्‌प्रयासों से प्रथम **'अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी'** आयोजन की सूचना से हर्षित हुआ।

प्रसन्नता है, कि संगोष्ठी का विषय **"Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Sciencs and Education"** सामयिक एवं राज्य की हमारी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है। मैं आशान्वित हूँ, कि संगोष्ठी के निष्कर्ष, शोधपत्रों की प्रस्तुतियां, राज्य के हमारे कौशल उन्नयन कार्यक्रम को गुणक्तायुक्त एवं परिणाम मूलक बनाने में हमें समर्थन एवं सहायता प्रदान करेंगे।

संगोष्ठी में सहभागिता कर रहे समस्त प्रतिभागियों का छत्तीसगढ़ एवं बस्तर क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है।

मेरी कामना है, कि संगोष्ठी में विचार-विमर्श, चिंतन एवं शोध प्रस्तुतियों की दिशा लोकहितकारी हों। मेरी अपेक्षा है, कि संगोष्ठी के महत्वपूर्ण विषय एवं श्रेष्ठ परिणाम अर्जित करने के यत्नों के, व्यापक प्रचार-प्रसार की समुचित व्यवस्था अवश्य की जाय।

पुनः क्राईस्ट महाविद्यालय के सद्‌प्रयासों हेतु बधाई एवं साधुवाद! कार्यक्रम की सफलता एवं **'शोध दर्पण'** के सफल प्रकाशन हेतु मंगलकामनाएं.....

(केदार कश्यप)

प्रति,
प्राचार्य
क्राईस्ट महाविद्यालय
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

संतोष बाफना
विधायक, जगदलपुर वि.क्षे. 86
सचेतक, भाजपा विधायक दल, छ.ग.

निवास : सदर स्कूल के सामने,
सुभाष वार्ड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07782) 222111

क्रमांक/ Q /विधायक/2016 जगदलपुर, दिनांक 11/01/2016

संदेश

मै यह जानकार अभिभूत हूँ कि नगर के अग्रणी क्राईस्ट महाविद्यालय के द्वारा " Emerging Skill Development Trends in the Field of Science, Social Science and Education" विषय पर दिनांक 15 जनवरी से 17 जनवरी 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से बस्तर के विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा शोधार्थियों के शोध कार्यों को शोध पत्रिका एवं पुस्तक के रूप मे प्रकाशित किया जा रहा है। शोध पत्रिका के प्रकाशन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की प्रतिभाओं को पहचान मिल सकेगी।

संगोष्ठी एवं शोध पत्रिका के प्रकाशन की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.......

संतोष बाफना

डॉ. शिवकुमार पाण्डेय
कुलपति

Dr. S.K.Pandey
Vice-chancellor

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), भारत
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.), INDIA
Office : +91-771-2262857, Fax : +91-771-2263439
E-mail : vc_raipur@prsu.org.in
Website : www.prsu.ac.in

स्वर्ण जयंती वर्ष Golden Jubilee Year 2013-14

Raipur, Dated: December 14, 2015

MESSAGE

I am happy to learn that Christ College, Jagdalpur is conducting an International Seminar on "**Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Sciences and Education**" from January 15-17, 2016.

I wish all the success to the participants and the stakeholders of the above. May Bastar which is known as "A Sleeping Giant", wake up and spread its rays all over the World.

(Dr. S.K. Pandey)

Fr. Dr. Paul Joseph
Principal
Christ College, Jagdalpur
Dist. Bastar (Chhattisgarh)

BASTAR VISHWAVIDYALAYA

Jagdalpur, Distt.-Bastar (C.G., India) 494005

Professor N.D.R. Chandra
Vice-Chancellor

Phone (O.)	:	07782-229239
(R.)	:	07782-229256
Fax	:	07782-229226
E-mail	:	chandra592001@yahoo.com
Cell no.	:	09425590001

S.No. 1776./BVV/2015

Jagdalpur, Date 12/01/2016

MESSAGE

It is a matter of immense pleasure to know that Christ College Jagdalpur is going to conduct one day International Conference on *"Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Sciences and Education,"* on January 15-17th, 2016 sponsored by CHHATTISGARH COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY , RAIPUR.

Skill is valuable for our livelihood, survival and existence. It works better when it is coupled with experience, knowledge or wisdom. It is the test of man, moment and environment. It ensures the participation of a large number of eminent thinkers, teachers, researchers, educationists and students on this joyful occasion. It will have a meaningful impact on the partakers and would also be an important contribution in the direction of development of Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Sciences and Education. I am quite confident that the scholars will come out with valuable suggestions and recommendations which will be good for the nation and the people.

I wish that the discussion, deliberation and discourse on the given topic of the Conference would cover a wide range of sub-topics and themes that are relevant to teaching, research extension & Evaluation. It will also come out with concrete recommendations to improve and enhance the quality of Higher Education. I wish all the best to all the participants and guests, dignitaries and delegates in their personal and professional endeavours. I do hope grand success for the International Conference and I also visualize great future for the college.

(Professor N.D.R. Chandra)
Vice-Chancellor
Bastar University, Jagdalpur
(Chhattisgarh)

दिलीप वासनीकर
आई.ए.एस.
कमिश्नर

दूरभाष : कार्या. : 07782 - 231190
निवास : 07782 - 228119
फैक्स : 07782 - 231490
E-mail : com.bastar@gmail.com

कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग,
जगदलपुर
दिनांक 13. 1. 2016

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत हर्ष है कि प्रदेश तथा बस्तर संभाग के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर के द्वारा दिनांक 15 से 17 जनवरी 2016 तक **An Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Science and Education** विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका "शोध दर्पण" के विशेष अंक में संगोष्ठी में शामिल हो रहे शोधार्थियों के शोध कार्यों का संकलन तथा लेख को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जावेगा, जिसका लाभ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मिलेगा।

संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु मेरी तथा प्रशासन की ओर से हार्दिक सुभकामनाएँ।

भवदीय
13.1.2016
(दिलीप वासनीकर)

प्रति,

प्राचार्य,
क्राईस्ट महाविद्यालय,
जगदलपुर, जिला-बस्तर,(छ0ग0)

राजेन्द्र झा
जिला शिक्षा अधिकारी,
जगदलपुर, जिला–बस्तर(छ.ग.), भारत

संदेश

यह जानकार मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर के प्रयास से An Emerging Skill Development Trends in the Field of Sciences, Social Sciencs and Education विषय पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन तक किया जा रहा है ।

इसके साथ ही यह भी गौरव का विषय है कि इस संगोष्ठी के शोध पत्रों के संकलन को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका ''शोध दर्पण'' के विशेष अंक में प्रकाशन किया जा रहा है । इसके अलावा इस संगोष्ठी में आए विद्वानों के लेख को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

आशा है कि इस तरह के प्रयासों का समाज एवं छात्र–छात्राओं के बौद्धिक अभिरूचि को बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान होगा ।

संगोष्ठी के सफल आयोजन तथा शोध–पत्र एवं पुस्तक के प्रकाशन पर महाविद्यालय परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

राजेन्द्र झा
Distt. Edu. Officer
Jagdalpur (C.G.)

प्रति

प्राचार्य
क्राईस्ट महाविद्यालय,
जगदलपुर,
जिला–बस्तर (छ.ग.)

Editors

- Dr. Mrs. Hansa Shukla, Principal, Sw. Shri Swaroopanand Saraswati Mahavidyalaya, Bhilai, C.G.
- Dr. Aruna Pillay, Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Mr. Sushil Kumar Sahu, Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Mr. Abhishek Shukla, Researcher, IBM, New Orchard Rd Armonk, NY
- Mrs. Anushka Banerjee, Sr. Manager, IBM, New Orchard Rd Armonk, NY
- Dr. Swapan Kumar Koley, Associate Professor, Bastar University, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Arvind Agrawal, Academic Staff College, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, C.G.
- Mr. Abdul Samad, Researcher, Allahabad, U.P.
- Mr. T. Gu, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia
- Dr. P.K.Dewangan, HOD, Physics, Govt. NPG College, Raipur. C.G.
- Dr. Sharad Nema, SOS, HOD, Forestry, Bastar University, Jagdalpur
- Mr. M.K.Biswas, Retired Chief Manager(NFL), Palta, New Barrackpore, West Bengal
- Dr. Vinod Kumar Pathak, Associate Prof, Govt. P.G.College, Dhamtari, C.G.
- Dr. Anita Nair, Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Kaushilya Sahu, Asst. Prof , M.V.P.G.College, Mahasamund, C.G.
- Mr. Nurul Haque, Astt. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Anand Murti Mishra, SOS, Asst. Prof., Anthropology, Bastar University, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Vinod Kumar Soni, SOS, Asst. Prof, Forestry, Bastar University, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Rosamma Jacob,Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur,C.G.
- Mr. Sohan Kumar Mishra, Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Vijay Lakshmi Bajpai, Asst. Prof, Christ College, Jagdalpur, C.G.
- Dr. Jessie Jose, Asst. Prof, Dept of Education, Christ College, Jagdalpur , C.G.
- Mr. B.N.Sinha, Asst. Prof, Govt. K.P.G.College, Jagdalpur
- Ms. Nadia Ahad, Rani Durgawati University, Jabalpur. M.P.
- Dr. Arvind Agrawal, HRDC, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
- Mr. Tuneer Khelkar, Asst. Prof, Govt. K.P.G.College, Jagdalpur

SDIS-002

Teacher competency vs. Competence based Education

शिक्षकीयदक्षता – दक्षताआधारित शिक्षा

डॉ. कौशल किशोर मिश्र

महारानी चिकित्सालय, जगदलपुर, बस्तर

संक्षेपिका

स्वातंत्र्योत्तर विकासशील भारत की सर्वांगीण समृद्धि एवं शांति के लिये शिक्षा में गुणवत्ता एवं शिक्षितों में दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विकयुग में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को नया आकार दिये जाने की आवश्यकता है।

भारत की शैक्षणिक आवश्यकताओं की युक्तियुक्त एवं निर्दुष्टपूर्ति के लिये क्षेत्रीय समस्याओं एवं तदनुरूप तर्कपूर्ण समुचित समाधान के आधार पर भारत के शैक्षणिकमानचित्र को ग्रामीण, नगरीय, पर्वतीय, सीमांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में चिन्हांकित कर वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है।

सार्थक एवं उद्देश्यपरक शिक्षा के लिये मूलभूत भौतिक संसाधनों की पूर्ति के साथ–साथ भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु तथा भाषा का निर्धारण, आचार्यदक्षता व विद्यार्थी की सुपात्रता के मापदण्डों की पुनर्रचना से समग्रशिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकना सम्भव है। प्रस्तुत शोधपत्र में वर्तमान शैक्षणिक पतन के व्यावहारिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभवों, समाचारपत्रों से प्राप्त सूचनाओं, प्राचीन भारत की शैक्षणिक परम्पराओं एवं तर्कशास्त्र को आधार बनाकर की गयी विवेचना से तर्कसंगत परिणाम प्राप्त किये गये हैं।

संकेत शब्द – *शैक्षणिकदक्षता, आचार्य, स्मृति, पक्षपातपूर्णइतिहास, शैक्षणिकमानचित्र*

JEL code : JEL: I, Sub code : JEL: I21

उद्देश्य – भारत की वर्तमान परिस्थितियों एवं आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप उपयुक्त शैक्षणिकदक्षता के समग्रलक्ष्य की सम्भावनाओं को अनावृत करना।

पृष्ठभूमि – अठारहवीं शताब्दी में जहाँ भारत में प्रति तीन हजार की जनसंख्या पर एक विद्यालय, गुरुकुल या मदरसा हुआ करता था वहीं स्वातंत्र्योत्तर भारत में गुणवत्तायुक्त विद्यालयों में भारी कमी आयी है। हम शिक्षा के महत्वपूर्ण आयामों, दिशाओं एवं मौलिकतत्वों को निर्धारित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यावहारिक जीवन से दूर होती चली गयी। शिक्षकीयदक्षता एवं दक्षताआधारित शिक्षा पर चिंतन करने से पूर्व गवेषणा के अन्य बिन्दुओं पर भी मंथन आवश्यक है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों एवं आज की आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय

पृष्ठभूमि के अनुरूप उपयुक्त शैक्षणिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों ने कुछ प्रश्न खड़े किये हैं, यथा –

1 – शिक्षक की योग्यता और दक्षता के साथ–साथ विद्यार्थी की पात्रता का निर्धारण कैसे हो,

2 – दक्षता आधारित शिक्षा की सुनिश्चितता के निर्दुष्ट उपाय क्या हैं,

3 – शिक्षा को जीवनमूल्यों से कैसा जोड़ा जाय,

4 – जीवन के लिये उसकी उपयोगिता को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाय,

5 – पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार क्या और कैसा हो,

6 – अध्ययन–अध्यापन का माध्यम क्या हो,

7 – शिक्षा के मूलभूत संसाधनों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाय और

8 – हमारी शैक्षणिक आवश्यकतायें क्या होनी चाहिये ?

सतत् अवलोकन, निरीक्षण एवं व्यावहारिक अनुभवों से प्राप्त विचारणीय तथ्य

1 – पर्याप्त शैक्षणिक संसाधन के अभावों एवं निम्नस्तरीय शिक्षासंसाधनों से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है जिससे शिक्षा का ध्रुवीकरण सुविधासम्पन्न वर्ग की ओर होता जा रहा है।

2 – वर्तमान शिक्षा ज्ञानमूलक न होकर सूचनामूलक हो गयी है।

3 – वर्तमान शिक्षा भारतीयमूल्यों के तात्विक समावेश से वंचित है जिससे युवा पीढ़ी में एक प्रकार की अपसंस्कृति विकसित होती जा रही है जो देश की सांस्कृतिक समृद्धता, वैचारिक श्रेष्ठता, जीवनमूल्यों और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिये अशुभ है।

4 – उच्चशिक्षित लोगों के आचरण में व्याप्त भ्रष्टाचार ने शिक्षा के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

5 – अध्यापनविधि को लेकर विद्यार्थीगण प्रायः संतुष्ट नहीं हो पाते।

6 – परीक्षा में बढ़ते निरंकुश कदाचार ने शिक्षा की गुरुता और गम्भीरता को भारी क्षति पहुँचायी है और शिक्षाव्यवस्था को परिहास का विषय बना दिया है।

7 – योग्यता के मूल्यांकन की दूषित एवं त्रुटिपूर्ण विधियाँ प्रचलित हैं जिनके कारण सच्चे विद्यार्थी कुंठा एवं निराशा से ग्रस्त हो रहे हैं।

8 – स्तरीय शिक्षा के अभाव एवं शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार ने समर्थ लोगों को प्रतिभा पलायन के लिये प्रेरित किया है जिससे भारतीय प्रतिभाओं की क्षमताओं–दक्षताओं का लाभ भारत को प्राप्त न होकर पश्चिमी देशों को प्राप्त हो रहा है।

9 – विद्यार्थी यह समझ पाने में असफल हुये हैं कि आजीविका के साधन के अतिरिक्त उनके जीवन में शिक्षा की और क्या उपादेयता है ?

10 – शिक्षकों का आचरण अनुकरणीय नहीं रहा जिससे वे शिक्षक तो बन गये किंतु आचार्य नहीं बन सके।

11 – शिक्षा की पवित्रता बनाये रखने के लिये भारतीय परम्परा में शिक्षा को ज्ञान–दान का विषय स्वीकार किया गया था, किंतु आज शिक्षा को एक सुस्थापित उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है जिससे शिक्षा की पवित्र समाप्त हो गयी है।

उपयोग में लायी गयी शोध की विधि

अवलोकन एवं निरीक्षणजन्य तथ्याधारित मनो–सामाजिकविश्लेषण ।

शोध की प्रकृति – सैद्धांतिक परिकाल्पनिक ।

चुनौतियों के सन्दर्भ में निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का मनो–सामाजिक विश्लेषण

1. शिक्षक की योग्यता और दक्षता के साथ–साथ विद्यार्थी की पात्रता का निर्धारण – उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्धज्ञान में दक्षता प्राप्त करने के व्यावहारिक अभ्यास से प्रारम्भ होकर नवान्वेषण से होती हुई संस्कारवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करती है। ज्ञान की यह एक गुरुतर शिक्षायात्रा है जिसके लिये शिक्षक की अपने विषय में दक्षता तो आवश्यक है ही विद्यार्थी की पात्रता भी उतनी ही आवश्यक है। स्वामी विवेकानन्द को भी अपने लिये गुरु की खोज करनी पड़ी थी। कई सूक्ष्म निरीक्षण–परीक्षण के पश्चात् ही वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु चयनित कर सके थे। चरक संहिता – विमान स्थान के अष्टम अध्याय में गुरु की दक्षता और शिष्य की पात्रता पर गम्भीरता से चिंतन करते हुये निर्देशित किया गया है कि ज्ञानप्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों की सुपात्रता का भलीभांति निर्धारण किया जाना चाहिये, यथा –

"अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमेवादितः परीक्षेत तद्यथा – प्रशांतमार्यप्रकृतिकमक्षुद्रकर्माणमृजु चक्षुर्मुखनासावंशं तनुरक्तविशदजिह्वमविकृतदंतौष्ठममिन्मिनं धृतिमन्तमनहङ्कृतं मेधाविनं वितर्कस्मृतिसंपन्नमुदारसत्वं तद्विद्यकुलजमथवा तद्विद्यवृतं तत्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्द्रियं निभृतमनुद्धतमर्थतत्वभावकमकोपनमव्यसनिनं शीलशौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नम् अध्ययनाभिकाममर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमलुब्धमनलसं सर्वभूतहितैषैणिमाचार्य सर्वानुशिष्टिप्रतिकरमनुरक्तं च, एवंगुणसमुदितमध्याप्यमाहुः।" –(चरक–विमानस्थान, अध्याय–8 सूत्र–8)''

वहीं शिष्य को भी अपने लिये निर्दुष्ट एवं अविकलज्ञान प्रदान करने वाले योग्य एवं दक्षगुरु का भलीभांति परीक्षण करने का परामर्श दिया गया है –

"ततोऽनंतरमाचार्यं परीक्षेत तद्यथा – पर्यवदातश्रुतं परिदृष्टकर्माणं दक्षं दक्षिणं शुचिं जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेंद्रियोपपन्नं प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतविद्यमनहङ्कृतमनसूयकमकोपनं क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति।" –(चरक–विमानस्थान, अध्याय–8 सूत्र–4)''

दुर्भाग्य से, आधुनिक भारत में उसके प्राचीन शैक्षणिक दिशानिर्देशों की निरंतर उपेक्षा के साथ "दक्षता" के स्थान पर आरक्षण व्यवस्थाजन्य "दक्षताशिथिलता" के राजनीतिक हठ से उपजी गुणवत्ताविहीन शिक्षाव्यवस्था का प्रचलन प्रारम्भ किया गया जिनके परिणामों से सभी लोग परिचित हैं। यहाँ प्रकृति के सामान्य नियमों की हठपूर्वक पूर्ण उपेक्षा की गयी है। योग्यता और दक्षता के मूल्यांकन के मापदण्ड कठोर होते हैं उनके साथ किसी प्रकार की शिथिलता या समझौता समाजमनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अन्यायपूर्ण, अमानवीय, निन्दनीय और वर्ज्य है।

शारीरक्रिया के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार "पूर्ति प्रतिलोम प्रतिक्रिया" शरीर की सहज कार्यक्षमता को शिथिल करते हुये अंततः निष्क्रियता का कारण बनती है। मनुष्य के व्यवहार में यह "पूर्ति प्रतिलोम प्रतिक्रिया" अकर्मण्यता के रूप में प्रकट होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मधुमेह के रोगियों में सूचीवेध से दिये गये इंसूलिन के प्रभाव से अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में होने वाली निष्क्रियता है। मनुष्य के शरीर एवं स्वभाव में बाह्याहूत पूर्तिजन्यशिथिलता एवं उदारता अकर्मण्यता को जन्म देती है।

यह सुनिश्चित् तथ्य है कि दक्षता और पात्रता के मध्य समवाय स्वरूप का एक वैज्ञानिक सम्बन्ध है जिसकी उपेक्षा के परिणामस्वरूप ही उच्चशिक्षा प्राप्त लोग भी चारित्रिक व नैतिक पतन के चरमगर्त में प्रायः गिरते हुये पाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस समवाय सम्बन्ध का सम्मान करते हुये शिक्षक की "दक्षतावर्धन" एवं विद्यार्थी की "सुपात्रता" के नैतिक एवं बौद्धिक मापदण्डों का पुनर्निर्धारण आज की अपरिहार्य आवश्यकतायें हैं।

विद्यार्थी में ज्ञान की पिपासा का होना और शिक्षक का आचार्य होना दक्षतापूर्णशिक्षा के लिये अपरिहार्य है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के शिक्षक प्रायः "सूचनाज्ञापक" की भूमिका में अधिक हैं आचार्य की भूमिका में बहुत कम। हमें "सूचनाज्ञापक" और "आचार्य" की भूमिकाओं को समझना होगा। सूचनाज्ञापक की भूमिका शिक्षासत्र तक ही सीमित होती है जबकि आचार्य की भूमिका शिक्षासत्र के उपरांत भी जीवनभर चलती है। आचार्य वह है जिसकी दी हुयी सूचनायें और जीवनवृत्त विद्यार्थी के लिये उसके नित्यजीवन में आचरणीय हों। जो शिक्षक आचरणीय नहीं हो पाता वह आचार्य नहीं होता, आचार्य होना जीवन की सतत साधना का सात्विक परिणाम है।

2. दक्षता आधारित शिक्षा की मूलभूत आवश्यकतायें – समग्र शैक्षणिक दक्षता के लिये शिक्षकों की दक्षता के साथ–साथ दक्षता आधारित शिक्षा की भी आवश्यकता है। शिक्षा के ये दोनो ही महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं जिनके युति अत्यावश्यक है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा को लेकर निरंतर प्रयोग होते रहे हैं जो अद्यावधि अपनी निष्फल निरंतरता बनाये हुये हैं। हम एक प्रदूषित जलाशय में मोती खोजने का कुशलप्रदर्शन करने की चेष्टा में तल्लीन हैं बिना यह विचार किये हुये कि मोती की उपलब्धता की सहज शर्तें क्या हैं! हम अभी तक शिक्षा की मौलिक आधारभूमि का भी निर्माण नहीं कर सके हैं। इसके लिये हमें निम्न तथ्यों पर गम्भीरता से मंथन करना होगा –

2.1 शिक्षा को जीवनमूल्यों से जोड़ने का क्रियान्वयन – आज की शिक्षा का स्वभाव तकनीकी होता जा रहा है, उसमें शिक्षा के प्राणतत्व का सर्वथा अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा की जीवंतता और चेतना समाप्त हो गयी है जो एक गम्भीर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समस्या है। आधुनिक शिक्षा को भारतीय जीवनमूल्यों से जोड़ना बिना दृढ राजनीतिक संकल्प के सम्भव नहीं है। प्राचीन भारतीय आर्षसाहित्य, पुराणेतिहास, संहिताओं और स्मृतियों आदि के रूप में हमारे पास जीवनमूल्यों की अमूल्य निधि उपलब्ध है जिसका व्यावहारिक अनुवाद हमारे आचरण में किये जाने की आवश्यकता है।

2.2 जीवन के लिये शिक्षा की उपयोगिता को उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक बनाये जाने के उपाय – महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं में सहायक बनाने की दृष्टि से कृषि प्रधान भारत के तत्कालीन उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप "बुनियादी तालीम" की परिकल्पना की थी जो आज के नये परिवेश में "कौशल विकास" के रूप में पुनः प्रकट हुयी है। कौशल विकास योजना यदि निष्ठापूर्वक क्रियान्वयित की जा सकी तो इसके परिणाम भारत में कुटीर उद्योग को न केवल पुनर्जीवित करने वाले होंगे बल्कि युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायक होंगे। यहाँ आवश्यकता निष्ठा की है।

2.3 पाठ्यक्रम के स्वरूप और तत्वों का औचित्यपूर्ण निर्धारण – राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं ने भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है । ऐसी नकारात्मकता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले विषय हैं इतिहास और साहित्य। इतिहास और साहित्य यदि विकृत, अप्रासंगिक या अनुपयुक्त हों तो विद्यार्थियों की ऐसी पीढ़ी तैयार होती है जो स्वाभिमानशून्य, हीनभाव से ग्रस्त और अपनी साहित्यिक–सांस्कृतिक–वैज्ञानिक– ऐतिहासिक परम्पराओं एवं उपलब्धियों से अनभिज्ञ होती है। यह तय किया जाना चाहिये कि भारत के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना चाहिये और क्यों? विषय की उपादेयता और औचित्य पर गम्भीर

मंथन किये बिना कुछ भी पढ़ाया जाना "तमसोमा ज्योतिर्गमय" की भारतीय आदर्श अवधारणा के प्रतिकूल है। यही कारण है कि कोई चिकित्सा या अभियांत्रिकी का छात्र वर्ड्सवर्थ, कीथ, शेक्सपियर, चेतनभगत और अरुन्धती राय को तो जानता है किंतु कालिदास, भवभूति, दण्डी, अग्निवेश, पुनर्वसु आत्रेय, रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद और हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाम लेते ही इधर–उधर ताकने लगता है। भारतीय समाज के लिये शेक्सपियर की उपयुक्तता उतनी औचित्यपूर्ण नहीं हो सकती जितनी कि भवभूति या जयशंकर प्रसाद की है। यही स्थिति इतिहास की है। दूरदर्शी दुर्भावना से ग्रस्त होकर लिखे गये पक्षपातपूण्ज्ञ इतिहास ने भारत की वर्तमान पीढ़ी को इतिहास के वास्तविक तथ्यों से वंचित कर उसे भारत के मिथ्या अतीत की कुंठा में झोंकने का कार्य किया है। आज इतिहास के निष्पक्ष पुनर्लेखन की अनिवार्य आवश्यकता है।

2.4 अध्ययन–अध्यापन का माध्यम – यह सुविदित और सुस्थापित तथ्य है कि सूचनाओं के माध्यम से दिया जाने वाला ज्ञान तभी सुग्राह्य और सुबोध हो पाता है जब उसका भाषायी माध्यम स्थानीय हो। भारत में इस वैज्ञानिक सत्य की निरंतर उपेक्षा होती रही है जिसपर अब विराम लगना ही चाहिये।

2.5 शिक्षा के मूलभूत संसाधनों की उपलब्धता– शिक्षक, शिक्षक की दक्षता, विद्यालय–भवन की उपलब्धता, भवन की उपयुक्त संरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अध्ययन सामग्री की उपलब्धता जैसे मूलभूत संसाधनों के अभाव या न्यूनता ने शिक्षा को गुणवत्ताविहीन बनाने में बड़ी भूमिका निभायी है। शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक घरानों के प्रवेश ने संसाधनयुक्त शिक्षा को आम विद्यार्थियों से दूर कर दिया है। इस समस्या के समाधान के लिये भारत की प्राचीन गुरुकुलकालीन व्यवस्था के पुनरावलोकन से कोई दिशा प्राप्त की जा सकती है। इस सन्दर्भ में बौद्धकाल से लेकर अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत की शिक्षा व्यवस्था के श्रेष्ठ और व्यावहारिक होने के कारणों की विवेचना समीचीन होगी।

2.6 हमारी शैक्षणिक आवश्यकताओं का चिन्हांकन और निर्धारण – किसी भी समाज की शैक्षणिक आवश्यकतायें देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप अपना आकार ग्रहण करती हैं। ग्रामीण, नगरीय, पर्वतीय, सीमांत और औद्योगिक क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट समस्यायें होती हैं जिनके कारण उन क्षेत्रों की आवश्यकतायें भी भिन्न–भिन्न होती हैं। भारत के शैक्षणिक मानचित्र को इन पाँच विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करते हुये समस्याओं के चिन्हांकन और तदनुरूप आवश्यकताओं के उपयुक्त निर्धारण पर गम्भीरता से कार्य किये जाने की स्वीकार्यता से दक्षता आधारित शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

शोध के निष्कर्ष –

प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक युग में भारत की समृद्धि एवं शांति के लिये शिक्षा की गुणवत्ता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण शिक्षाव्यवस्था को नया आकार दिये जाने की आवश्यकता है। यह नया आकार संसाधनों के रूप में स्थूल है जबकि वैचारिक रूप में सूक्ष्म गुणात्मक और सतत विश्लेषणात्मक है।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा की समग्रता के लिये क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक मानचित्र का चिन्हांकन एवं तदनुरूप समाधान हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधनों की पूर्ति, भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप पाठ्यक्रमों व भाषा का निर्धारण, शिक्षक दक्षता व विद्यार्थी की सुपात्रता के मापदण्डों की पुनर्रचना अपेक्षित है।

संदर्भग्रंथ सूची–

** – Dharampal – 'The Beautiful tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century' Volume 3, – Published by Other India Press Mapusa 403 507, Goa, India*

***– Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan dash – "CHARAKA-SAMHITA"– Volume –2, First edition, Chowkhamba Sanskrit Series Office Publication, Varanasi, U.P.*

Shodh Darpan (Special Issue) Part-II, January-2016, Vol-1, No-4 , ISSN No- 2454-1516

SDIS-004

भिलाई इस्पात संयंत्र का निदर्श ग्रामों के विकास में योगदान

भारती साहू[1] एवं डॉ बी.एल. सोनेकर[2]

[1]शोध छात्रा, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

[2]सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

संक्षेप – प्रस्तुत शोध अध्ययन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विकास के लिए चयनित किये गए ग्रामों के अध्ययन पर आधारित हैं। अध्ययन के अंतगर्त आदर्श इस्पात ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के वितरण को स्पष्ट किया गया है अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन के माध्यम से 6 आदर्श इस्पात ग्रामों के 364 परिवारों को चयनित किया गया है। अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है जिसे अनुसुची के माध्यम से संग्रहित किया गया है। प्रतिशत विधि के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा की आवश्यकता है इसी प्रकार स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में भी उचित योजनाओं का क्रियान्वन की आवश्यकता हैं।

प्रस्तावना – किसी भी देश के लिए इस्पात उद्योग औद्योगीकरण की आधार शिला के रूप में होता है इसलिए इस्पात उद्योग को अन्य समस्त उद्योगों का जनक कहा गया हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् तथा विशेष रूप से नियोजन काल से इस उद्योग का पर्याप्त विकास किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के अनेक विशाल कारखानों की स्थापना विदेशी सहायता के बल पर की गई। विश्व के कुल इस्पात उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है जो कि विश्व के कुल इस्पात उत्पादन का 5 प्रतिशत से अधिक हैं। विश्व के प्रायः समस्त देश औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि औद्योगीकरण किसी भी राष्ट्र की प्रगति व संपन्नता का केवल प्रतीक ही नहीं बल्कि उसके आर्थिक विकास का मापदण्ड भी माना जाता है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वे सभी औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में नही आते हैं परन्तु विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके है वे सभी औद्योगीकरण आर्थिक व सामाजिक विषमताओं से ग्रसित अनेकों पिछड़े हुए राष्ट्रों के नव–निर्माण के लिए आशा की ऐसी किरण के समान है जो उन्हे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं औद्योगिक अर्थव्यस्था में समाज को ऊपर उठाने की असीम संभावनाएँ व क्षमताएँ विद्यमान है। इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत विकासशील देशों में औद्योगीकरण को महत्व दिया जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश की वास्तविक प्रगति औद्योगीकरण पर ही निर्भर होती है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई जिला–दुर्ग में स्थित है यह एक वृद्ध सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्य उद्येश्य राष्ट्र की

अधोसंरचना का विकास तथा दुर्ग जिले के विकास में अपनी कुशलता व क्षमता का परिचय देते हुए उत्पादन के नित नये कीर्तिमान स्थापित करना है संयंत्र ने अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही उत्पादन के साथ ही सामुदायिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तत्पर है यही कारण है कि सन् 1963 में सामुदायिक विकास विभाग की स्थापना हुई तथा इसके माध्यम से ही परिधिमय क्षेत्रों का ग्रामीण व शहर के पिछड़े इलाकों का विकास होता गया। सन् 2006 से विभाग को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग में परिवर्तित कर सामाजिक सरोकर को नये अर्थों में परिभाषित किया हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने 16 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों को आदर्श इस्पात ग्राम के रूप में विकसित करने का हैं। इसके तहत ग्रामों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचनात्मक निर्माण के साथ ही जन सामान्य को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्यगत, रोजगार एवं आय के आधार पर सबल बनाना है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस सच्चाई को बहुत पहले ही जान लिया था कि उसकी कार्य योजना संयंत्र की परिधि क्षेत्र में अपना विलक्षण प्रभाव छोड़ेगी और इसलिए कारखानें के आंरभ होने के कुछ वर्षों के बाद ही वर्ष 1963 में सामुदायिक विकास विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1978 में विकास क्षेत्र की सीमा को बढ़ाते हुऐ संयंत्र के नगर प्रशासन भवन से 8 किलोमीटर की परिधि में बसे लगभग 31 गाँवो के विकास की जिम्मेदारी ली गई तथा बाद में इसे विस्तृत करते हुऐ इसको 16 कि.मी. की क्षेत्र में बसे 136 गाँवो को शामिल कर उनके सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य :– शोध अध्ययन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. भिलाई इस्पात संयंत्र के निदर्श ग्रामों में शिक्षा का प्रभाव।
2. भिलाई इस्पात संयंत्र के निदर्श ग्रामों में स्वास्थ्य का प्रभाव ।
3. भिलाई इस्पत संयंत्र के निदर्श ग्रामों में रोजगार का प्रभाव।

अध्ययन का क्षेत्र :– भिलाई इस्पात संयंत्र के 16 कि.मी. की परिधि के 21 आदर्श इस्पात ग्रमों में से 6 आदर्श इस्पात ग्रामों के 1041 बी. पी. एल. परिवारों का 35 प्रतिशत अर्थात् 364 परिवारों के विकास का अध्ययन।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत शोध मुख्यतः प्राथमिक आकड़ों पर आधारित है जिन्हें अनुसूची के माध्यम से संकलित किया गया तथा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रकाशित होने वाले बुकलेट और योजना आयोग से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का भी अध्ययन किया गया है इस तरह शोध अध्ययन प्रथम व द्वितीय आंकड़ो पर आधारित हैं।

अध्ययन का विश्लेषण :–

(1) निदर्श ग्रामों में परिवारों के शिक्षा का स्तर

तालिका क्रमांक –1

क्र.	शिक्षा का स्तर	कचान्दुर	जंजगिरि	बोड़ेगांव	डुमरडीह	दनिया	कोनारी	योग
1.	अशिक्षित	24 (17.52)	11 (8.02)	23 (16.79)	12 (8.76)	57 (41.61)	10 (7.30)	137 (100)
2.	प्राथमिक शिक्षा	30 (22.39)	9 (6.72)	19 (14.18)	9 (6.72)	55 (41.04)	12 (8.95)	134 (100)
3.	पूर्व माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा	14 (21.54)	7 (10.77)	11 (16.92)	5 (7.70)	20 (30.77)	8 (12.30)	65 (65)
4.	माध्यमिक शिक्षा	1 (10.00)	–	3 (30.00)	1 (10.00)	2 (20.00)	3 (30.00)	10 (100)
5.	उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा	3 (16.66)	1 (5.56)	1 (5.56)	–	12 (66.66)	1 (5.56)	18 (100)
	योग	72 (19.79)	28 (7.70)	57 (15.66)	27 (7.41)	146 (40.10)	34 (9.34)	364 (100)

स्त्रोत :– प्राथमिक सर्वे से अनुसूची द्वारा संकलित आँकड़े।

टीप :– कोष्ठक में प्रतिशत को दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र क्रमांक 1

निदर्श ग्रामों में परिवारों के शिक्षा का स्तर

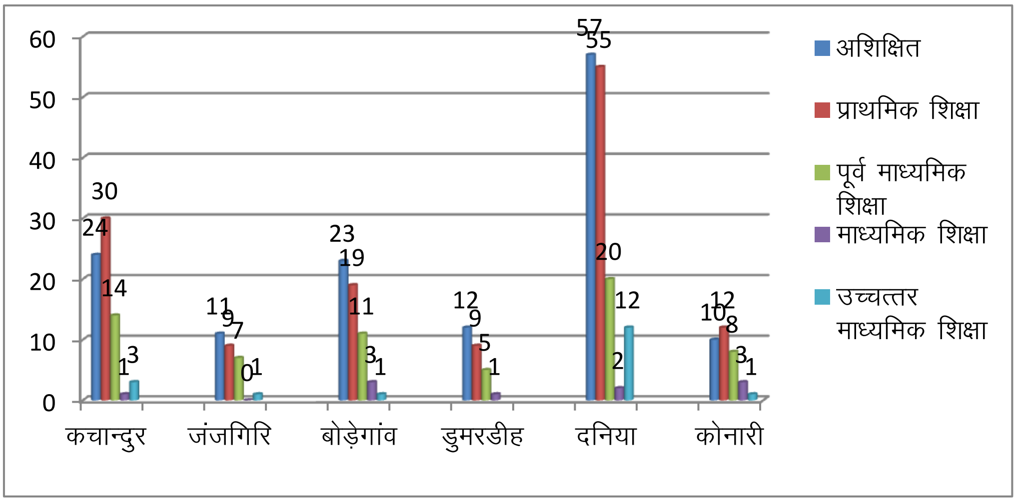

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि ग्राम कचान्दुर में 22.39 प्रतिशत मुखिया प्राथमिक शिक्षित हैं और 16.66 प्रतिशत मुखिया 16.66 प्रतिशत उच्चत्तर माध्यमिक तक शिक्षित है कचान्दुर के 17.52 प्रतिशत मुखिया अशिक्षित हैं। ग्राम जंजगिरि में 10.77 प्रतिशत मुखिया पूर्व माध्यमिक शिक्षित हैं। 5.56 प्रतिशत उचत्तर माध्यमिक शिक्षित है यहां पर 8.02 प्रतिशत अशिक्षित हैं। बोड़ेगांव में 30.00 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित हैं और 5.56 प्रतिशत मुखिया उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षित हैं। ग्राम डुमरडीह में अध्ययन के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत मुखिया माध्यमिक शिक्षित एवं अशिक्षित 8.76 प्रतिशत है। ग्राम दनिया में 18 मुखिया में से 12 शिक्षित 66.66 प्रतिशत उच्चत्तर माध्यमिक तक शिक्षित हैं। ग्राम कोनारी में 30 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित हैं। जिसमें 7.30 प्रतिशत अशिक्षित हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामों के अधिकत्तर मुखिया साक्षर हैं तो परंतु अधिक शिक्षित नहीं हैं। इसका मुख्य कारण उनकी शिक्षा में रूचि की कमी एवं उनमें व्यवसाय एवं कार्य के प्रति लगाव देखा गया।

(2) निदर्श ग्रामों में परिवारों द्वारा अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति

तालिका क्रमांक – 2

क्र.	अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति	निदर्श ग्राम						योग
		कचान्दुर	जंजगिरि	बोड़ेगाँव	डुमरडीह	दनिया	कोनारी	
1.	डॉक्टर तथा वैद्य	27 (19.29)	10 (7.14)	30 (21.43)	10 (7.14)	51 (36.43)	12 (8.57)	140 (100)
2.	डॉक्टर तथा तांत्रिक	7 (12.97)	3 (5.55)	7 (12.97)	4 (7.4)	28 (51.85)	5 (9.26)	54 (100)
3.	डॉक्टर, वैद्य तथा तांत्रिक	8 (13.33)	6 (10.00)	4 (6.67)	5 (8.33)	31 (51.67)	6 (10.00)	60 (100)
4.	डॉक्टर	30 (27.27)	9 (8.18)	16 (14.55)	8 (7.27)	36 (32.73)	11 (10.00)	110 (100)
	योग	72 (19.79)	28 (7.70)	57 (15.66)	27 (7.41)	146 (40.10)	34 (9.34)	364 (100)

स्त्रोत :– प्राथमिक सर्वे से अनुसूची द्वारा संकलित आँकड़े।

टीप :– कोष्टक में प्रतिशत को दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र क्रमांक 2

निदर्श ग्रामों में परिवारों द्वारा अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति

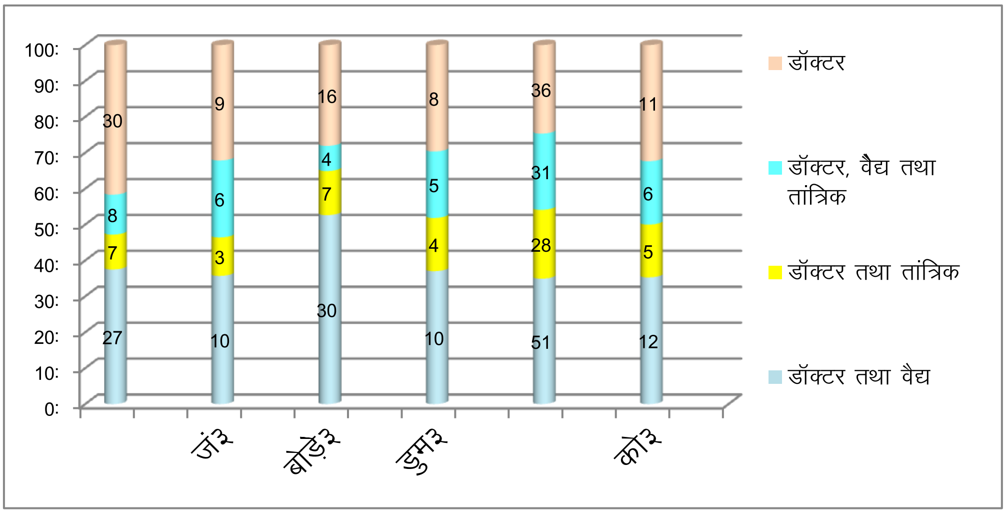

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि ग्राम कचान्दुर में 19.29 प्रतिशत परिवार डॉक्टर के साथ ही साथ वैद्य की चिकित्सा सुविधा लेते हैं। जबकि 27.27 प्रतिशत परिवार केवल डॉक्टर से इलाज लेना उचित समझते हैं। इसी प्रकार जंजगिरि में 10.00 प्रतिशत परिवार तांत्रिक उपचार वैद्य व डॉक्टर तीनों के उपचार पर भरोसा करते हैं। तथा 8.18 प्रतिशत परिवार डॉक्टर से उपचार करते लेते हैं। बोड़ेगाँव में 14.55 प्रतिशत परिवार डॉक्टरी उपचार कराते हैं। जबकि 21.43 प्रतिशत परिवार वैद्य से भी उपचार कराते हैं। डुमरडीह 8.33 प्रतिशत परिवार सभी तरह के उपचार करवाते हैं। और 7.27 प्रतिशत परिवार डॉक्टर की सुविधा लेते हैं। दनिया में अधिकत्तर परिवार डॉक्टर के साथ बैगा व तांत्रिक उपचार लेते हैं ऐसे परिवारों की संख्या 51.85 प्रतिशत हैं तथा सबसे कम डॉक्टरी उपचार 32.73 प्रतिशत लेते हैं। कोनारी मे 10 प्रतिशत परिवार डॉक्टरी उपचार कराते हैं तथा 8.57 प्रतिशत परिवार डॉक्टर तथा वैद्य से उपचार कराते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यादर्श परिवारों द्वारा डॉक्टरी उपचार के साथ ही वैद्य व तांत्रिक के उपचार भी अपनाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण लोगों में शिक्षा का अभाव हैं। इसलिए वे डॉक्टर के उपचार से अधिक अन्य उपचारों पर विश्वास करते हैं।

(3) **निदर्श ग्रामों में मुखिया के रोजगार का विवरण**

तालिका क्रमांक – 3

क्र.	रोजगार का विवरण	कचान्दुर	जंजगिरि	बोड़ेगांव	डुमरडीह	दनिया	कोनारी	योग
1.	खेतीहर मजदूर	22 (9.40)	20 (8.54)	22 (9.40)	15 (6.41)	137 (58.55)	18 (7.70)	234 (100)
2.	अन्य मजदूर	29 (34.94)	5 (6.02)	23 (27.72)	9 (10.84)	5 (6.02)	12 (14.46)	83 (100)
3.	व्यवसाय	2 (15.38)	–	3 (23.08)	3 (23.08)	4 (30.77)	1 (7.69)	13 (100)
4.	उद्योग श्रमिक	19 (55.89)	3 (8.82)	9 (26.47)	–	–	3 (8.82)	34 (100)
	योग	72 (19.79)	28 (7.70)	57 (15.66)	27 (7.41)	146 (40.10)	34 (9.34)	364 (100)

स्त्रोत :– प्राथमिक सर्वे से अनुसूची द्वारा संकलित आँकड़े ।

टीप :– कोष्ठक में प्रतिशत को दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र क्रमांक 3

निदर्श ग्रामों में मुखिया के रोजगार का विवरण

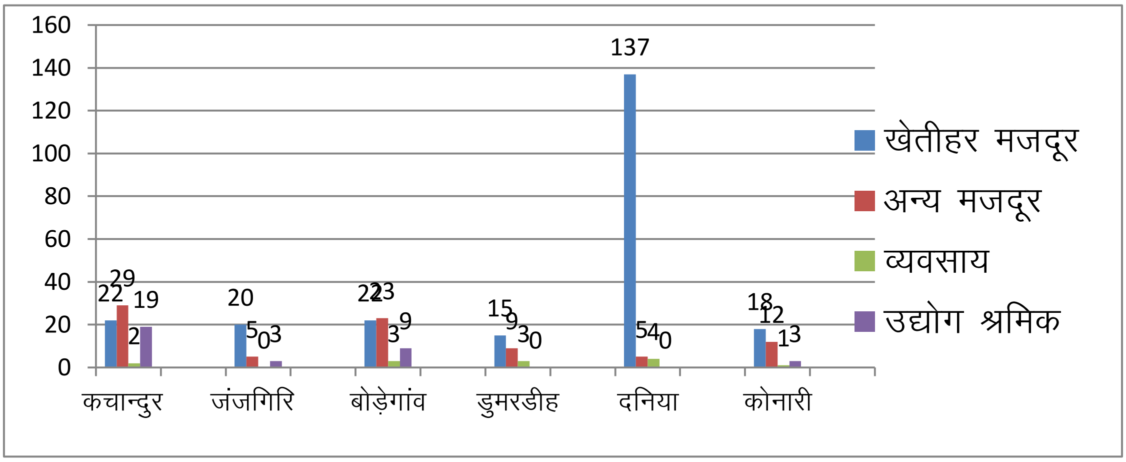

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता हैं कि कुल 234 खेतीहर मजदूर में से सबसे अधिक 58.55 प्रतिशत लोग संलग्न हैं और ग्राम डुमरडीह में सबसे कम 6.41 प्रतिशत मुखिया इस कार्य में लगे हुऐ

हैं। अन्य मजदूर में ग्राम कचान्दुर में 83 में से 34.94 प्रतिशत लोग इस कार्य में संलग्न है तथा जंजगिरि में 6.02 मुखिया अन्य मजदूरी का कार्य करते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत ग्राम दनिया में सबसे अधिक 13 में से 30.77 प्रतिशत व्यवसाय में सलग्न है है कि अधिकत्तर मुखिया खेतीहर मजदूर के कार्य में संलग्न हैं जिसका मुख्य कारण अपने खेती कार्य के प्रति लगाव देखा है जिसके चलते वे अन्य कार्यो में उसकी रूचि का अभाव देखा गया हैं और सबसे कम ग्राम कोनारी में 7.69 प्रतिशत हैं। उद्योग के कार्य करने के आधार पर सबसे अधिक 55.89 प्रतिशत मुखिया कचान्दुर में हैं। जबकि सबसे कम उद्योग श्रमिक जंजगिरि एवं कोनारी दोनों में 8.82 प्रतिशत हैं। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकत्तर मुखिया खेतीहर मजदूर के कार्य में संलग्न हैं जिसका मुख्य कारण अपने खेती कार्य के प्रति लगाव है ।

निष्कर्ष –

1. अध्ययन स्पष्ट होता हैं कि अशिक्षित 137 हैं जिसमें ग्राम दनिया में सबसे अधिक 41.61 प्रतिशत है सबसे कम अशिक्षित ग्राम कोनारी में 7.30 प्रतिशत हैं इसी प्रकार कुल 134 मुखिया में ग्राम दनिया में 41.04 प्राथमिक शिक्षित हैं और ग्राम कचान्दुर में 22.39 प्रतिशत हैं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि ग्राम दनिया में 66.66 प्रतिशत शिक्षित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामों में अशिक्षित की संख्या अधिक हैं और प्राथमिक शिक्षित 134 है जिसका मुख्य कारण शिक्षा के प्रति अरूचि हैं।
2. चिकित्सा की पद्धति के आधार पर अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 364 न्यादर्श परिवारों के अंतर्गत अधिकत्तर परिवार डॉक्टर व वैद्य दोनों की उपचार पद्धति अपनाते हैं। समस्त ग्रामों के 140 परिवार जों कि डॉक्टरी व वैद्य की चिकित्सा को अपनाते हैं। उनकी संख्या कचांदुर में 19.29, जंजगिरि में 7.14 प्रतिशत बोड़ेगाँव में 21.43 प्रतिशत डुमरडीह में 7.14 प्रतिशत दनिया में 36.43 प्रतिशत तथा कोनारी में 8.5 प्रतिशत हैं। डॉक्टरी चिकित्सा अधिक नहीं अपनाने का कारण उनका कम शिक्षित होना हैं।
3. न्यादर्श परिवारों के मुखिया के रोजगार के विवरण का अध्ययन के स्पष्ट होता है कि कचान्दुर में उद्योग अधिक 51.89 प्रतिशत हैं। जंजगिरि में खेतीहर मजदूर 8.54 प्रतिशत हैं बोड़ेगांव में 27.72 प्रतिशत अन्य मजदूरों की संख्या ग्राम डुमरडीह में 23.08 प्रतिशत व्यवसाय के संलग्न हैं इसी प्रकार दनिया में 58.55 प्रतिशत खेती का कार्य करते हैं। तथा कोनारी में 14.46 प्रतिशत लोग अन्य मजदूरी का कार्य करते हैं। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट कि खेतीहर मजदूर की संख्सा अधिक 234 हैं जिसका मुख्य कारण उनका खेती कार्य के प्रति लगाव हैं।

सुझाव – सर्वे से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ग्रामों मे उच्चत्तर विकास के लिए निम्न लिखित सुझाव दिये जा सकते हैं –

1. ग्रामों के बालक–बालिकाओं के तकनीकि शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।
2. शिक्षागत सुविधाओं जैसे कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ग्रामों में स्वास्थ्य शिविरों को बढ़ाना चाहिए।
4. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ग्रामीणों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
5. रोजगार से संबंधित नये योजनाओं का संचालन करना जिससे ग्रामीणों के आय में वृद्धि हो सके।

SDIS-007

जीवन के लिए शिक्षा : मूल्य आधारित

डॉ0 श्रीमती जस्सी जोस

सहायक प्राध्यापक, क्राइस्ट महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर, छ0ग0, भारत

सारांश

जीवन में शिक्षा नहीं तो जीवन नरक बन जाता है यानि मनुष्य का जीवन पशु के समान हो जाता है। शिक्षा के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

बालक में स्वस्थ आदतों एवं मूल्यों के विकास के लिये माता पिता को अपनी कमियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और उनको नियंत्रित करने के लिये प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त परिवेश प्रदान करके वे बालकों में मूल्यों का विकास कर सकतें हैं।

बच्चे जब विद्यालय जाने लायक होतें हैं तो उन्हे मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत होती है । ऐसे में विद्यालय के माहौल का बड़ा महत्व है जहां बच्चों का चरित्र निर्माण किया जाता हैं । इसलिये ज़रूरी है कि विद्यालय का माहौल सबसे खूबसूरत हो । विद्यालय में मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ।

समाज विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप का आयोजन करके मूल्यों का आयोजन करके मूल्यों के विकास के लिये अवसर प्रदान कर सकता है।

अतः आज आवश्यक है कि ऐसा मूल्यपरक वातावरण हो जो विद्यार्थियों में सही ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसकी सही मनोवृत्तियों का निर्माण करें ताकि वह स्वतंत्र हो तब भी जीवन के विषय में एक सही स्वस्थ्य सोच के साथ निर्णय ले सके ।

प्रस्तावना

इसमें शक की कोई गुंजाईश नहीं है कि आज इक्कीसवीं सदी में मूल्य आधारित शिक्षा बेहद आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय मूल्यों की स्थापना का समय नहीं रहा बल्कि यह समय मूल्य विघटन का समय है। दया, माया, प्रेम, पड़ोस धर्म का निर्वाह, परोपकार, त्याग, मानवता, भाईचारा इस सारे शब्दों को हम मानवीय मूल्य कहते हैं परन्तु आज इन सभी मूल्यों का विघटन हो रहा है। ऐसे समय उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, वह है मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना। आज

चारों ओर अविश्वास का, बेईमानी का, माहौल बना हुआ है, इसके परिणामस्वरूप सकरात्मक के बजाय नकारात्मक सोच निर्मित हो रही है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को सवारने के लिये शिक्षा ही एक कारगर साधन है। मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने से ही भावी नागरिक तैयार होंगे, और उनकी सोच में बदलाव आएगा। इस प्रकार मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही जीवन है।

जीवन में शिक्षा नहीं तो जीवन नरक बन जाता है यानि की मनुष्य का जीवन पशु के समान हो जाता है इसलिये शिक्षा को आदिकाल से ही महत्व दिया जाता रहा है । ज्ञान को हम बांटेगे नहीं तो वह सीमित हो जाता है। जीवन में शिक्षा ग्रहण करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा सें ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता और अनुभव करता है। जिसके परिणाम स्वरूप वह धीरे–धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है।

इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। अतः शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। इसी विकास के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता है।

शिक्षा की परिभाषा

महात्मा गांधी के अनुसार – ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय है– बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वागीण विकास।''

हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार :– ''शिक्षा पूर्ण जीवन है।''

इस प्रकार शिक्षा ही जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। एक सफल जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है।

मूल्य का अर्थ

मूल्य (Value) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Value' शब्दसे मानी जाती है जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। भरतीय धर्म ग्रन्थों में मूल्यों के लिये 'शील' शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को

अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है कि उसे अपनाये या त्याग दें। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है।

काने के अनुसार – मूल्य में आदर्श, विश्वास या प्रतिमान है, जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है।

मूल्य आधारित शिक्षा

मूल्य एक अमूर्त सम्प्रत्यय है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। छात्रों में समाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

गांधीजी का कहना था हमारा बाह्य जीवन हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। उनकी इस सीख को हम आज की आपाधापी में भूल गए हैं और आज उसका दुःखद परिणाम हमारे सामने है। इस दुखद स्थिति से छुटकारा हमें राष्ट्रीय चरित्र निर्माण से ही मिल सकता है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में व्यक्ति और शिक्षा व्यवस्था दोनों की अपनी–अपनी भूमिका है।आज के भौतिकवादी युग में भी मूल्य शिक्षा, चरित्र निर्माण के लिये आवश्यक है और इस पर जोर देने की आवश्यकता है

जीवन मूल्य

मानव के अपने पूर्वजन्म तथा वंशमूल, माता–पिता आदि से ग्रहण किये हुए संस्कार उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े होतें हैं। इस प्रकार अपने अपने संस्कारों तथा परिवेश से व्यक्तियों का अपना अपना संसार बनता है। परिवेश एवं संस्कारों की विविधता से व्यक्ति के जीवन–मूल्य भी पृथक पृथक हो सकते हैं। इन जीवन–मूल्यों को अग्रांकित शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है–

1. **शैक्षिक मूल्य** (Educational Values)**-** शैक्षिक मूल्य शिक्षा में उपयोगी, अभिप्राय तथा उपयुक्तता का निरूपन करते हैं जो शिक्षक तथा छात्र को आत्मानुभूति या शिक्षार्थी को उपयुक्त अभिवृद्धि के लिये अध्ययन–कार्य में संलग्न हेतु प्रेरित करतें हैं। शैक्षिक मूल्यों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं–

    1) शिक्षण में नियमितता एवं निष्ठा,

    2) मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता,

3) स्वस्थ्य प्रतियोगिता की भावना,

4) व्यवसाय के प्रति निष्ठा

5) छात्रों की सृजनात्मकता का पोषण

6) मौलिकता के प्रति सद्भाव आदि।

2. **नैतिक मूल्य** (Moral Values)- इनके अंतर्गत ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, करूणा, दया, उत्तदायित्व की भावना, नम्रता आदि मूल्य आते हैं। देश, काल एवं अन्य परिस्थितियों में ये कभी कभी विवादास्पद हो जातें हैं।

3. **सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्य** (Social and Plitical Values)- भी समाज या देश की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणाली के परिरक्षण, परिष्कार एवं संवर्धन के लिये किसी इन मूल्यों का अधिक महत्व होता है। व्यक्ति समाज की अन्यतम इकाई है। व्यक्तियों से समाज का और समाज से व्यक्तियों का अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है। व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों का समन्वय ही सामाजिक मूल्यों की संरचना में होता है अतः नीति तथ सामाजिक मूल्यों में व्याप्त भेद सूक्ष्म होता हैं । इन मूल्यों के अंतर्गत सामाजिक दायित्व, आदर्श नागरिकता, लोकतंत्र, मानवतावाद, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय एकता आदि समाहित हैं।

4. **वैश्विक मूल्य** (Global Values) **.** जो मूल्य सम्पूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं, वे वैश्विक मूल्य कहलातें हैं। इन मूल्यों का किसी जाति, समूह या देश विशेष से सम्बन्ध नहीं होता है। इनमें सबके लिये स्वतंत्रता, न्याय एवं अवसर की समानता सभी प्रकार की दासताओं का उन्मूलन आदि मूल्यों का समावेश किया जा सकता है।

5. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** (Scientific Temper)- यह जीवन मूल्य एक ओर सद्विवेक बुद्धि को जागृत करके हमारी अनेक भ्रान्तियों एवं अंधविश्वासों को दूर करता है वहीं दूसरी ओर यदि इसे विवेक बुद्धि के साथ आत्मसात् न किया गया तो यह मनुष्य में अनास्था तथा अनात्मवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, तर्कयुक्तता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता आदि समाहित है।

6. **सांस्कृति मूल्य** (Cultural Values)- इन मूल्यों के अंतर्गत वे सभी मूल्य आतें हैं जो सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में सहायक होतें हैं।

7. **पर्यावरणीय मूल्य** (Envrionmental Values)- इनके अंतर्गत पेड़–पौधों के प्रति सरोकार, पर्यावरण–संरक्षण, पर्यावरण की शुद्धि के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण एवं वृक्षरक्षण आदि मूल्य आतें हैं।

मूल्य तथा शिक्षा

द्रुत गति से होने वाले आधुनिक औद्योगिक विकास, जनसंख्या विस्फोट एवं नगरीकरण के कारण आज का मानव मानसिक पीड़ाओं, वैयक्तिक कुण्ठाओं तथा आर्थिक विषमताओं से त्रस्त है। इसका प्रमुख कारण मानव–मूल्यों के प्रति उसकी निष्ठा का क्रमिक ह्रास है। इस नैतिक ह्रास के लिये हमारी शिक्षा प्रणाली उत्तरदायी है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, मानव मूल्यों को विकसित करने तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण में सक्षम थी। उसमें शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा के अतिरिक्त आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। उस समय दो प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं थीं– 1) धार्मिक तथा 2) व्यवसायिक। धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में मनुष्य के सर्वांगीण विकास– शरीर, मन तथा आत्मा के विकास पर बल दिया जाता था। व्यावसायिक संस्थाएं जीवन के कर्त्तव्यों के लिये मानव को तैयार करती थीं। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में भी आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। उस समय शिक्षा धार्मिक तथा व्यवसायिक दोनों प्रकार की थी। मुस्लिम काल में भी शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस समय प्रत्येक छात्र को नैतिकता का अध्ययन करना पड़ता था परन्तु ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने धर्म के सम्बन्ध में तटस्थता की नीति को अपनाया। इस कारण उस काल की शिक्षा संस्थाओं में नैतिकता की शिक्षा को कोई स्थान नहीं मिला। स्वतंत्रता के बाद धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। इस कारण धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं मिला। इससे व्यावहारिक कठिनाई यह रही कि भारत में विभिन्न धर्म, विश्वास एवं समुदाय के लोग रहते हैं। अतः धर्म विशेष की शिक्षा देने से अनेक अनिष्टों की आशंका रहती है।

स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को कोई वांछित स्थान प्राप्त नहीं हो सका, परन्तु उसकी आवश्यकता की अनुभूति अवश्य की गई। स्वतंत्रता काल में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति (1959) शिक्षा आयोग (1964–66) भावनात्मक एकता समिति (1961) आदि सभी ने नैतिक शिक्षा को समुचित महत्व दिया। शिक्षा आयोग ने विविध मानव मूल्यों के शिक्षण को प्रारम्भ करने का सुझाव दिया।

मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका

परिवार मानव सम्बन्धों का मूलस्रोत है। बच्चों को शिक्षित और तेजस्वी नागरिक बनाने में माता–पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चों के सामने माता–पिता को अपने व्यवहार और आचरण की मिसाल रखनी चाहिए इससे बच्चों के मन में माता–पिता के प्रति प्रेम और श्रद्धा का विकास होगा तथा वे उन्हें अपना आदर्श मानेंगे । बच्चे जब तक सत्रह साल के होतें हैं तब तक उन्हें संवारने का सामूहिक मिशन माता–पिता के जिम्मे होता है।

अतः बालक में स्वस्थ आदतों एवं मूल्यों के विकास के लिये माता पिता को अपनी कमियों और कमज़ोरियों को समझना चाहिए और उनको नियंत्रित करने के लिये प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त परिवेश प्रदान करके वे बालकों में मूल्यों का विकास कर सकतें हैं।

मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका

शैशवावस्था में नन्हे बच्चों को हम हमेशा मुस्कुराते हुए पाते हैं । जब वे कंधे पर बस्ता ढोते हुए प्रायमरी स्कूल जाने लगते हैं तब उनकी मुस्कुराहट कम हो जाती है, और जब वे सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते हैं तो उनकी मुस्कुराहट और भी कम हो जाती है। हायर सेकेंडरी स्कूल में तो उनकी मुस्कुराहट गायब ही हो जाती है। कालेज पहुंचने पर वे अधिक गंभीर हो जाते हैं और कॉलेज के बाद वे लगातार चिंतित रहने लगते हैं। इस चिंतनी अवधि के दौरान बच्चे और माता–पिता के मन में किसी खास पेशे को अपनाने में होने वाली प्रतियोगिता और उससे जुड़ी वित्तीय संभावना जैसी बातें छाई रहती हैं। हम सभी को इस समस्या का समाधान ढूँढना है। क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकतें जिसमें पढ़ाई शुरू करने से लेकर रोज़गार पाने तक सम्पूर्ण अवधि के दौरान बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे।

अतः शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्र स्वावलम्बी बने जिससे वे उद्यमशील हों और रोजगार के बजाय खुद रोज़गार पैदा करें । प्राइमरी स्तर पर शिक्षा बच्चों के अपने परिवेश के प्रति रूचि जगाए और चिंतन प्रक्रिया कौशल से संबंध स्थापित करें । प्राइमरी शिक्षा में पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तौर–तरीकों और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि बच्चों में सृजनशीलता खिले और निखरे । विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने, कुछ नया कर दिखाने और सृजनशीलता पर ज़ोर दिया जा सकता है । सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर प्रयोग, समस्या निदान और टीम गतिविधि पर बल दिया जाना चाहिए।

कक्षा में पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा के बाहर बच्चे स्वयं के अनुभव के आधार पर क्या सीख रहे हैं । बच्चों को प्रेक्षण, क्षेत्र, अध्ययन, प्रयोग और परिचर्चा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए । इस मकसद को पाने के लिये विद्यालय को शिक्षा केन्द्र की जगह अपने आपको ऐसे केन्द्र के रूप में ढालना चाहिए जहां ज्ञान के साथ–साथ कौशल प्राप्त किया जा सके।

घर में बच्चों का लालन–पालन बड़े प्यार और स्नेह से किया जाता है किन्तु जब वे थोड़े बड़े होकर विद्यालय जाने लायक होतें हैं तो उन्हे मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत होती है, ऐसे में विद्यालय के माहौल का बड़ा महत्व है जहां बच्चों का चरित्र निर्माण किया जाता है। बच्चों के लिये सीखने की असल अवधि पांच वर्ष से लेकर सत्रह वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवधि के दौरान छात्र लगभग 25 हजार घंटे विद्यालय में रहते हैं । अतएव ज़रूरी है कि विद्यालय का माहौल सबसे खूबसूरत हो, विद्यालय में मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसका कुछ मिशन हो । उदार पारदर्शी समाज के निर्माण के लिये विद्यालय परिसर में बारह सालों तक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है । यूनानी शिक्षक पेस्टोलोजी के कथनानुसार – ''सात साल तक कोई बच्चा मेरी निगरानी में रहे, फिर भगवान हो या शैतान, कोई उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता, ऐसी क्षमता एक शिक्षक में ही हो सकती है।''

आज के संचार व सूचना के युग में छात्रों के पास विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का जमावड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से पूरे सूचना संचार तक पहुंच होने के कारण छात्र के लिये यह संभव हो गया है कि वह एक अच्छे–खासे पुस्तकालय को अपने साथ लैपटॉप में लेकर घूमे। अब उन्हें अपने दिमाग के भंडार का विशेष उपयोग करने और याददाश्त पर बल देने की जरूरत नहीं है। अब शिक्षा प्रणाली में इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्र सूचना के अथाह सागर में से उपयोगी ज्ञान के मोती चुनने में प्रशिक्षित हो जाएँ। इस दिशा में शिक्षकों को छात्र का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि छात्र में ऐसा हुनर पैदा हो जाए कि वह स्व–प्रेरणा से सीखने लगे। जरूरी है कि शिक्षाविदों में स्कूल और स्कूली शिक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित हो। उनमें एक ऐसे शैक्षिक परिवेश की कल्पना हो जिसमें सीखने के तौर–तरीकों को अपनाकर छात्र खुद सीखने के काबिल हो जाए। छात्रों को खुद सीखने लायक बनाने के लिये हम सिर्फ भाषण की घुट्टी नहीं पिला सकते, इसे व्यवहार में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। छात्रों में यह गुण पढ़ाने के तौर–तरीकों से ही विकसित हो सकता है।

आज स्कूल में कई तरह के सुधार की बात हो रही है पर इसमें कुछ मूलभूत मूल्यों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । एक ओर बच्चों को महंगे व प्रतिष्ठित, सभी सुविधाओं से भरपूर स्कूलों में भेजने की होड़ है तो दूसरी ओर ऊंची आय व नौकरी का मार्ग प्रशस्त करने वाली कोचिंग क्लासों में भीड़ लगी हुई है। इन सब सरगर्मियों में नैतिक मूल्यों की बात कहीं दब–सी गई है। यदि कोई भूले–बिसरे नैतिक मूल्यों की शिक्षा की बात कर भी देता है तो ऐसा रिस्पांस मिलता है जैसे कोई बहुत पुरानी सी आउटडेटिड बात कह दी हो या फिर इसे धार्मिक शिक्षा के साथ गडमड कर दिया जाता है। पर यहां हमारा तात्पर्य दूर–दूर तक किसी एक धर्म की शिक्षा से नहीं है। कुछ ऐसे शाश्वत् नैतिक मूल्य है जो सभी धर्मों को मान्य होते हैं और जो कभी पुराने नहीं पड़ते हैं । सदा किसी स्वस्थ व ईमानदार समाज के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। क्या ऐसे नैतिक मूल्यों को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलना चाहिए?

उदाहरण के लिये इन चंद नैतिक मूल्यों पर विचार करें। ईमानदारी व मेहनत की कमाई ही सबसे श्रेष्ठ हैं। बेईमानी व भ्रष्टाचार से सदा दूर रहना चाहिए। धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए व सब मनुष्यों को एक समान मानना चाहिए। अपने से कमजोर व निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहायता व सहयोग की भावना रखनी चाहिए। सभी पशु–पक्षियों, जीव–जंतुओं के प्रति करूणा की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। अन्याय से किसी का हक़ नहीं छीनना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के साथ दूसरों के हितों, अधिकारों व दृष्टिकोण का भी ख़्याल रखना चाहिए। दुनिया में शांति, अहिंसा, सहनशीलता, भाईचारे का संदेश फैलना चाहिए। पेड़–पौधों, हरियाली, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए है। यह सब नैतिक मूल्य ऐसे हैं जो सभी धर्मों को मान्य हैं । पर सवाल यह है कि इन्हें पर्याप्त महत्व देने के लिये लोग कितना आगे जाने को तैयार हैं अब तक तो यही लगता है कि ऐसे नैतिक मूल्यों को या तो शिक्षा में स्थान दिया नहीं जाता है या फिर इन्हें हाशिए पर ही स्थान मिल पाता है । कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जिसमें इन नैतिक मूल्यों पर इतना ध्यान दिया जाता हो कि स्कूल समाप्त करने वाले अधिकांश छात्र इन नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर लें । कितनी बड़ी उपलब्धि है यह अब छात्र न तो साम्प्रदायिकता के घेरे में आएंगे न नफरत पर आधारित किसी सोच के । वे स्वभावतः अपना सारा व्यवहार न्याय, समता व भाई चारे के आधार पर करेंगे, भ्रष्टाचार से वे सदा दूर रहेंगे, कमजोर वर्ग व पशु–पक्षियों की सहायता के लिये आगे आएंगे, पर्यावरण की रक्षा व अन्याय के विरोध के लिये सक्रिय रहेंगें। हम यह नहीं कर रहे हैं कि नैतिक शिक्षा पर पर्याप्त जोर देने से सभी विद्यार्थी इस तरह के हो जाएंगे पर यदि अधिकांश विद्यार्थी इस राह पर काफी आगे बढ़ सके तो यह देश के लिये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। एक बेहतर समाज बनाने के लिये बुनियाद तैयार करने का कार्य यह होगा।

निश्चय ही इसका तात्पर्य यह है कि यह नैतिक शिक्षा उपदेशात्मक हो। कोरे उपदेश सुनने को तो आज कोई तैयार नही होता है। इन नैतिक मूल्यों को शिक्षा में इस तरह शामिल करना होगा जिससे विभिन्न पाठ्यक्रमों में, कार्यशालाओं व गतिविधियों में, इन नैतिक मूल्यों का संदेश सहज, सरल व रोचक तौर तरीकों से विद्यार्थियों तक पहुंचे। इसके लिये अच्छे साहित्य, फिल्मों, आडियो–वीडियो सामग्री आदि का सहारा लिया जा सकता है। कई प्रेरक व्यक्तियों के जीवन व इतिहास के प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा हो सकती है।

रॉबिन बैरो के अनुसार– विद्यालय में मूल्यों के विकास के दो प्रमुख आधार हैं यथा–

अ) विद्यालय का समरस एवं सौहार्द्रपूर्ण स्वस्थ पर्यावरण या विद्यालयी पर्यावरण,

ब) शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुति।

अ) **विद्यालयी पर्यावरण** – शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार– ''विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि विविध मूल्यों के प्रति जागृति विद्यालय, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियां को प्रभावित करें। विद्यालय की प्रातःकालीन सभा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसहगामी क्रियाएं सभी धर्मों के धार्मिक उत्सवों का आयोजन, कार्यानुभव, खेलकूद, विषय, क्लब, समाज–सेवा ये सभी छात्रों में सहयोग व पारस्परिक सद्भाव, निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्व आदि जीवन मूल्यों के विकास में सहायक होते हैं।'' अतः मूल्यों के विकास क लिये विद्यालयीन वातावरण लोकतांत्रिक एवं उत्साहवर्धक, स्वच्छ, सौन्दर्यपूर्ण अनुशासनप्रिय एवं सृजनात्मक होना चाहिए । मूल्यों की शिक्षा के लिये विद्यालय में निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

1. विद्यालय में कोर पाठयक्रम को लागू किया जाना चाहिए जिसमें हमारी–सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक संरचना, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म–समभाव, पर्यावरण–संरक्षण विश्वशांति, राष्ट्रीय एकता आदि पर बल दिया जाना चाहिए।
2. पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार की विषय वस्तु रखी जाए जिससें छात्रों में सत्यपालन, सदाचार, प्रेम, शांति, अहिंसा आदि मूल्यों का आभ्यान्तरीकरण सरलता से हो सके। इनकी भाषा एवं शैली छात्रों के आयु वर्ग के अनुकूल होनी चाहिए।
3. विभिन्न धर्मों महापुरूषों की जीवन गाथाओं एवं उनके संदेशों को शैक्षिक क्रिया–कलापों को उचित स्थान प्रदान किया जाए।

4. भाषा शिक्षक के माध्यम से विभिन्न जीवन मूल्यों को आत्मसात कराया जाए। भाषा शिक्षण में मूल्यों के विकास के लिये कथा–कथन, समूह–गायन, नाटकीकरण, सस्वर काव्य–पाठ आदि को स्थान प्रदान किया जाए।
5. महापुरूषों के जन्म दिवसों को सुनियोजित ढंग से मनाया जाये।
6. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाये। इनके माध्यम से उनमें सृजन की क्षमता के विकास पर बल दिया जाए।
7. विविध नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात् कराने के लिये विद्यालयों में प्रार्थना सभा का समुचित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।
8. मूल्यों को आत्मसात् कराने के लिये मूल्य दर्पण का उपयोग व्यवहारिक रूप से किया जाये।

अन्त में विनोबा भावे के शब्दों में कह सकतें हैं–''मनुष्य घर में जीता है और मदरसे में विचार सीखता है। इसलिये जीवन और विचार में मेल नहीं बैठता। इसका उपाय यह है कि एक ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर मदरसे में घर घुसना चाहिए।''

ब) **शिक्षकों द्वारा आदर्श–प्रस्तुति–** मूल्यों की सीख तथा आदर्श प्रस्तुति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक बार करके दिखाना सौ बार कहने के बराबर माना जाता है। मात्र कहने के अपेक्षा करने का प्रभाव अधिक गहन एवं स्थाई होता है। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रस्तुति से छात्रों में मूल्यों का आत्मसातकरण सहज ढंग से हो सकता है। गुरूदेव टैगोर के शब्दों में – ''हमारे शिक्षक जब यह समझने लगेंगे कि हम गुरू के आसन पर बैठे हैं और हमें अपने जीवन द्वारा छात्रों में प्राण फूंकने हैं, अपने ज्ञान द्वारा उनके हृदय में ज्ञान एवं विद्या की ज्योति जगानी है, अपने प्रेम द्वारा बालक का उद्धार करना है, उनके अमूल्य जीवन का सुधार करना है, उस समय वे सत्य रूप में स्वाभिमान के अधिकारी बन सकेंगे। तब वे ऐसी वस्तु प्रदान करने के लिये तत्पर हो सकेंगे जो बेचे जाने वाली नहीं है, जो मूल्य देकर प्राप्त नहीं हो सकती। उसी समय वे छात्रों के समीप, सरकार द्वारा नहीं, वरन् धर्म के विधान और प्राकृतिक नियम के अनुसार सम्मानित एवं पूज्य बन सकेंगे।

मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका

मानव ने अपने लम्बे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन में हमें कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, कुछ हमारे अधिकार हैं। इस संगठन में एक व्यवस्था है, जिसमें हमें एक निश्चित प्रकार से रहना और व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में इस संगठन में रहने वाले व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ व्यवहार के कुछ सम्बन्ध होते है। मनुष्य के जिस संगठन में ये सम्बन्ध पाये जातें हैं, उसी को समाज कहते हैं।

मानव समाज अपने आदर्शों, मूल्यों तथा क्रियाओं को आने वाली संतति को प्रदान करता हुआ स्वयं को जीवित रखता है।

फ्रेंकनिल के अनुसार– ''समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों तथा आदतों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिये परमावश्यक है।''

ओटावे के अनुसार– ''समाज शिक्षकों से भरा हुआ है, वे सब जानबूझकर और चेतन एवं अचेतन रूप से व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतें हैं।''

समाज की सांस्कृतिक परम्पराओं के निर्माण से पर्याप्त समय लग जाता है । इसके निर्माण में कितने ही महापुरूषों, विद्वानों की संचित प्रतिभा का उपयोग होता है तथा परम्परागत् मूल्य प्रादुर्भूत होतें हैं, इन मूल्यों को आज की आधुनिकता ने विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे नैतिक मूल्यों में परिवर्तन के लिये विभिन्न कारण उत्तरदायी है। आज खेत खलिहान का स्थान कारखानों ने और घरों का स्थान नगरों की सड़कों ने ले लिया है। हमें आने वाली पीढ़ी के मनोभावों को समझना होगा। साथ ही उनको मूल्योन्मुख बनाना होगा। समाज इस कार्य को अपनी आदर्श प्रस्तुति से कर सकेगा। समाज विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप का आयोजन करके मूल्यों का आयोजन करके मूल्यों के विकास के लिये अवसर प्रदान कर सकता है।

उपसंहार

आज समाज की दिशाहीनता का सर्वप्रथम कारण शिक्षा की दिशाहीनता है शिक्षा और राष्ट्र विकास में कोई समन्वय नहीं है, महंगे विद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जब वास्तविक दुनिया में कदम रखता है तो स्वयं को ठगा महसूस करता है क्योंकि शिक्षा उसे जीवन से जोड़ ही नही पाती और वह हताश, निराश होकर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है जो उसके साथ साथ समाज को भी रसातल में ले जाता है । यदि परिवार के सदस्य ही अनुशासनहीन हैं, समाज की व्यवस्था

अत्यन्त संघर्षपूर्ण हैं, यदि राज्यधिकारी परस्पर तथा समाज के विरूद्ध दिशा में क्रियाशील होते हैं तो विद्यार्थी से विनयी और मूल्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा करना बेमानी है । वर्तमान भारतीय समाज में कमोबेश उपरोक्त स्थिति विद्यमान है । एक तरफ परिवार का संयुक्त से एक संरचना की ओर उम्मुख होना तो दूसरी तरफ अमीर–गरीब के बीच चौड़ी होती खाई देश के रहनुमाओं की परस्पर आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति तो दूसरी तरफ बाज़ारीकरण से प्रभावित शिक्षा पद्धति । आज का विद्यार्थी अपने वर्तमान के प्रति आक्रान्त, भविष्य के प्रति सशंकित है, वह दिग्भ्रमित है, ऐसे हालात में ज़रूरत है उचित मूल्यों के दर पर आधारित परम्पराओं और आधुनिकीकरण के समन्वय वाली ज्ञान और मूल्य की शिक्षा जो विद्यार्थी को उसके अस्तित्व का महत्व समझा सके।

व्यवसायीकरण और तकनीक विकास के वर्तमान युग में ''वैश्विक गांव' की उभरती अवधारणा ने एक यह विचार फैला दिया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े विद्यार्थी ही उच्च पदासीन हो सकतें हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों से हिंदी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों ने भी सफलता के कई मुकाम हासिल किये हैं और कर रहे हैं । यह जरूर है कि कम शिक्षा शुल्क वाले सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान शिक्षा, तकनीक शिक्षा, कार्यानुभव का तीव्रता से विकास कर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा सकती है जिसमें मितव्ययता के साथ सांस्कृतिक परम्पराओं और आधुनिकीकरण का समन्वय हो सकेगा । बहुत सम्भव है कि तब अभिभावक पब्लिक स्कूल के मोहजाल में नहीं फंसेगे।

दरअसल हम भूल जाते हैं कि शिक्षा सर्वप्रथम तो व्यवहार परिष्करण हैं । इसके साथ इद्रधनुषी रंगो (knowledge, attitude, skill, understanding, discipline, value, behavioural patteran) को जिस विद्यार्थी ने जीवन के कैनवास में बिखेर दिया उसकी जिंदगी कभी रंगहीन नहीं हो सकेगी....और इन सात रंगो का उच्च शिक्षा शुल्क से किंचित मात्र भी सम्बन्ध नहीं । महात्मा गांधी जी ने कहा था, ''जो शिक्षा चित्त शुद्धि ना करे, मन इंद्रियो को वश में रखना ना सिखाए, निर्भयता और स्वावलम्बन ना दे, निर्वाह का साधन ना बताए, गुलामी से मुक्त दिलाकर स्वतंत्र रहने का उत्साह और शक्ति ना उत्पन्न कर सके उस शिक्षा में कितनी ही जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य हो वह शिक्षा नहीं है।''

शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति के जीवन आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से सम्बधित हो, आधुनिक समाज की दो मुख्य विशेषताएं हैं –प्रथम, ज्ञान सूचना का प्रस्फुटन और दूसरा सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति। इन दोनों ही परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चलने वाली शिक्षा की अनिवार्य शर्त है मूल्यपरक शिक्षा । ज्ञान के विस्फोट के कारण आज शिक्षा सक्रिय

रूप से स्वयं खोज कर प्राप्त होने की और बढ़ रही है । अतः आवश्यक है कि ऐसा मूल्यपरक वातावरण हो जो विद्यार्थियों में सही ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें । उसकी सही मनोवृत्तियों का निर्माण करें ताकि वह स्वतंत्र हो तब भी जीवन के विषय में एक सही स्वस्थ्य सोच के साथ निर्णय ले सके । अपने स्व को समझे । जीवन के अर्थ को समझे कि जीवन में ऊंचाईयां के साथ गहराइयां भी जरूरी है । ज्ञान कितना है यह उतना महत्वपूर्ण नही, जितना कि उस ज्ञान का सही उपयोग कितना है और ज्ञान तो पूरे ब्रम्हांड में प्रकृति के कण कण में बगैर किसी प्राइस टैग के बसा है, अगर ऐसा ना हो तो अब्दुल कलाम जी जैसे कई प्रतिभावान के नाम से भी हम अनभिज्ञ होते, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों का युक्तिपूर्ण उपयोग कर अपनी असीम सम्भावनाओं को पहचान कर उसे स्वहित, सामजहित, राष्ट्रहित और विश्वहित के लिये उपयोगी और उत्पादक बना दें और साथ ही एक मूल्य परक समाज की स्थापना में भी कारगर भूमिका निर्वाह करें ।

अन्त में, हम कह सकतें हैं कि बालक में अनुकरण की मनोवृत्ति जनमजात होती है बाल किशोर का अनुकरण करतें हैं, किशोर अपने से बड़ों का अनुकरण करतें हैं और युवक प्रौढ़जनों का। प्रौढ़जनों हमारे शिक्षक, अभिभावक, राजनेता, प्रशासक एवं समाज तथा राष्ट्र के कर्णधार सभी आतें हैं, जब तक ये सभी व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि उन्हें समाज की नवीन सन्तति में मूल्यों का विकास करना है और उसके लिये उन्हें उनके समक्ष मूल्यों एवं आदर्शों की उपयुक्त, प्रस्तुति रखनी होगी, जिसका अनुकरण करके नवीन सन्तति के सदस्य अपने जीवन पथ को परिष्कृत करने में समर्थ हो सकेंगे। साथ ही वे समाज में योग्य नागरिक बनकर राष्ट्र को उन्नत एवं समृद्ध तथा गौरवशाली बना सकेंगे। इन प्रौढ़जनों को आदर्श प्रस्तुति पर ही शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थाओं से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वे भावी नागरिकों को मूल्योन्मुख बना सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. https://www.bhaskar.com/maharashtra/pune/city-blogger/blog/100354-- Dr.Omprakash Sharma
2. https://bookbharti.com/BookDetail.aspx?Bookld=348 - Dr. Maroti Pawar, Dr. Arvind Joshi
3. http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/3217/3/0#.VkQu1V74aeg
4. http://www.samaylive.com/editorial/290474/.html
5. http://yamunapathak.jagranjunction.com/2014/01/29
6. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा – जे.सी. अग्रवाल

SDIS-010

नियमित एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के शिक्षकीय मूल्य पर एक अध्ययन

डॉ. जयश्री वाकणकर

सहायक प्राध्यापक, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई, मो.नं. 9300223704

सारांश

नियमित शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के मूल्यों को छैः आयामों में जाँचा गया। ये आयाम है सैद्धान्तिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, आस्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य। इन मूल्यों को मापन के लिए मूल्यों की अभिसूची जिसे डॉ. श्रीमती हरभजन एल. सिंह व डॉ. एस. पी. अहलुवालिया ने निर्मित किया है, का प्रयोग किया गया है। इस शोधकार्य हेतु कुम्हारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 120 नियमित शिक्षकों तथा शिक्षाकर्मी शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। प्रदत्तों का संकलन कर विश्लेषित करने पर ज्ञात हुआ कि नियमित शिक्षकों और शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सैद्धान्तिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु आस्थिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, राजनैतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों में अन्तर पाया गया है।

प्रस्तावना

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक समाज के लिए और अपने लिए आवश्यक गुणों को विकसित कर सके। शिक्षक यदि उसमें शिक्षा का संचार करता है तब शिक्षार्थी के अन्दर सारे गुणों और मूल्यों का विकास होगा। राष्ट्र की शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है।

उद्देश्य

नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सैद्धांतिक, आर्थिक, आस्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक मूल्यों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

H_1 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सैद्धांतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

H_2 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के आर्थिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

H_3 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के आस्थिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

H_4 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सामाजिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

H_5 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के राजनैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

H_6 नियमित शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के धार्मिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

परिसीमा

यह अनुसंधान दुर्ग जिले के कुम्हारी के ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है।

न्यादर्श

इस शोध में शासकीय विद्यालय के नियमित एवं शिक्षाकर्मी 120 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

उपकरण

शिक्षक मूल्यों की अभिसूची जो कि डॉ. श्रीमती हरभजन एल. सिंह व डॉ. एस.पी. अहलुवालीया द्वारा निर्मित किया गया है।

निष्कर्ष

परिकल्पना H_1

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	90.66	14.32	2.49
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	85.00	10.00	
df = 118 P < 0.05 सार्थक है।				

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सैद्धांतिक मूल्यों में अन्तर पाया गया। क्योंकि नियमित शिक्षकों का मध्यमान 90.66 तथा प्रमाणिक विचलन 14.32 है शिक्षाकर्मी शिक्षकों का मध्यमान 85.00 तथा प्रमाणिक विचलन 10.00 दोनों के मध्य टी मूल्य 2.49 प्राप्त हुआ।

अतः परिकल्पना स्वीकृत हुई।

परिकल्पना H_2

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के आर्थिक मूल्यों में अन्तर पाया गया। नियमित शिक्षकों का मध्यमान 82.18 तथा प्रमाणिक विचलन 15.50 है। वह शिक्षाकर्मी शिक्षक का मध्यमान 80.55 तथा प्रमाणिक विचलन 14.45 है दोनों के मध्यमान का टी मूल्य 2.98 प्राप्त हुआ।

अतः परिकल्पना स्वीकृत हुई।

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	82.18	11.50	2.98
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	89.55	14.45	
df = 118 P < 0.05 सार्थक है।				

परिकल्पना H_3

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षक व शिक्षाकर्मी शिक्षकों के आस्थिक मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। नियमित शिक्षकों का मध्यमान 65.63 तथा प्रमाणिक विचलन 15.27 है। शिक्षाकर्मी शिक्षकों का मध्यमान 63.2 तथा प्रमाणिक विचलन 13.35 है। टी मूल्य 1.79 प्राप्त हुआ है।

अतः परिकल्पना अस्वीकृत है।

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	96.83	12.68	1.60
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	93.33	11.32	
df = 118	P > 0.05	सार्थक नहीं है।		

परिकल्पना H_4

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी शिक्षक के बीच सामाजिक मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। नियमित शिक्षकों का मध्यमान 82.18 तथा प्रमाणिक विचलन 15.50 है। वह शिक्षाकर्मी शिक्षक का मध्यमान 80.55 तथा प्रमाणिक विचलन 14.45 है दोनों के मध्यमान का टी मूल्य 2.98 प्राप्त हुआ।

अतः परिकल्पना अस्वीकृत है।

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	65.83	15.27	1.79
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	61.2	13.55	
df = 118	P > 0.05	सार्थक नहीं है।		

परिकल्पना H_5

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी शिक्षकों के बीच उनके धार्मिक मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। नियमित शिक्षकों के मध्यमान 105.26 है प्रमाणिक विचलन 11.47 है

तथा शिक्षाकर्मी शिक्षक के मध्यमान 102.76 प्रमाणिक विचलन 12.24 है जिसका टी मूल्य 1.25 प्राप्त हुआ है।

अतः परिकल्पना अस्वीकृत है।

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	105.26	11.47	1.25
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	102.76	12.24	
df = 118 P > 0.05 सार्थक नहीं है।				

परिकल्पना H_6

सारणी से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों और शिक्षाकर्मी शिक्षकों के बीच उनके धार्मिक मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। नियमित शिक्षकों के मध्यमान 84.73 तथा प्रमाणिक विचलन 17.13 है। शिक्षाकर्मी शिक्षक मध्यमान 88.00 व प्रमाणिक विचलन 17.82 है तथा दोनों का टी मूल्य 1.03 है।

अतः परिकल्पना अस्वीकृत है।

चर	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
नियमित शिक्षक	60	84.73	17.13	1.03
शिक्षाकर्मी शिक्षक	60	88.00	17.82	
df = 118 P > 0.05 सार्थक नहीं है।				

सार्वभौमिक निष्कर्ष

निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि नियमित शिक्षकों और शिक्षाकर्मी शिक्षकों के सैद्धान्तिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों के अतिरिक्त आस्थिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, राजनैतिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों में कोई अन्तर नही पाया गया केवल सैद्धान्तिक एवं आर्थिक मूल्यों में अन्तर पाया गया।

संदर्भ ग्रन्थ

1. गैरेट हेनरी ई., (1987) शिक्षा एवं मनोविज्ञान के सांख्यिकी, लुधियाना कन्याणी पब्लिशर्स।
2. शर्मा एवं अन्य, 2007, शिक्षा के दर्शनशास्त्रीय आधार, आगरा–2
3. सक्सेना स्वरूप, 2007, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत
4. त्यागी एवं पाठक, 2007, शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर

SDIS-011

शिल्पी परिवार के अध्ययनरत छात्रों में पारंपरिक शिल्प के प्रति रूचियों का अध्ययन

श्री सुभाष श्रीवास्तव

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर, मो.न. 94242–85358, ई–मेल subhashbastar@gmail.com

---

सारांश

बस्तर अपने कला एवं सस्कृति के लिये जाना जाता है, कला इनकी गोद में पलता है यहॉ की शिल्प कला की अपनी मौलिकता है शिल्पी परिवार अपने कलाकृति को पूरे लगन के साथ निर्माण करते है । अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि पारंपरिक शिल्प पूरा परिवार करता है। शिल्प निर्माण के समय अध्ययनरत बालकों के पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नही होती है। पारंपरिक शिल्प का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वह पढ़ाई के बाद भी यह कार्य निरन्तर रखना चाहेगें यह कार्य को सीखने में अत्यधिक रूचि है। यह कार्य उनके रोजगार का माध्यम हो सकता है किन्तु कुछ पारंपरिक शिल्प से जुड़े वयोवृद्ध से चर्चा से कुछ विशेष बाते प्रदार्शित होते है जो अध्ययन में उल्लेखित है। यह शोध का आशय यह है कि कही विकास कि दौड़ में ये अपनी कला एवं सस्कृति तथा धरोहर परिवार भूल न जायें।

प्रस्तावना

बस्तर अपने कला एवम् संस्कृति के लिए जाना जाता है । कला इनकी गोद में पलता है । यहां शिल्प कला की अपनी मौलिकता है । शिल्पी परिवार अपनी कलाकृति को पूरे लगन के साथ निर्माण करते हैं । शोध का आशय यह है कि कहीं विकास की दौड़ में ये अपनी कला एवं संस्कृति तथा धरोहर को न भूल जायें । कला के निरंतर प्रयोग एवं मांगों के कारण ये शार्टकट तो नहीं अपना रहे हैं । विकास की अंधी दौड़ में अपने कला संस्कारों को कहीं भूलते जा रहे हैं । इस शोध का आशय यह था कि शिल्पी परिवार के अध्ययनरत बच्चे इस पारंपरिक कला को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं ? इन परिवारों में रहने वाले बच्चे जो उस परिवेश में रहते हैं जहां उनका जीवन चलता है उन्हीं के बीच वो अध्ययन करते हैं क्या कला का प्रभाव उनके अध्ययन पर और अध्ययन का प्रभाव उनके कला पर पड़ता है, क्या इस ज्ञान को बच्चे सुरक्षित रख पाते हैं ? शिल्पी परिवार चाहते हैं कि इस पारंपरिक कला को उनके बच्चे सहेजें और पल्लवित हों, प्रस्फुटित होकर नित नवीन सृजन करें।

अध्ययन का औचित्य

हर समाज चाहता है अपने समाज को विकसित कर सुदृढ़ और समृद्ध करे सुव्यस्थित समायोजन के लिए अपनी पहचान अपनी भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करे ताकि उसके समाज की एक मौलिक पहचान हो। सामाजिक परिपक्वता इसके अनिवार्य अंग है, अपने समाज के स्थापत्य को निरंतर रखना चाहती है यही उसकी पहचान है वह शिल्पी परिवार अपनी धरोहर को भावी पीढ़ी को सौंपना चाहती है क्या भावी पीढ़ी इस धरोहर को सुरक्षित रख पायेगी । विकास की अंधी दौड़ में कहीं यह शिल्प कला इतिहास न बन जाये। यदि इस कला को सहेजा न जाये तो यह विलुप्त कला समाज की गौरव गाथा न बन जाये इसके लिए समाज के लोगों को इसे सहेजना जरूरी है तथा प्रोत्साहन ही इसे संबल प्रदान कर सकता है कला को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने से कला को संबल बनाया जा सकता है एवं आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में सहायक होगी।

पारंपरिक कला के माध्यम से समाज अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकता है और इस अभिव्यक्ति से समाज को निम्न लाभ हो सकते है –

1. कला को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने से कला को सबल बनाया जा सकता है। कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए एवं कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकेगी।
2. कला को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने से विद्यार्थी एवं अभिभावक के धनार्जन में सहयोग प्राप्त होगा। कला शिक्षण के माध्यम से बालक सर्वांगिण विकास किया जा सकता है।
3. कला को परिष्कृत किया जा सकेगा।
4. कला समाज का दर्पण होता है । समाज के विभिन्न स्वरूपों का दिग्दर्शन होता है। कला में संस्कृति की झलक मिलती है इसी कला से समाज को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होता है।
5. कला व ज्ञान के समन्वय से ज्ञान को स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण करने में सहायता प्राप्त होगी।

शोध प्रश्न

1. आपके घरों में कौन–कौन पारंपरिक शिल्प कारी होती है?
2. आपके घरों में कौन–कौन से शिल्प जो वर्तमान में किये जाते हैं?
3. पारंपरिक शिल्प जो आपके घरों में किया जाता है उन शिल्प के प्रति आपके बच्चों की रूचि कितनी है?

4. पारंपरिक शिल्प के स्वरूप में हो रहे बदलाव के प्रति बालक–पालक के रूझान में क्या परिवर्तन हो रहा है?

शोध के उद्देश्य

1. बस्तर के परंपरागत शिल्प की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेना।
2. वर्ततान में परंपररागत शिल्प के निर्माण में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्रियों की जानकारी।
3. परंपरागत शिल्प के प्रति विद्यार्थियों की रूचियों को जानना।
4. परंपरागत शिल्प में कौन–कौन से परिवर्तन दिखते हैं। उसे जानने का प्रयास।

शोध अध्ययन की सीमायें

1. यह शोध अध्ययन उन्हीं छात्र/छात्राओं के बीच किया गया जिनके पूर्वज पारंपरिक शिल्प कार्य करते हैं।
2. उन छात्र/छात्राओं का परिवेश चारों तरफ शिल्पकारी की जमावाड़ा होता है।
3. इस शोध अध्ययन में कुल 64 छात्र/छात्राअें को प्रश्नावली दी गई । जिनके पूर्वज पारंपरिक शिल्प कार्य करते हैं और उसी परिवेश में बालक अध्ययनरत है । इसमें माध्यमिक एवं हाई स्कूल के छात्र/छात्राओं को शामिल किया गया है । जिसमें 22 बालिकाएं, जिनके घर पारंपरिक शिल्पकारी होती है और 42 बालक जिनके घर पारंपरिक शिल्पकारी होती है।

शोध प्रविधि

1. शोध अध्ययन में उन छात्र/छात्राओं को शामिल किया गया है । जिनके पूर्वज पारंपरिक शिल्प कार्य करते हैं। और उसी परिवेश में छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं । शिल्प का प्रभाव उनके अध्ययन पर तथा अध्ययन का प्रभाव उनके शिल्प पर क्या प्रभाव पड़ता है।
2. न्याय दर्श में 64 छात्र/छात्राओं का समूह जिनके घर में पारंपरिक शिल्पकारी होती है।
3. उपकरण शोध अध्ययन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है तथा कुछ शिल्पी परिवार के बुजुर्गों से साक्षात्कार लिया गया है।

जनसंख्या

इस शोध के लिए उन सभी छात्र/छात्राओं को लिया गया है जो कक्षा छठवीं से कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत है तथा शिल्प परिवार से संबद्ध हैं।

न्यादर्श

इस शोध के लिए 64 छात्र–छात्राओं के प्रश्नावली जो शिल्प परिवार से हैं तथा जिनके घरों में पारंपरिक शिल्प कलाओं का निर्माण होता है ।

शोध उपकरण

इस शोध के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है तथा उन परिवारों के बुजुर्गों से भी चर्चा एवं बातचीत इसी सम्बध में किया गया है कि वास्तव में पारंपरिक शिल्प को बच्चे सहेजते हैं या नहीं ? शिल्प के प्रति उनकी रूचि कैसे और कितनी है ?

शोध प्रक्रिया

डाइट परिसर, बस्तर (छत्तीसगढ़) के आस पास रहने वाले शिल्प परिवारों में जाकर उनके घरों में अध्ययनरत बच्चों को यह प्रश्नावली दी गई और उस परिवार के अध्ययनरत बच्चे इस प्रश्नावली को पूर्णतः पढ़कर उत्तर प्रतिहस्ताक्षरित करें, इसके लिए विभिन्न प्रकार के शिल्प लौह शिल्प, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, पत्थर शिल्प, छिन्द का मौउड़, बेल मेटल (घड़वा), बांस का काम, पत्थर के लिए इन शिल्पकारों के घरों में जाकर उनके यहां रहने वाले छात्र/छात्राएं जो शालाओं में अध्ययनरत है उन्हीं छात्रों को चयन किया गया और प्रश्नावली वितरित की गई । इस शोध अध्ययन हेतु कुल 64 छात्र/छात्राओं को चिन्हित किया गया जिनके पूर्वज पारंपरिक शिल्प कार्य करते हैं तथा उसी परिवेश में बालक अध्ययनरत हैं । इसमें माध्यमिक एवं हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं को शामिल किया गया । जिसमें से 22 बालिकाओं तथा 42 बालकों के घरों में पारंपरिक शिल्पकारी होती है। इन छात्र/छात्रओं में प्रश्नावली वितरित की गई । प्रश्नावली के प्राप्त उत्तरों के अध्ययनों के पश्चात् निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया। माध्यमिक एवं हाईस्कूल के शिल्प परिवार में रहने वाले बच्चों की रूचियों का अध्ययन किया गया ।

प्रयुक्त सांख्यिकी

आंकड़ों का विश्लेषण सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं के तहत किया गया ।

प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

न्याय दर्श के 42 बालक एवं बालिकाएं से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के नियमित विद्यार्थी हैं ये सभी विद्यार्थी शिल्पकार कार्य करने वाले परिवार के सदस्य शिल्पकारी से जुड़े नहीं है चित्र 1 से पता चलता है कि 17 प्रतिशत विद्यार्थियों के परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में व्यस्त रहते हैं 25 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार में केवल माता–पिता ही यह कार्य करते हैं।

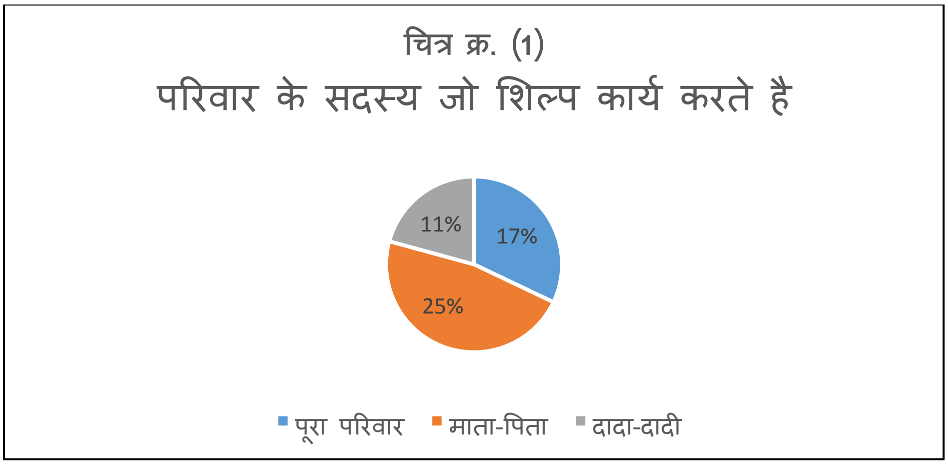

चित्र क्र. (1)
परिवार के सदस्य जो शिल्प कार्य करते है

न्याय दर्श में शामिल 11 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी थे जिनके परिवारों में केवल दादा–दादी यह कार्य करते हैं।

चित्र 2 इन परिवारों के शिल्प कार्य का विवरण दिया गया है सर्वाधिक 23 प्रतिशत परिवार लकड़ी का काम करते हैं।

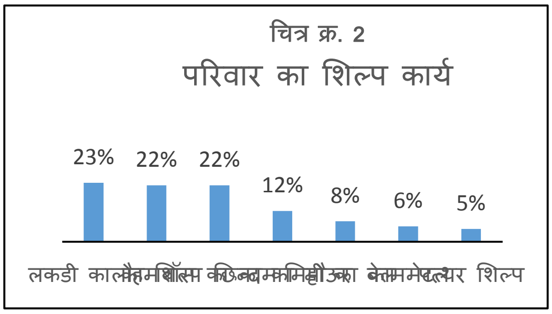

चित्र क्र. 2
परिवार का शिल्प कार्य

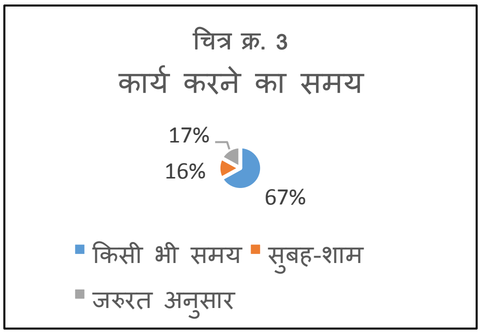

चित्र क्र. 3
कार्य करने का समय

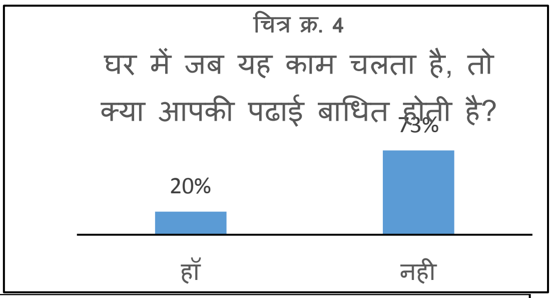

चित्र क्र. 4
घर में जब यह काम चलता है, तो क्या आपकी पढाई बाधित होती है?

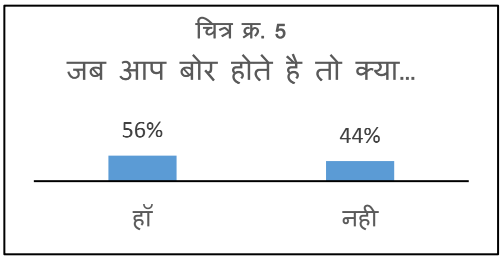

चित्र क्र. 5
जब आप बोर होते है तो क्या...

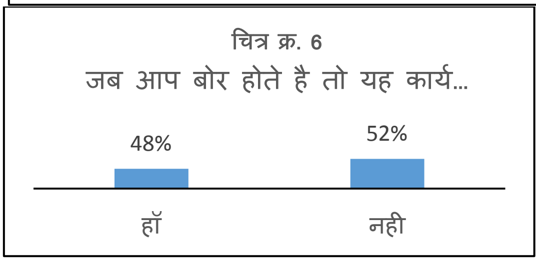

चित्र क्र. 6
जब आप बोर होते है तो यह कार्य...

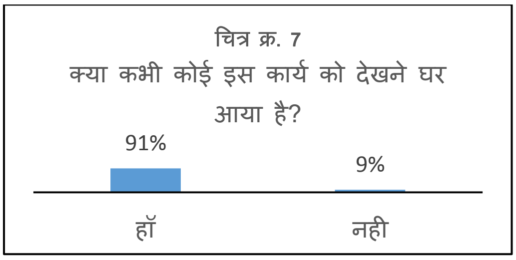

चित्र क्र. 7
क्या कभी कोई इस कार्य को देखने घर आया है?

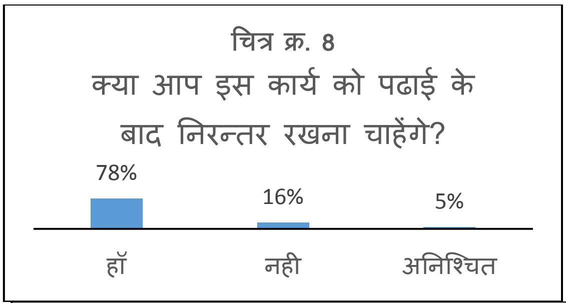

चित्र क्र. 8
क्या आप इस कार्य को पढाई के बाद निरन्तर रखना चाहेंगे?

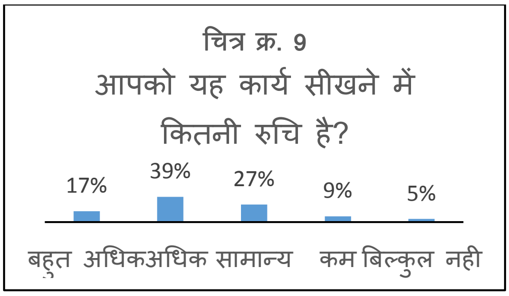

चित्र क्र. 9
आपको यह कार्य सीखने में कितनी रुचि है?

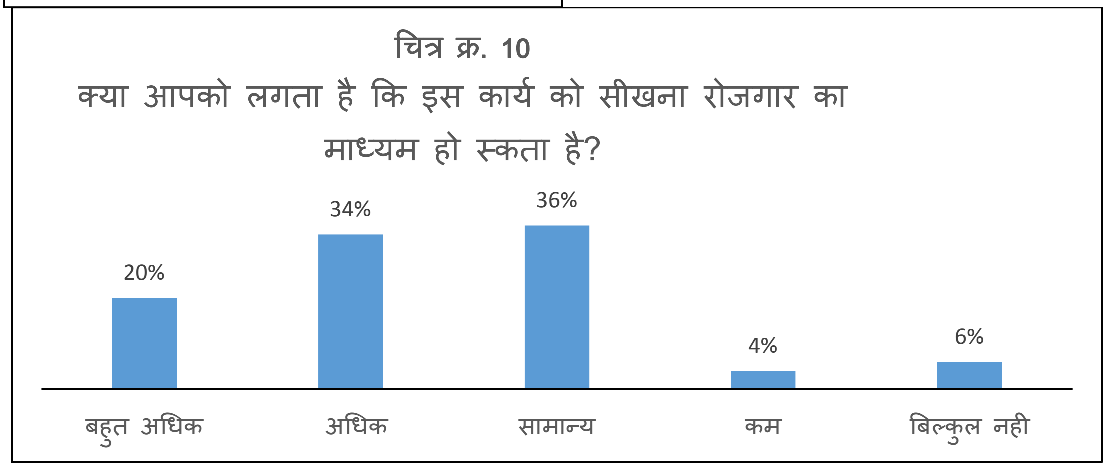

चित्र क्र. 10
क्या आपको लगता है कि इस कार्य को सीखना रोजगार का माध्यम हो स्कता है?

कार्यकारी बिन्दु

कला के इस शोध निष्कर्ष के आधार निम्न कार्यकारी बिन्दु प्रस्तुत हैः–

कला को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा विभाग अपनी एक रणनीति बनाये जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के नियमित विद्यार्थी है जो शिल्पकार कार्य करने वाले परिवार के सदस्य है उन बच्चों को इस

विधा का मुखिया बनाये तो बच्चे यह काम करने के लिए लालायित रहेंगें और शाला में अपना प्रभुत्व बनाएं रखेगें।

शिल्पकार अध्ययन में व्यवधान नहीं डालता अपितु एकाग्रता, रचनात्मकता, आनंददायी व सर्वांगिण विकास में योगदान प्रदान करता है।

न्यादर्श से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिल्पकारी में समय का सदुपयोग होता है।

- शिल्पकार्य और अध्ययन का कार्य साथ–साथ किया जा सकता है ।
- न्यादर्श के विद्यार्थियों ने बताया कि परिवारिक सदस्यों के साथ–साथ विद्याध्ययन भी करते हैं । परिवेश के साथ तारतम्यता स्थापित करते हैं ।
- शोध निष्कर्ष एवं अनौपचारिक चर्चा के दौरान कुछ बातें प्रदर्शित हुईं है, जो निम्नानुसार हैं–
  - शिल्प के प्रति प्रेम एवं जागरूकता तो है किन्तु सहेजने के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं।(चर्चा)
  - यदि शिल्पी विधाओं को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तो पारंपरिक शिल्प का उत्थान होगा।(चर्चा)
  - पारंपरिक शिल्प इनकी आय पूर्ति नहीं कर पाता तो इस कारण इनका रूझान नहीं हो पाता। (चर्चा)
  - ''परंपरागत शिल्प में कौन–कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं'' यह जानने का प्रयास किया गया ।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उक्त शोध पत्रों से छात्रों के उन व्यवहारों का पता चलता है जो पारंपरिक शिल्प परिवार से जुड़े हों । (चर्चानुसार)

1. आधार प्रश्नों के आधार पर सभी शिल्पकार यह बताते हैं कि शिल्पकारी जो वो करते हैं आज की पीढ़ी शिल्प के प्रति गंभीर नहीं है ।
2. काष्ठकला के संदर्भ में शिल्पकार यह बताते हैं कि हमारे में काष्ठों को काफी सम्भाल कर काटा जाता था ताकि जिसे कलाकृति टूटे नहीं किन्तु आज की पीढ़ी फेविकोल जैसा विकल्प है जो कि हर बिगड़ी चीजों को सुधारने का विकल्प रखते हैं।
3. आज के समय में शिल्पकार कलाकृति को जल्दी पूर्ण करने की जुगत में रहते हैं। आकृति मापदण्ड की सफाई पर विशेष पर ध्यान नहीं देते।

4. हर कलाकृति में पारंपरिक शिल्पकार अपने बीच अपनी नई तकनीक और विकल्प ढूंढते हैं।

उक्त अध्ययन छोटे न्यायदर्श से लिया गया है । इस विषय पर काम करने के लिए बड़े न्यायदर्श की आवश्कता है। यह अध्ययन के लिए डाईट परिसर के आस–पास रहने वाले पारंपरिक शिल्पकार के परिवारों के बच्चों को न्यायदर्श बनाया गया है।

SDIS-015

Education for Life : Value Based

Mrs.Dolly Aheer Yadav

Research Scholar, Mats University, Assistant Professor, Kruti Institute of Teacher Education, Raipur, Email:dollyaheer@gmail.com Mob.No.09827936927,9009531799

Abstract

आज शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार–प्रसार हो रहा है, शिक्षा की अनेकों संस्थाएं खुल रही हैं परन्तु हजारों की संख्या में अनेक प्रकार की उपाधियों से विभूषित छात्रों में नैतिकता, आदर्श, मूल्य एंव मानवीय गुणों का नितान्त अभाव है।

मानवता आज दो राहे पर खड़ी है । मानव धर्म के बुनियादी मूल्य यथा शांति सौहार्द्र, सहिष्णुता, त्याग, प्रेम व स्नेह आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। भौतिकतावाद की आँधी से आज विश्व का कोई देश अछूता नहीं है जिसमें भारत भी अपवाद नहीं है। सम्पूर्ण विश्व इस अंधी दौड़ में मानवता व मानव–मूल्यों को पीछे छोड़ चुका है। भारतवर्ष ने निःसंदेह आज विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में असीमित उन्नति हासिल की है। भारतीय तकनीकी संस्थानों यथा आई. आई. टी व आई. आई. एम. ने विश्वस्तरीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं चिकित्सको प्रबंधको का निर्माण किया है जिनकी ख्याति सारे विश्व में व्याप्त है। इसी प्रकार की उपलब्धियाँ हमने अन्तरिक्ष–उड़ान रक्षा तकनीक एवं परमाणु–ऊर्जा क्षेत्रों में हासिल की है। भारत की गिनती इन समस्त क्षेत्रों में चुनिंदा देशों में होती है किन्तु इस उन्नति का दूसरा पहलू निराश करने योग्य है। प्राचीनकाल का गौरवमयी इतिहास हमारी धरोहर है जो हमें विश्व की प्राचीन संस्कृति का दर्जा देते है। हमारे उपनिषदों ने हमें वसुधैव कुटम्बकम् अर्थात् सारा संसार मेरा परिवार है, सिखाया है। इसके बावजूद हम कभी धर्म, कभी क्षेत्र, जाति व यहां तक भाषा के नाम पर लड़ते है। मस्जिद, मन्दिर व अन्य धार्मिक स्थान गरीबी, महामारी, कुपोषण, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय व अकाल से भी बड़े मुद्दे हैं। हमें आज दुःखातुर पड़ौसियों व अपने देशवासियों की पीड़ा भी महसूस नही होती। हमारे नैतिक मूल्य धर्मान्धता व सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ चुके हैं। भारतीय आध्यात्मिकता व पंतजलि का अपरिग्रह जैसे आदर्श जो त्याग पर आधारित थे, आज कोई महत्व नही रखते। शिक्षा व मूल्यों के बीच खाई बढ़ती जा रही है । येन–केन प्रकारेण स्वार्थसिद्धि सबसे बड़े नैतिक–मूल्य बन गए है। वर्तमान काल में धर्म राजनीति का अखाड़ा बन गया है। खड़े–खड़े धर्माचारी व मठाधीश, जिन्हें त्याग व समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए आज अकूत संपति रखते हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते है। यह विडंबना नही तो और क्या है। अहिंसा आज परम धर्म बनता जा रहा है। दुनिया का कोई धर्म आपस में

बैरभाव रखना नहीं सिखाता किन्तु आज धार्मिक उपदेश किताबों व अनुष्ठानों तक ही सीमित रह गए है।

आज हम नैतिक मूल्यों व सद्–आचरण से दूर जा चुके हैं। जिसका उदाहरण आए दिन बढ़ते अपराध हैं। जिनकी खबर हम अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार के रूप में रोज पढ़ते है। बेशक हम महाशक्ति के रूप में उभर रहे है किन्तु हमारा चारित्रिक पतन होता जा रहा है। इस संदर्भ मे मुख्य चुनाव आयुक्त का यह विचार साधारण नहीं है । जब उन्हें यह कहना पड़ा कि भारतीय राजनीति एक असाध्य कैंसर बन चुकी है।

अतः आज हमारे लिए चिंता व चिन्तन दोनों का समय है। जबकि हम ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें।

जीवन के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

''भारत सहित सारे संसार के कष्टों को कारण यह कि शिक्षा का सम्बन्ध नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रहा गया है। यदि शिक्षण का अर्थ हृदय और आत्मा की अवहेलना है तो उसको पूर्ण नहीं माना जा सकता .... ''

सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन

(विश्वविद्यालय आयोग)

भूमिका

किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों का प्रतिबिम्ब होता है। मूल्यविहीन जीवन अर्थहीन जीवन के समान है। मूल्य–निर्माण में समाज व परिवेश को अद्वितीय स्थान प्राप्त है चूंकि व्यक्ति समाज–निरपेक्ष होकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान **इमाईल दुर्खीम** का मानना है कि ''समाज का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण ताने–बाने मे झलकता है । उसका भीतरी और बाहरी व्यवहार समाज की सामूहिक चेतना का दर्शाता है।'' इसलिए अनेक विचारकों ने समाज को एक नैतिक शक्ति माना है । नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास को बच्चे की पाठ्यचर्या को अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है । सम्भवतः यह आज समूचे भौतिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह विकास उन मानव–मूल्यों का प्रकार्य है । जिनके अभाव में कोई भी सामाजिक अन्योन्य क्रिया असम्भव होगी। स्पष्टः मूल्य–शिक्षा के बिना स्वयं शिक्षण प्रक्रिया ही अर्थहीन तथा अप्रासंगिक रह जाएगी। इसी लक्ष्य को आधार मानकर 12 सितम्बर, 2002 के अपने ऐतिहासिक

फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक मूल्य संबंधी शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया है।

आज शिक्षा व्यक्ति में स्वयं अपना ही मूल्य उत्पन्न नहीं कर पाती और न ही विद्यार्थियों में किसी प्रकार का नागरिक बोध जगा पाती है। अर्थात् एक नागरिक को किन–किन कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए । उसका समाज व राष्ट्र का महत्वपूर्ण सदस्य हाने के नाते क्या विशेष कर्तव्य होने चाहिए। इन सबके जवाब में कोई आशातीत उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुतः शिक्षा का अर्थ मात्र डिग्रियों का ग्रहण करना ही रह गया है ताकि एक अच्छी नौकरी पाई जा सके। इस प्रकार आज शिक्षा व्यक्ति में किसी भी प्रकार का नागरिक बोध व नैतिक–मूल्यों का संवर्धन नहीं कर पा रही है। परिणामस्वरूप समाज में अपराध, गला–काट प्रतियोगिता, भौतिकतावाद व व्यभिचार का जाल बिछ गया है। ऐसे में आवश्यकता है नैतिक मूल्यों की, शिक्षा की एवं विद्यार्थियों में नागरिक–बोध विकसित करने की जिससे शिक्षा के महान् उददेश्य अर्थात् चरित्र–निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके, जो कि प्रारम्भ से ही शिक्षा का आधार रहा है।

भारत के भावी नागरिकों को उपयुक्त मूल्यों की शिक्षा देकर उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को बदलना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई नीति एवं आयोग गठित किए गए। जिनमें भी नैतिक–मूल्य एवं नागरिक शिक्षा को महत्व दिया गया है।

(1) राधाकृष्णन् आयोग (1948–49) ने नैतिक–मूल्य एवं नागरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना है। आयोग के अनुसार विद्यालय स्तर पर छात्रों को नैतिक और धार्मिक सिद्धातों को व्यक्ति करने वाली कहानियां पढ़ाई जायें। छात्रों को महान् व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ाई जायें। जीवनियों में महान् व्यक्तियों के उच्च विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं का समावेश किया जाए। विश्वविद्यालय स्तर में संसार के धार्मिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्व के चुने हुए भागों को पढ़ाया जाए।

(2) श्रीप्रकाश समिति (1959) ने नैतिक मूल्यों के विकास हेतु सुझाव दिया। विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक उपयुक्त नैतिक–शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को संसार मे महान् धर्मों के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के रूप में समाज सेवा की भावना का विकास किया जाए।

(3) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने नागरिक–बोध एवं नैतिक–मूल्य सम्बन्धी शिक्षा को आवश्यक बताते हुए लिखा है –

विद्यालय स्तर : विद्यालय स्तर में विद्यार्थियों को आधारभूत नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए यथा–सत्य ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, पशुओं की पर दया, बुजुर्गो के प्रति सम्मान, दुःखी और दरिद्रों के प्रति सहानुभूति इत्यादि। उक्त मूल्यों को विद्यालय के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनायाा जाए। मूल्यों की शिक्षा देने के लिए समय–तालिका में प्रति सप्ताह कुछ घण्टे निर्धारित किए जांए। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संसार के सभी धर्मों को उचित स्थान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर भारत और संसार के महान् धर्मों से चुनी गई रोचक कहानियों द्वारा आधारभूत मूल्यों और समस्याओं पर शिक्षक में महान् धार्मिक और आध्यामिक नेताओं की कहानियां पढ़ाई जाएँ।

विश्वविद्यालय स्तर : आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्ति के सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य आदि की शिक्षा दी जाए। छात्रों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए भारत में अन्य देशों की सांस्कृति से सामग्री का संकलन किया जाए। डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में महान् धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जाएँ। द्वितीय वर्ष में संसार के धार्मिक ग्रंथो में से सार्वभौमिक महत्व के चुने हुए भागों पढ़ाया जाए। तृतीय वर्ष में धर्म–दर्शन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया जाए।

(4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में समाज में मूलभूत मूल्यों के ह्रास और बढ़ती अनास्था पर चिन्ता व्यक्त की गई है। इसमें शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में ढालने के लिए पाठ्यचर्या में समायोजन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। इसमें भारत की सांस्कृति बहुलता को स्वीकार किया गया है । कहा गया है कि 'शिक्षा को चाहिए कि हमारी जनता की एकता और अखंडता के हित में सार्वभौम और शाश्वत मूल्यों का विकास करें। इसमें पुरातनपंथ धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवाद के उन्मूलन में शिक्षा की लड़ाकू भूमिका का निरूपण किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि हमारी धरोहर, राष्ट्रीय लक्ष्यों और सार्वभौम विचारों पर खास ज़ोर देने तथा मूल्य–शिक्षा की सकारात्मक भूमिका में ही निहित है।

(5) राष्ट्रीय कार्यवाही योजना (1992) में मूल्य–शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचार्य का अभिन्न अंग बनाने हेतु बल दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों से नैतिक मूल्यों, सार्वभौम विचारों, चरित्र–निर्माण एवं नागरिक बोध पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें मान्यताओं, चरित्र–निर्माण एवं नागरिक बोध पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें पुरातपंथ धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अधविश्वास के विरूद्ध लड़ने तथा ईमानदारी, सच्चाई साहस, दृढ़ विश्वास, स्प्ष्टवादिता, निर्भयता, सहिष्णुता, न्याय के प्रति प्रेम, विश्वसनीयता, करूणा आदि मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया गया

है ताकि एक मानवीय समाज और संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो। इस तरह इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा मूल्य शिक्षा की कार्यसूची पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(6) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी रिपोर्ट (1992) का इस ओर संकेत करते हुए मानना है कि–मूल्यों की शिक्षा देते समय विषयवस्तु और पद्धति की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। फलतः यह विद्यालयों व अन्य शैक्षिक संस्थाओं का और विशेषकर अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि वे शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को इस भांति संचालित करनें कि बच्चे सही अर्थों में मूल्य–शिक्षा ग्रहण कर सकें। अध्यापक का विद्यार्थियों को मूल्य–शिक्षा प्रदान करन उनका एक ऐसा अपरिहार्य कर्म है जिसके उत्तरदायित्व से पलायन नही कर सकते । अध्यापकों द्वारा मूल्य–शिक्षा से पलायन का अर्थ है कि विद्यालय ही बन्द कर दिए जाएं।

नैतिक–मूल्यों का विकास–मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

विवेक और मूल्यों का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया में तत्काल ही आरम्भ हो जाता है। बाल्यकाल में बच्चे को झूठ न बोलने और चोरी न करने की शिक्षा दी जाती है। यह प्रारम्भिक नैतिक शिक्षा एक परिपक्व किशोर के मूल्यों के विकास की प्रक्रिया से भिन्न होती है।

बहुत से मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि प्रतिरूपण की प्रक्रिया से पुरस्कार और दण्ड का बोध होता है और ये छोटे बच्चों को सही और गलत के अन्तर का बोध कराते है। यह प्रक्रिया अनवरत् चलती रहती है। वे उस बच्चे के ऊपर, जो कि बाद में उसे ग्रहण कर लेता है, बाह्य नैतिकता को थोपकर सन्तुष्ट होते हैं। परिपक्वता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को मूल्यों का एक व्यवस्थित संकलन बनाने के लिए अन्ततोगत्वा इन सिद्धन्तों को विश्लेषित कर स्वीकार करना पड़ता है।

एक किशोरावस्था का बालक अपने स्वयं के मूल्यों की मूल्य प्रणाली बनाने या निर्धारित करने में असमर्थ हो सकता है, चाहे वह बनाना ही चाहता हो। अनुभावत्मक सिद्धान्तवादी यह मानते हैं कि एक व्यक्ति को इतनी योग्यता रखनी चाहिए कि वह अपने विवेक से यह निर्णय लेने में सक्षम हो कि सही नैतिक मूल्यों का दर्शन क्या है ? पांच या दस वर्ष का बच्चा अपना स्वयं का सिद्धान्त तैयार करने हेतु साधारणतः नैतिक क्षमतावान नहीं होता है। यह आवश्यक है कि सभी सम्भव विकल्पों पर विचार हो। वह इस योग्य होना चाहिए कि उसके कारणों तथा प्रभावूर्ण तर्क, सम्भावव्यता एवं प्रभाव पर पूर्ण रूप से विचार करने की योग्यता किशोरावस्था या उसके बाद की अवस्था तक विकसित नही हो पाती है और कभी–कभी तो किसी भी अवस्था में नही आ पाती है।

नैतिक–मूल्यों का विकास से संबंधित सिद्धान्त

नैतिकता तथा इसका विकास जो कि शताब्दियों से एक दार्शनिक विचार बना हुआ है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा लगभग पचास वर्षो से अध्ययन किया जाता रहा है। नैतिक मूल्यों के विकास का संबंध उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चे उचित और अनुचित अच्छे या बुरे सिद्धान्तों में अन्तर करने में समर्थ होते हैं । शोध का नैतिक मूल्यों के विकास में अधिकतर ध्यान नैतिक विवेक एवं नैतिक चरित्र के विकास में रहता है।

वे सिद्धान्त जिनसे बच्चा किस प्रकार सीखता है, नैतिक परिणाम, हावभाव एवं चाल–ढाल बनते हैं और उसके स्तर को अपनाता है ? ये सब नैतिक विवेक के अन्तर्गत आते हैं। नैतिक चरित्र, परिस्थितिजन्य आवश्यकता, नीतिशास्त्र सम्बन्धी गतिविधियों में वास्तविक व्यवहार का दर्शाता है । प्रथम ज्ञान एवं विवेक सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया को अपनाता है जबकि दूसरा असामान्य या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों में विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है।

प्याजे का नैतिक विकास सिद्धान्त

प्याजे ने अपने सिद्धान्त को दो भागों में बांटा है –

1. प्याजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धान्त को छोटी कहानियों एवं लघु कथाओं में नैतिक प्रश्न पूछकर एवं उसके नैतिक तर्क सुनकर प्रतिपादित किया उन्होने नैतिकता को बच्चों के सामाजिक नियम, समानता एवं लोगों के प्रति न्याय की भावना के रूप में देखा । उन्होनें पाया कि सामाजिक नियमों का ध्यान संबंधित ढांचा माता–पिता एवं बड़ों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है बच्चों में न्यायिक भावना सामाजिक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है।
2. दूसरी अवस्था को उन्होनें स्वनियंत्रित नैतिकता अथवा आन्तरिक नैतिकता कहा जो कि 10–12 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के बच्चों के बीच परस्पर संबंधों से उत्पन्न होती है जिसमें बच्चा विकास करता है और आन्तरिक नैतिक नियमों को मानता है।

नैतिक–मूल्यों के विकास से संबंधित कुछ शोधपत्र एवं शोध लेख

भटनागर, आर.पी. (1981) ए डिफरैशियल स्टडी ऑफ वैल्यूज ऑफ मेल ग्रेजुएट्स इण्डियन साईक्लॉजिकल एब्सट्रैक्ट्स 19 (स्पेशल) 31

इस लेख में विषयों के संदर्भ में पुरूष स्नातकों के मूल्यों का विश्लेषण है। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र से 80 विद्यार्थियों के तीन समूह लिए गये। इस अध्ययन के लिए आपोर्ट वरनोन लिंडले की स्केल के तर्ज पर हिन्दी मे एक मूल्य पैमाना विकसित किया गया। लेखक ने पाया कि

चुने हुए समूहों के मूल्यों और साधारण छात्रों की संख्या के मूल्यों में अन्तर था और समूह के भीतर भी अन्तर था । चर्चित मूल्य थे कलात्मक, आर्थिक और सामाजिक। समूहों के लिए सामाजिक मूल्य न्यूनतम महत्व के थे। इनके बाद कला और वाणिज्य के विद्यार्थियों ने आर्थिक मूल्यों को वरीयता दी। जबकि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कलात्मक मूल्य आर्थिक मूल्यो से अधिक महत्वपूर्ण थे।

जायसवाल,एस. आर (1982) एजूकेशन फॉर सोशल मोरल एण्ड स्प्रिचुअल वैल्यूजः, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका 8,5–6

इस लेख का उद्‌देश्य सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, उन नैतिक मूल्यों की शिक्षा है जो बच्चे को मानवीय स्वभाव के युवक में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए ज़रूरतें सुझाई गई है कि एक मूल्य आधारित शिक्षा नीति लाई जाए जो बच्चों को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और आध्यत्मिक उच्चता से परिचित कराए। अध्यापकों को भी ज़रूरी है। वे मूल्य आधारित शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठायें । सभी अध्यापकों को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य के विकास हेतु मिलकर कार्य करना पड़ेगा। उनका मूल्य शिक्षा की तकनीकों और उपायों से परिचित होना जरूरी है।

अविनाशलिंगम टी.एस (1983) इन कलेक्शन ऑफ सोशल एथिकल एण्ड स्प्रिचुअल वैल्युज इन एजूकेशन, जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन 20 (1)

प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट युवकों के चरित्र एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा में सम्मिलित करने के बारे में है। घर और परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्थाओं, पेशेवर संगठन और सामाजिक समूह जिनमें लोग पैदा होते हैं, इन मूल्यों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । लेखक मूल्य निर्माण की बहुत विधियां प्रस्तुत करता है। जिसमें वह अध्यापन, प्रशिक्षण, पाठ्‌यक्रम और समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में विचार का प्रसार करने से ही हो सकता है।

गुप्ता, के. (1984) ए कम्पीटीटिव स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ दी चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग तदर्स प्रोगेस ऑफ 58 (8) 193–96

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य नौकरीपेशा और गैर–नौकरीपेशा माताओं के किशोर लड़के और लड़कियों में नैतिक मूल्यों की तुलना है। नैतिक विवेक परीक्षण (सिन्हा और वर्मा) कानपुर के 200 किशोरों पर लागू किया गया। परिणाम इस आम धारणा के विपरीत थे कि नौकरीपेशा माताएं व्यस्त होने के कारण बच्चों की देखभाल पर अधिक समय नहीं लगा सकती। इस अध्ययन का

निष्कर्ष था कि नौकरीपेशा माताएं बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक है।

सिंह, एल.सी. और सिहं.पी (1986) इकेक्टिवनेस ऑफ वैल्यू क्लेरीफाइंग स्ट्रेटजीज इन वैल्यु ओरिएंटेशन ऑफ बी.एड स्टूडेंट्स, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली इण्डिया

बी.एड. के प्रशिक्षु अध्यापकों में मूल्य विकास कि लिए मूल्य स्पष्टीकरण उपायों की पहचान अध्ययन का उद्देश्य है। इसके साथ ही इनकी तुलना प्रशिक्षु अध्यापकों में मूल्य उन्मुखता के विकास की शिक्षा के परम्परागत उपायों से करना और एस.ई.एस. और मूल्योन्मुख बुद्धि के बीच के सम्बन्धों का अध्ययन। नमूने के चार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के 113 प्रशिक्षु अध्यापक थे। आँकड़े संग्रहण के लिए उपयोग किये उपकरण थे (1) कैटेल का कल्चर फेंयर इंटेलिजेंस स्केल–3 (फार्म ए), कुलश्रेष्ठ का सामाजिक–आर्थिक स्तर स्केल (फार्म ए–अरबन) और वैल्यू ऑरिएंटेशनटेस्ट वैटरी (कुलश्रेष्ठ सिंह, जंगीरा और रैना) । निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि मूल्य स्पष्टीकरण विधि अधिक कारगर थी। मूल्य शिक्षा के पारम्परिक तरीकों से अध्यापक के पेशे के प्रति लगाव, सहयोग, दो कॉलेजों के प्रशिक्षणार्थियों के बीच में राष्ट्रभक्ति, एक कॉलेज के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए मूल्य, परिश्रम, राष्ट्रभक्ति और अध्यापन के लगाव के सम्बन्ध में। सभी दोनों मूल्यों में मूल्योन्मुख अंक प्राप्ति, बुद्धि और सी.ई.एस में कोई सम्बन्ध नहीं मिला।

सैमुअल, के. (1995) कैन वी डिवलप वैल्यूज अमंग फ्यूचर सिटिजन्सः इण्डियन साइक्लॉजिकल एब्स्ट्रैक्स एण्ड रिव्यू 2(2) 314

लेख में भारत जैसे विकासशील देश में 'मूल्य अस्पष्टता' और 'व्यवहारिक असमानता' के कारण मानवीय मूल्यों के ह्रास की चर्चा है। मूल्य निर्माण के चार तत्वों की पहचान की गई है। अन्तर्निहित गुण, परिवार, स्कूल और शिक्षा तथा खुला समाज। उचित प्रकार के मूल्यों के विकास को शिक्षा संस्थाएँ किस प्रकार सुगम बना सकती है, इसकी रूपरेखा प्रदान की है।

मंत्री, एस. (1996) नई तालीम में मूल्य शिक्षाः नई शिक्षा नीति के संदर्भ में परीक्षक 76, 46–51

लेखक ने मूल्य शिक्षा और वर्तमान शिक्षा के संयोजन की वर्णनात्मक प्रस्तुति की है। लेख में मूल्य शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न आयोगों की सिफारिशों का जिक्र किया है। कुछ मुख्य विषय जिन पर चर्चा की गई है ये हैः विभिन्न प्रकार के मूल्य जैसे ईमानदारी और सच्चाई । साथ ही किसी विशेष समुदाय के लिए मूल्य शिक्षा और मूल्य शिक्षा के लक्ष्य।

शर्मा, आर. (1997), ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर एवं नैतिक मूल्यों का अध्ययन शिक्षा भारती 2 (2) 20–23

यह पृथक–पृथक सामाजिक–आर्थिक समूहों के बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास का अध्ययन है। इसमें सर्वेक्षण आधारित आँकड़ो का उपयोग किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि सामाजिक–आर्थिक स्तर नैतिक मूल्यों की शिक्षा की आवश्कता है। देहाती बच्चों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए नैतिक मूल्यों का शक्तिशाली निर्णायक है। देहाती बच्चों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के अनुरूप विशेष रूप से बनाया गया है । मूल्य शिक्षा का समुचित कार्यक्रम मूल्य विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है।

व्यास, एम.सी. (1997) व्यवहारिक जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, राजस्थान बोर्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन 2,10–24

लेख में मूल्यपरक व्यवहार के महत्व की चर्चा है और दृढ़ नैतिक चरित्र निर्माण में परिवार तथा स्कूल में बच्चे की दैनन्दिन गतिविधियों की चर्चा है। क्रियात्मक मूल्य शिक्षा नैतिक, आध्यात्मिक और सनातन मूल्यों का मार्ग साफ करती है। मूल्य शिक्षा देने के लिए परिवार और स्कूल की भूमिका पर जोर है। यह अध्यापक से आग्रह करता है कि नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विद्यार्थियों के सामने आदर्श का काम करें।

जायसवाल, एस.आर. (2000) मूल्यों का विकासः जर्नल ऑफ वैल्यू एजूकेशन नवम्बर पेज 80–86

लेखक ने भारतीय संस्कृति में अन्तर्निहित मूल्य प्रणाली का वर्णन किया है जैसा कि पारम्परिक साहित्य में दर्शायाा है यथा चार पुरूषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष) गीता में वर्णित गुण (सत्व, राजस और तामस) और योग की विधि आदि। ऐसा आग्रह है कि इन सभी विधियों का उपयोग मूल्य शिक्षा के लिए और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए होना चाहिए।

अम्बश्ट, एन.के. और सिंह, ए. (2001) इनकल्केशन ऑफ वैल्यूत ऐट सेकेण्डरी स्टेज, जर्नल ऑफ वैल्यू एजूकेशन। (1) 44–54

इस लेख में प्राचीन भारत में शिक्षण विधि पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों को गुरूकुलों में कठोर चरित्र प्रशिक्षण और मूल्य शिक्षा के दौर से गुजरना पड़ता था। उनसे कठोर अनुशासन का जीवन, पवित्रता और सबसे बढ़कर नैतिक चरित्र के कठोर नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती थी। लेखक के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्तरों के छात्रों में मूल्य शिक्षा की अति आवश्यकता है। ये मूल्य प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि धर्मशास्त्रों से लिए जा सकते है। तैतरीयउपनिषद् सिखाता है कि विद्यार्थी अपने अध्यापक को भगवान के समान माने।

उपसंहार

नैतिक–मूल्यों के संबंध में प्राप्त उपरोक्त शोधपत्र एवं शोध लेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि समाज आज विघटन और संक्रान्ति काल से गुजर रहा है। आस्था, विश्वास शान्ति व सद्भाव जैसे मानवीय व नैतिक मूल्य आज अपना अस्तित्व खोते हुए नज़र आ रहे हैं । व्यक्ति आज भीड़ में अकेला होकर रह गया है, पारिवारिक बंधन कमज़ोर हो रहे है। बाज़ारवाद व भौतिकवाद सबसे बड़े मूल्य बन गये है। एक राष्ट्र के रूप में हमनें भौतिक उन्नति में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं । अन्तरिक्ष भेदने से लेकर परमाणु बम तक हमारी उपलब्धि है किन्तु मानवीय धरातल पर हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। नागरिक को उसके कर्तव्य भी संविधान द्वारा याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. *जे प्याजे–''द मोरल ऑफ दी चाइल्ड'' फ्री प्रेस, न्यूयार्क 1965 पृ. 99*
2. *कालबर्ग लारेन्स : डवलपमेन्ट ऑफ मोरल केरेक्टर एण्ड मोरल आइडियोलॉजी इन चाइल्ड, एम.एल. हॉफमैन एण्ड एल. डब्ल्यू. हॉफमैन (एडिटर्स) रिव्यू ऑफ चाइल्ड डवलपमेन्ट रिसर्च, वोल्यूम नं. न्यूयार्क – 1974 पृ. 505*
3. *ए. बान्द्रा एण्ट आर. एच वाल्ट्र्स सोशल लर्निंग एण्ड पर्सनल्टी डवलपमेन्ट–हॉल्ट, रिचार्ट एवड विन्सटन, न्यूयार्क 1963 पेज 102*
4. *सी.आर. रोजर्स : टुवार्डस ए मॉडर्न एप्रोच टु वेल्यूज दी वेल्यूइंग इन दी मेच्योर पर्सन जनरल ऑफ एबनॉरमल एण्ड सोशल साइकोलॉजी– 1964, पेज 163*

SDIS-016

हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) पुष्पा शर्मा एवं डॉ. माधुरी सिंह, डॉ. सरोज बघेल

सहायक प्राध्यापिका, (शिक्षा विभाग) मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका कुरूद रोड, भिलाई नगर

सारांश

भारत में महिलाओं के सम्मान की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जहाँ एक ओर सीता, सावित्री जैसी महिलाएँ पौराणिक काल में हुई हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियाँ हमारी आराध्य हैं। नारियाँ आज भी विभिन्न प्रकार की विपदाओं से घिरी हुई हैं। इनसे मुक्ति पाये बिना वह समाज में सहीं अर्थों में समानता का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती हैं। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे– महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा योजना, बाल विवाह संबंधी बुराईयाँ, दहेज प्रथा, विधवा उत्पीड़न, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी, तथा अधिकार देना आदि कई प्रयास किये जा रहे हैं। इन समस्त कुप्रथाओं के बावजूद कई प्रयास ऐसे भी किये जा रहे हैं जिसमें सरकार की भागीदारी है। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये समाज में कई नवीन नीतियाँ बनाई गई हैं तथा इनसे संबंधित कई अधिनियम पारित किये गये हैं। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप आज भारतीय नारियाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों से सुसज्जित है। फिर भी महिला इन समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई है। आज भी उसका समय–समय पर शोषण हो रहा है। इसके उदाहरण हम रोज समाचार पत्रों में कई तरह से देख सकते हैं। जैसे–नीता लोधी हत्याकांड, आरूषी हत्याकांड, बलात्कार, बालिका भ्रूण हत्या आदि के रूप में इस अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा विभिन्न पदों के आधार पर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है।

भूमिका

समाज के संगठन में स्त्रियों की स्थिति समाज की दशा की परिचायक है। जिस समाज में स्त्रियों की दशा उतनी ही अधिक गिरी हुई होगी। उनकी स्थिति उतनी नीची होगी, वह समाज उतना ही अवनत माना जायेगा। इस देश के चिंतक मनीषी समाज सुधारक और प्रशासन सदैव इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि महिलाओं की विशेष सम्मान मिलता है किंतु मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आयी। वर्तमान में उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है और कई क्षेत्रों में इन्होंने आश्चर्यजनिक प्रगति की है। महिलाएं शिक्षित हो ज्ञान – विज्ञान

के क्षेत्रों में इन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति की है। महिलाएँ शिक्षित हो ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि विकास की रफतार के साथ भारत की महिलाओं की जीवन शैली में अद्‌भुत परिवर्तन आया है किंतु वर्तमान युग में हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाली छात्राओं में विकास की स्थिति में अंतर है। वे आज भी विभिन्न समस्याओं, शिक्षा समाज के क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। भारतीय समाज में स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं, छात्राओं के स्वावलंबन के प्रयास के लिये कई ठोस कदम उठाये गये हैं।

समस्या कथन

आवश्यकता की पूर्ति में उत्पन्न होने वाली बाधा को हम समस्या के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत लघुशोध के द्वारा जिस समस्या का चयन किया गया है वह निम्नानुसार हैः–

"हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन पर तुलनात्मक अध्ययन"

अध्ययन के उद्देश्य

शोधकर्त्ता ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निम्न बिंदुओं पर अध्ययन किया हैः–

- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन का तुलनात्मक अध्ययन।
- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की स्वतंत्रता का मापन करना।
- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की सहभागिता का मापन करना।
- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की क्षमता विकास का मापन करना।
- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की निर्णय क्षमता का मापन करना।
- हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की आत्म निर्भरता का मापन करना।

परिकल्पनाएँ :–

समस्या की सार्थकता को देखते हुए परीक्षण हेतु निम्नलिखित शुन्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया हैः–

H_0 : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

H_{01} : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

H_{02} : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

H_{03} : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की सहभागिता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

H_{04} : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के क्षमता विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

H_{05} : हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के सामाजिक, रातनीतिक व कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

न्यादर्श

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध में शाधकर्त्ता ने न्यायदर्श के रूप में 100 किशोर छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। इसमें 50 हिन्दी माध्यम की किशोर छात्राओं तथा 50 अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं का चयन किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध में उपकरण के रूप में डॉ. (श्रीमती) पुष्पा शर्मा द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्षः– प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसार निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

H_0 : हिन्दी तथा अंग्रेजी की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के स्वावलंबन का सांख्यिकीय विश्लेषण

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	185.5	36.81	1.78
अंग्रेजी माध्यम	50	201.62	30.11	

Df= 98 $p>0.05$ सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर नहीं है। **अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

H_{01} : हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की अधिकर एवं स्वतंत्र अस्तित्व का सांख्यिकीय विश्लेषण

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	27.62	5.32	0.45
अंग्रेजी माध्यम	50	28.08	4.95	

Df= 98 $p>0.05$ सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर नहीं है। **अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

H_{02} : हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की आत्मनिर्भता एवं आत्मविश्वास में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	25.64	4.78	2.91
अंग्रेजी माध्यम	50	29.22	4.32	

Df= 98 $p>0.05$ सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर नहीं है। **अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

H_{03} : हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं की सहभागिता में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	26.64	5.45	2.19
अंग्रेजी माध्यम	50	28.92	4.91	

Df= 98 $p<0.05$ सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर है। **अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

H_{04} : हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के क्षमता विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	27.62	5.32	0.45
अंग्रेजी माध्यम	50	28.08	4.95	

Df= 98 p>0.05 सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर नहीं है। **अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

H_{05} : हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम की किशोर छात्राओं के सामाजिक व कानूनी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

वर्ग	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी–मूल्य
हिन्दी माध्यम	50	25.64	4.78	2.91
अंग्रेजी माध्यम	50	29.22	4.32	

Df= 98 p<0.05 सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष : सार्थक अंतर है। **अतः परिकल्पना अस्वीकृत होती है।**

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज के वर्तमान परिवेश अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व हो या आत्मविश्वास या आत्मनिर्भता हो उनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। देखा जाय तो निर्णय में या सहभागिता में तथा कानूनी, सामाजिक, राजानैतिक जागरूकता में हमें अंतर दिखाई देता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि आज अंग्रेजी माध्यम की छात्राओं की अपेक्षा हिन्दी माध्यम की छात्राओं में कहीं न कहीं सहभागिता एवं कानूनी सामाजिक राजनैतिक जागरूकता की कमी है।
अतः आज के वर्तमान परिवेश में उन्हें इस हेतु आगे लाने के लिए हमें ऐसे संभव प्रयास करने होंगे कि उनके प्रति लोगो का विश्वास बढ़े एवं उन्हें ऐसी सुविधाएँ दी जाएं जिनसे वे अपने, कानूनी, अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें।

संदर्भित ग्रंथ की सूची

डॉ. सेन गुप्ता व्ही "महिला स्वावलंबन का आधार" चेतलक–वैश्वीकरण के दौर में नारी चेतना (2011) पृष्ठ नं. 35–39.

डॉ. टण्डन आर. पी "महिला स्वावलंबन का आधार", चेतलक–वैश्वीकरण के दौर में नारी चेतना (2011) पृष्ठ नं. 35–39.

कपित एच.के. एनुवल रिपोर्ट (1993–94) लिटरेसी कंपेन्स इन इंडिया, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ नं.–4, 154, 155.

तोमर एवं तोमर "अनुसंधान विधियाँ व्यवहार परक विज्ञानों में" हर प्रसाद दुर्भाव, पुस्तक प्रकाशन 41230, कचहरी घाट, आगरा, सप्तम संस्करण (1992–93), पृष्ठ नं. 22, 23, 44.

पाठक पी.डी. "अनुसंधान विधियाँ", प्रकाशन 5(1), मार्च–मई (2007), पृष्ठ नं. 106.

बड़ोदिया, एच. एवं शर्मा "अनुसंधान विधियाँ", प्रकाशन 36, मार्च–मई (2007) पृष्ठ नं.–99.

मिश्रा, आर.पी. "छत्तीसगढ़ विवके, कला, संस्कृति, वाणिज्य एवं विज्ञान" की त्रैमासिक शोध पत्रिका, वर्ष, षष्टम अंक 1, सत्र जनवरी–मार्च (2007).

SDIS-017

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि के अंतः क्रिया का प्रभाव

डॉ.सुनीता रानी

शिक्षक पंचायत, भास.पूर्व माध्य.भाला डूमर, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

वर्तमान अनुभवात्मक अध्ययन में विद्यार्थियों की बुद्वि ,सांवेगिक बुद्वि, लिंग का शैक्षिक उपलब्धि के निर्धारण में भूमिका का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 256 छात्र एवं 256 छात्राओं का चयन यादृिच्छक विधि से किया गया । प्राप्तांको के आधार पर बुद्वि एवं सांवेगिक बुद्वि के दो–दो समूह (निम्न एवं उच्च) का निर्माण किया गया। इस प्रकार अध्ययन में 2×2×2 कारकीय अभिकल्प का प्रयोग किया गया हैं। चयनित प्रयोज्यों की शैक्षिक उपलब्धि मापन के लिए स्वयं द्वारा निर्मित शैक्षिक उपलब्धि मापनी का प्रयोग किया गया हैं । जिसकी विश्वसनीयता का अर्द्वविच्छेद विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक 0.989 तथा तर्क युक्त समानता गुणांक 0.91 प्राप्त हुआ हैं। परीक्षण की विषय वस्तु वैधता ज्ञात करने के लिए कारक विश्लेषण किया गया जिसमें केवल एक कारक पर सभी विषयों की लोडिंग सार्थक पाई गई। परिणाम से स्पष्ट होता है कि बुद्वि, सांवेगिक बुद्वि तथा लिंग के अतःक्रिया का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक नहीं पाया गया।

भूमिका

प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों के उपलब्धि का मूल्यांकन लिखित परीक्षा में अर्जित अंक के आधार पर होता रहा है। वर्तमान में अनेक जगहों पर अंक की जगह ग्रेड देने की प्रथा की गई है परंतु इसमें उच्च व्यक्तिनिष्ठता की समस्या रहती है। किस मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण माना जाये इसमें प्रशिक्षकों में मत भिन्नता हो सकती है। किसी मानक के अभाव में यह भिन्नता केवल बहस का मुद्दा नहीं बल्कि एक वास्तविक समस्या ही बन जाती है। चूंकि वर्तमान काल में व्यक्तिगत छात्र की योग्यता का महत्व प्रतियोगात्मक समाज में बहुत बढ़ चुका है। इसलिये ऐसी व्यक्तिनिष्ठता की समस्या सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है तथा मूल्यांकन के बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ जा रहा है।

लिखित परीक्षा में परीक्षा देने का कौशल एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु है। कुछ विद्यार्थी अपने सीमित अर्जित ज्ञान एवं कौशल को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर देते हैं जिसके कारण कम अकादमिक उपलब्धि के बावजूद उनके द्वारा अर्जित अंक अधिक हो जाता है। भारत में केन्द्रीय स्कूली शिक्षा

बोर्ड ने अकादमिक उपलब्धि के मापन की दृष्टि से लिखित परीक्षा के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया है जिसके आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, गृहकार्य की पूर्णता, कक्षाकार्यों में सहभागिता, चर्चा–परिचर्चा में भाग लेना, इत्यादि सम्मिलित है। इसके बावजूद शिक्षकों द्वारा किये जा रहे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है।

मापन की समस्याओं के बावजूद अकादमिक उपलब्धि का आशय स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी द्वारा एक अवधि के दौरान किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का स्तर, उस विशेष पाठ्यक्रम में उसकी अकादमिक उपलब्धि होती है। वर्तमान में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन में निष्पादन, गृहकार्य में पूरा किया गया कार्य, कक्षा कार्यों में सहभागिता, चर्चा में भाग लेना, इत्यादि मापन के आधार हैं। इस प्रकार की प्रणाली में –

1. व्यक्तिनिष्ठता एक समस्या रहती है। शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्रों में लोगों की निष्पादन क्षमता का मापन भी एक समस्या है,
2. मापन परीक्षा में परीक्षा कौशल महत्वपूर्ण हो गया है, जिसका अकादमिक क्षेत्र में बहुत महत्व नहीं है, तथा
3. कक्षा शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन में व्यक्तिगत विभेदन तथा सीखने की शैली पर बहुत विचार नहीं किया जाता तथापि संस्थाओं में इन्हीं आधारों पर मूल्यांकन होता है तथा इसमें प्रदत्त अंक विद्यार्थियों के अकादमिक उपलब्धि का द्योतक होता है।

अकादमिक साख को उपलब्धि के संकेतक के रूप में लिया जाता है। अकादमिक उपलब्धि पर विभिन्न कारकों के प्रभाव से संबंधित अध्ययनों के विश्लेषणों से यह बात स्पष्ट होती है कि शोध के प्रारंभिक दौर में 'अकादमिक उपलब्धि पर कुछ एक कारकों का प्रभाव' अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषयवस्तु हुआ करता था परंतु अलग–अलग अध्ययनों में अलग–अलग कारक लिये जाने के फलस्वरूप यह बात स्पष्ट नहीं होती थी कि किस कारक का क्या महत्व है। वर्तमान में अनेक ऐसे अध्ययनों का परिणाम सामने आया है, जिसमें अधिविश्लेषण (meta analysis) के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि अनेक कारक अकादमिक उपलब्धि से पंक्तिगत संबंध रखते हैं, जबकि अनेक कारकों का संबंध पंक्तिगत नहीं होता है।

शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अनेक योग्यता संबंधी कारक हैं जिनमें बुद्धि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कहा गया है। बुद्धि के आधार पर शाला निष्पादन की अच्छे से व्याख्या की जा सकती है। "बुद्धि एक अति सामान्य मानसिक क्षमता है जो चिंतन की योग्यता, योजना निर्माण,

समस्या समाधान, अमूर्त चिन्तन, जटिल विचार को समझने, शीघ्र सीखने तथा अनुभव से सीखने में सलंग्न होती है। यह केवल पुस्तक के अधिगम, सीमित अकादमिक कौशल या परीक्षा में कुशलता मात्र नहीं है बल्कि यह अपने वातावरण को समझने, चीजों को सही परिपेक्ष्य में ग्रहण करने, उसका अर्थ लगाने या क्या करना चाहिये, को तय करने की विस्तृत और गहन क्षमता है।"

अनेकों शोध अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि सांवेगिक बुद्धि तथा अकादमिक उपलब्धि में उच्च धनात्मक सहसंबंध होता है। Le Page & Pamela (1997); Pillot (1997); Stewart (1998); Abisamara (2000); Brackett & Mayer 2000; Lam & Kirly (2002); Bar-On (2003); Dragan (2004); Parker et.al. (2004); Manzie (2005), इत्यादि ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि जिनकी सांवेगिक बुद्धि उच्च होती है, उनकी अकादमिक सफलता उच्च पाई जाती है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि सांवेगिक बुद्धि विशेष रूप से संवेगो का प्रबंधन हमारे सामाजिक अंतःक्रिया को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह मित्रों के साथ अंतःक्रिया की गुणवत्ता को निर्धारित करता है तथा प्रभाव प्रबंधन में भी सहायक होता है (Lopes, Brackett, Nezlek, Schutz, Sellin & Salovey, 2005) । जहॉ तक बुद्धि तथा जीवन में सफलता के बीच संबंध का प्रश्न है तो अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि से निष्पादन का बहुत कम संबंध है (Mayer, 1998)A Maslaw (1954) ने स्पष्ट किया कि बुद्धिलब्धि से विवेक (wisdom) का बोध वहीं होता है। Mc Ceulland (1975) के अनुसार बुद्धि से यह पता नहीं चलता कि अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति कैसा निष्पादन करेगा। Sternberg, Wagner, Williams & Hovarth (1995) ने वर्णन किया कि बुद्धि, वास्तविक जीवन के अनुभवों की व्याख्या में असफल रहा है। Singh & Kumar (2009) के अनुसार यदि बुद्धि का संबंध अकादमिक उपलब्धि पर दिखाई देता है तो वह केवल कक्षा की स्थिति तक सीमित है, वास्तविक जीवन में अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण है।

सांवेगिक बुद्धि को व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं पेशागत सफलता हेतु एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है (Bala, 2011)। यह भी कहा गया कि सांवेगिक बुद्धि को विकसित किया जा सकता है (Goleman, 1998)। यह भी कहा जाता है कि प्रौढ़ावस्था में बुद्धि नहीं बढ़ सकती है वहीं सांवेगिक बुद्धि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है (Cohen, Swerdlik, 2002; Tori, Nauriyal & Bhalla, 2006)। सांवेगिक बुद्धि का व्यक्तिगत एवं पेशा जीवन में सफलता के लिये बुद्धि की तुलना में यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो कम से कम बराबर का महत्वपूर्ण कारक माना गया है (Covey, 1996; Goleman, 1998) परंतु इस बात को लेकर अध्ययन नहीं है कि व्यक्ति के लिये बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि एक समान हैं या नहीं (Singh, 2001)। परंतु यह स्पष्ट है कि बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि, दोनों के उच्च रहने पर पेशा जीवन में अच्छी स्थिति बनती है। Ciarrochi et. al., (2000) ने यह स्पष्ट किया कि

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामान्य बुद्धि का व्यवसाय, पेशा या व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिये कोई महत्व नहीं है। Lam & Kirby (2002) जैसे शोधकर्त्ता यह प्रमाणित करते हैं कि संज्ञान आधारित निष्पादन पर बुद्धि की तुलना में सांवेगिक बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण हैं। Goleman (1988) का दावा है कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की उसके जीवन में सफलता का लगभग 80% तक निर्धारित करती है। बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं बल्कि ये अलग–अलग गुण हैं (Goleman, 1995) तथा सांवेगिक बुद्धि को जीवन में सफलता एवं खुशी की दृष्टि से बुद्धि पर वरीयता प्राप्त है। Goleman (1998) के अनुसार यह वरीयता चार गुना है।

इस प्रकार प्रकार अकादमिक उपलब्धि तथा बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि के बीच संबंधों को लेकर हुये अध्ययनों से यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि –

1. बुद्धि, अकादमिक उपलब्धि को किस प्रकार तथा कितना निर्धारित करती है,

2. सांवेगिक बुद्धि, अकादमिक उपलब्धि को किस प्रकार तथा कितना निर्धारित करती है तथा

3. बुद्धि तथा सांवेगिक बुद्धि दोनों चर आपस में अंतः–क्रिया करते हुये किस प्रकार अकादमिक उपलब्धि का निर्धारण करते हैं।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि अंतःसांस्कृतिक दशा में ये दोनों महत्वपूर्ण चर किस प्रकार कार्य करते हैं तथा विशेष रूप से मध्य भारत के विद्यार्थियों के उपर इनकी क्या भूमिका होती है । यह भी महत्वपूर्ण है कि दोनों चरों को लेकर हुये अध्ययन अलग–अलग स्तर के विद्यार्थियों के उपर संपन्न हुये थे अतः क्या इनके परिणामों का सामान्यीकरण एक समान रूप से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के उपर किया जा सकता है अथवा नहीं।

उपरोक्त अस्पष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस शोध की रूप रेखा तय की गई जिसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि मध्य भारत, विषेश रूप से छत्तीसगढ़ प्रांत में उच्च माध्यमिक भाालाओं के विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में उपलब्धि के निर्धारण में बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका होती है, तथा उनका विद्यार्थियों के लिंग भिन्नता की स्थिति में क्या परिणाम होता है। इस विषय में इस अध्ययन का उद्‌देश्य तथा शोध की परिकल्पनां निम्नानुसार ली गई है।

उद्‌देश्य

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि के अंतःक्रिया क प्रभाव का अध्ययन करना ।

परिकल्पना

लिंग, बुद्वि एवं सांवेगिक बुद्वि के बीच अतःक्रिया के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं के बीच शैक्षिक उपलब्धि पर भिन्नता पाई जायेगी।

अभिकल्प

प्रस्तावित अध्ययन में स्वतंत्र चर के रूप में तीन कारकों सांवेगिक बुद्वि, बुद्वि एवं लिंग को लिया गया है। तीनों चर के दो–दो स्तर लिये गये । अध्ययन में 2×2×2 कारकीय अभिकल्प का प्रयोग किया गया हैं। जिसमें सांवेगिक बुद्वि के दो स्तर निम्न तथा उच्च, बुद्वि के दो स्तर (निम्न तथा उच्च) एवं लिंग के दो प्रकारों (छात्र एवं छात्राओं) को लिया गया। अध्ययन में परतंत्र चर में छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि को लिया गया है।

अध्ययन में 256 छात्र एवं 256 छात्राओं को कक्षा 10 से यादृच्छक आधार पर लिया गया हैं तथा उनका बुद्वि एवं सांवेगिक बुद्वि का मापन किया गया हैं तथा इन्हें दोनो चरों पर उच्च तथा निम्न समूह के चयन के लिए 35 एवं 65 शंता ीय मान को आधार बनाकर लिया गया हैं। ऐसे में आधे प्रयोज्य निकलने के बाद बचे हुए प्रयोज्य अभिकरण 2×2×2 के योजना में लिए गये हैं।

उपकरण

सांवेगिक बुद्वि के मापन के लिए मंगल एवं मंगल (2004) का मंगल सांवेगात्मक बुद्वि मापनी का प्रयोग किया गया।

बुद्धि के मापन के लिये कैटल (1973) द्वारा विकसित Test of "g", Culture Fair Scale 3, Form A के हिन्दी संस्करण का उपयोग किया गया। यह परीक्षण संस्कृति मुक्त प्रकार का है, जिसमें सांस्कृतिक पदों को नहीं रखा गया है, तथा इस कारण यह परीक्षण अंर्त–सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में बुद्धि का मापन करता है।

शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु स्वयं निर्मित शैक्षिक उपलब्धि मापनी का उपयोग किया गया है।

परिणाम एवं व्याख्या

शैक्षणिक उपलब्धि में लिंग, बुद्धि तथा सांवेगिक बुद्धि के अंतःक्रिया के प्रभाव के प्रकार्य के रूप में औसत प्राप्तांक

बुद्धि	सांवेगिक बुद्धि	लिंग		एफ अनुपात (df=1,242)	सार्थकता
		छात्र	छात्रायें		
निम्न समूह	निम्न समूह	40.10	46.32	.000	NS
	उच्च समूह	42.13	45.47		
उच्च समूह	निम्न समूह	41.91	46.87		
	उच्च समूह	44.79	46.80		

लिंग बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि के अंतः क्रिया के लिए एफ अनुपात का मान 0.000 मिला हैं जो कि सार्थक नही हैं। इस प्रकार लिंग बुद्धि एवं सांवेगिक बुद्धि तीनो ही चरो के आपसी अंतः क्रिया का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक नही हैं। और ये सभी चर एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित नही करते हैं। परिणाम स्पष्ट करते हैं कि छात्राये, छात्रों की तुलना में उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करती हैं। विवेचना से स्पष्ट होता हैं कि ऐसा छात्राओं में अधिक श्रम के कारण के होता हैं । अतः छात्रों को अधिक श्रम हेतु शिक्षक एवं अभिभावको को उन्हें प्रोत्साहित एवं निर्देशित करना चाहिए ।

संदर्भ

- *Abisamra, (2001). The relationship between emotional intelligence and academic achievement in elevent grads. Research in Education : D 661. Montgomery :Auburn University.*
- *Bala, T. (2011). Psycho-social Predictors of Emotional intelligence. Unpublished Doctoral Dissertation, Pt. Ravi Shankar Shukla University Raipur.*
- *Ciarrochi, J. C. A., Chan, & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 29, 185-195.*
- *Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2002). Psychological testing and assessment : An Introduction to Tests and Measurement (5th ed). New York : Mc Graw-Hill*
- *Covey, S. R. (1996). Unstoppable teams. Executive Excellence, 13 (7), 7-9.*

- *Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence : Why it can matter more than IQ. New York : Bantam Books.*
- *Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam books.*
- *Lam, L. T., & Kirby, S. L. (2002). Is emotional intelligence an advantage? An exploration of the impact of emotional and general intelligence on individual performance. The Journal of Social Psychology, 142 (2), 133-143.*
- *Le Page, L., & Pamela, (1997). Exploring patterns of achievement & intellectual development among academically successful woman from disavanted background. Journal of College Student Development, 38 (5), 468-478.*
- *Lopes, N., Brackett, A., Nezlek, J. B., Schutz, A. S., & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and social intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 30 (8), 1018-1034.*
- *Manzie, T. A. (2005). Emotional intelligence and social and academic competence in middle school youth. Dissertation Abstracts International, 66(6), 2104-A.*
- *Maslow, A. L. (1954). Motivation and personality. New York: Harpar and Row*
- *Mc Celland, D. C. (1975). Power : The inner experience. New York. Irvlington press.*
- *Parker, J. D, Summer feldt, L. J., Hogan, M. J., & Majeski, S. A. (2004). Emotional intelligence and academic success: Examining the transition form high school to university. Personality & Individual Differences, 36 (1), 163-172.*
- *Singh, G., & Kumar, G. (2009). Emotional intelligence among convent and saraswati school teachers.* ***.*** *Psycho-lingua, 39 (2), 139-141.*
- *Singh. D. (2001). Emotional intelligence at work. A Practical Guide, New York : Prentice-Hall India Pvt. Hd.*
- *Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M. and Harvath, J. (1995). Testing common sense. American Psychologist, 50, 912-927.*
- *Stewart, J. H. (1998). Practical intelligence ; Assessing its convergent and discriminant validity with social, emotional and academic intelligence. Dissertation Abstracts International, 58(8), 4504B.*
- *Tori, C., Nauriyal, D. K., & Bhalla, S. (2006). Repoted in Balo. Emotional Intelligence : A Defining Parameter of Professional Success.*

SDIS-021

जीवन के लिए मूल्य परख शिक्षा

डॉ. (श्रीमती) संगीता श्रीवास्तव

सहायक प्राध्यापिका (शिक्षा विभाग), मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका रोड कुरूद, भिलाई

sangitacollege12345@gmail.com, neetu.rupnarayan@gmail.com, Mobile 9685710968

सारांश

आज समाज में चारों ओर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। आज की भीड़ भरी दुनिया में, भौतिकता की आँधी में,सांप्रदायिकता की बाढ़ में, प्रतिस्पर्धा की होड़ में, स्वार्थपरता की तूफान में हमारे सभी नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य बहते चले जा रहे हैं। इस ह्रास के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। आज समाज में सामान्य व्यक्ति की यह धारणा है कि मेहनत, मजदूरी एवं ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति पीस रहे हैं और झूठ एवं फरेब का रोजगार करने वाले व्यक्ति निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर हैं। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है। इस धारणा ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता, सत्य के प्रति अनास्था, स्वकर्त्तव्य के प्रति उदासीनता, अनुत्तरदायित्व आदि को जन्म दिया है। इनके फलस्वरूप समाजोत्थान का मार्ग अवरूद्ध हो गया है। अतः आज की विसंगतियों में समाज तथा उसके प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व हो जाता है कि वह मूल्यों के विकास पर बल दे क्योंकि मूल्यविहीन राजनीति एवं शिक्षा विनाश की ओर ले जायेंगे न कि विकास की ओर।

जीवन के लिए मूल्यपरख शिक्षा

"मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाने का श्रेय उन उदांत जीवन मूल्यों को है जिनके माध्यम से वह अपना सात्विक जीवन बिता रहा है । वस्तुतः किसी भी राष्ट्र का मूल्यांकन वहाँ जन समाज के आचरणगत मूल्यों के आधार पर ही होता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक परंपरगत संस्कृति होती है जिसका सृजन उन मूल्यों के आधार होता है, जिनके वहाँ के महापुरूषों ने अपने

जीवन में अपनाया है। वस्तुतः उन मूल्यों के और उनके माध्यम से ही उनका चरित्र एवं व्यक्तित्व गौरवमय बनकर स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ है ।"

जीवन में सफलता का आधार वास्तव में शिक्षा में निहित है। समय के साथ–साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा को समाजीकरण का सशक्त साधन मानते हुए इसके द्वारा वैयक्तिकता व नागरिकता के गुणों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। आजकल हम शिक्षा को व्यवसायोन्मुख करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व हस्तांतरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा द्वारा विकल्पों में से उत्तम को चुनने की कुशलता विकसित होनी चाहिए। उत्तम विकल्प के चयन की प्रक्रिया वास्तव में मूल्य प्रक्रिया है। आज हम पूर्णतः स्वतंत्र रहकर अपने हित को सर्वोपरि रखकर प्रायः विकल्प चुना करते हैं परंतु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि चुनाव के समय हम देश हित या सामाजिक हित पर ध्यान नहीं दें। पूरी शिक्षा वास्तव में मूल्य निर्धारण की ही प्रक्रिया है।

शिक्षा की वर्तमान स्थिति

आज हम बहुत आधुनिक हो गये हैं क्योंकि अब हम 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं । जिसमें बदलाव या परिवर्तन की हवा इतनी तेज है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक आदि मूल्य उड़कर गायब होते नज़र आ रहे हैं। तकनीकी प्रगति ने हमें इतना आधुनिक बना दिया है कि हम सिर्फ मशीन बनकर रह गये हैं। भावनाओं का तो बिलकुल अंत ही हो चुका है। वर्तमान मानव जगत यह सोचने के लिए विवश हो गया है कि हम कैसा मानव बनें ? संपूर्ण मूल्यों से मुक्त या संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ? भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की जो लहर चल पड़ी है उसने इतिहास, सभ्यता संस्कृति तथा साहित्य का सर्वनाश कर दिया है । पाश्चात्यीकरण की आँधी ने रहे सहे मूल्यों को भी नेस्तानाबूद कर दिया है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे–पीछे भागता व्यक्ति इतना पागल हो गया है कि अब वह सांस्कृतिक मूल्यों से बिल्कुल अंजान हो गया है। वह सुख–सुविधा पूर्ण समाज संपूर्ण उपभोग में लिप्त है । अधिक से अधिक नश्वर सांसारिक वस्तुओं का संचय ही उसके जीवन का परम उद्देश्य है। शायद भोग–विलास की वस्तुओं का अत्यधिक संचय ही उसके लिए मोक्ष है, शिक्षा जो हमें मूल्य सिखाती है उसका भी बाजारीकरण हो गया है। बाजारीकरण का कारण है कंपनीकरण । कंपनियों का हावी होना केवल शिक्षा के निजीकरण तक सीमित नहीं है, इससे शिक्षा की बुनियाद, कॉर्पोरेट जगत के मान्य उद्देश्यों जरूरतों, मानवीय संसाधनों की उसमें चल रही स्पर्धा आदि के अनुरूप सफलता हासिल करने वाली बनती जा रही

है। बाज़ारीकरण के इस युग में शिक्षा पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई जिसका विपरीत प्रभाव शासकीय या सामाजिक अगुवाई वाले शैक्षिक कार्यों पर भी पड़ा है।

शिक्षा संबंधी विभिन्न दार्शनिकों के विचार– स्वामी विवेकानंद के अनुसार "शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है"। शिक्षा कैसी हो ? इसके बारे में बताते हुये उन्होंने कहा कि "हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारा आचरण बनाये, हमारे मानसिक बल को बढ़ाये, बौद्धिकता का विकास करे और जिसके द्वारा मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाये ।" महात्मा गाँधी जी ने कहा कि मेरे अनुसार "शिक्षा से तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का सर्वतोन्मुखी विकास करना ।" शंकराचार्य ने कहा "शिक्षा मनुष्य को आत्म ज्ञान कराती है। मूल्यवान शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित हो। जिससे मनुष्य का संतुलित एवं सर्वतोन्मुखी विकास हो सके। मूल्यविहीन शिक्षा के कारण ही आज व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति हेतु समाज के दायित्वों की अनदेखी करता जा रहा है। मनुष्य अपनी स्वार्थपरता के कारण शाश्वत मूल्यों को भूल गया है।

प्रकृति की सुदंरता स्वर्णिम है। पुष्प में सुगंध, नदी के जल की स्वच्छता, ओस के बूँदों की पारदर्शिता नैसर्गिक तौर पर है। जिसका सौंदर्य अद्भुत है परंतु मानव की सुदंरता खो गई है। इसका कारण पाश्चात्य सभ्यता और दूषित वातावरण का प्रभाव है। आज की शिक्षा प्रतियोगिता भावना से युक्त है। सृष्टि के विनाश की शिक्षा तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रदान की जा रही है। तभी तो ज्यादा से ज्यादा अणु शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मान–सम्मान, धन–दौलत रूतबा इन सभी से हम भौतिक जगत में तो ऊपर उठ जायेंगे परंतु मूल्यों के जगत में सबसे निम्न स्तर पर पहुँच जायेंगे। जीवन की पूर्णता का अर्थ है– भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि, ऐसी स्थिति में शाश्वत मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक है। मूल्यपरक शिक्षा प्राप्त करके बालक अपने संस्कार और सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण कर सकता है। 21वीं सदी की शिक्षा मूल्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रही है, सब तरफ अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। महान शिक्षाविद् भी सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि हम भावी पीढ़ी को डॉक्टर, इंजीनियर या उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बनाएँ या सबसे पहले इन्हें इंसान बनायें जो उच्च नैतिक मूल्यों से पूर्ण हों। डॉ. राधाकृष्णन ने भी शिक्षा व्यवस्था के पतन को देखते हुये घोषित कर दिया था कि आध्यात्मिक पुनरूत्थान के बिना वैज्ञानिक उपलब्धियाँ विनाश का कारण बनेंगी। 21वीं का मानव आत्मा और शरीर का संबंध तथा उसकी सार्थकता को नहीं समझ पा रहा है, इसी कारण वह अपने लक्ष्यों को निर्धारित नहीं

कर पा रहा है। वर्तमान शिक्षा को यदि मूल्य युक्त बनाना है तो शिक्षा के मूल्य, महत्व एवं उद्देश्य का सही ढंग से समझना होगा और प्राचीनकाल की संस्कारयुक्त शिक्षा और सभ्यता को अपनाना होगा, मूल्य और सभ्यता को पहचान कर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि– "वेदों की ओर लौटो ।"

मोहम्मद बशीर ने भी कहा है कि "संपूर्ण संसार मूल्यों के ह्रास के भयंकर दौर से गुजर रहा है। घातक हथियारों, नशीले पदोर्थों एवं देह व्यापार जैसे तीन प्रकार के व्यापारों ने समाज की गति को रोक लिया है । यह एक अत्यंत ही हानिकारक स्थिति है। मूल्य ह्रास की इस स्थिति से निकलने के लिये वर्तमान पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है।

मूल्यों की उत्पत्ति संस्कारों से होती है। बालक में अच्छे संस्कार एवं मूल्यों के विकास में माता–पिता, शिक्षक एवं आस–पास के वातावरण की भी अहम भूमिका होती है। इस भौतिकवादी युग ने अभिभावकों एवं बच्चों तथा शिक्षकों और छात्रों के मध्य दूरी और बढ़ा दी है। भौतिकवादी युग में अभिभावकों के पास इतना समय नहीं रहता कि बालकों को संस्कारयुक्त शिक्षा देने के लिये समय निकाल सके और जिससे विद्यार्थी संस्कारयुक्त हो सके और इसके कारण पारिवारिक विघटन रूक सके।

मूल्य एवं आध्यात्मिक शिक्षा हमारे व्यक्त्वि को सुदृढ़ बनाती है। मूल्यों की शिक्षा को जब पाठ्क्रम में शामिल कर लिया जाता है तब एक विशिष्ट आदर्श व मूल्यसंपन्न नागरिक बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

वर्तमान की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि विद्यालय बच्चों में उचित मूल्यों का निर्माण करने में अक्षम है और इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालयों को अपने इस उत्तदायित्व को पूरा करना चाहिए।

इस संबंध में वर्तमान में अनेक गतिविधियों को लागू किया गया । जैसे मोदीजी के स्वच्छता अभियान, बेटी है तो जहाँ है, में कन्या भ्रूण हत्या बंद करो जैसे अनेक कार्यक्रम के जरिए वर्तमान युवा पीढ़ी को जागरूक करने को प्रयास किया गया जो आज की महती आवश्यकता है। आगे भी से प्रयास नए प्रयास किये जाएँ ।

अतः आज भौतिकवादी युग में युवा वर्ग को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो संस्कारयुक्त, मूल्ययुक्त शिक्षा दे सके और मानव का निर्माण कर सके जिससे राष्ट्र विकसित हो सके। ऐसा तभी संभव है जब छात्र शिक्षकों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- डॉ. पाण्डेय रामशुक्ल, डॉ. मिश्र करूणाशंकर(2011): मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण, विनोद पुस्तक हाउस आगरा।
- प्रो. रूहेला सत्यपाल(2009): मूल्य शिक्षाः– क्या,क्यों,कैसे, अग्रवाल प्रकाशक, आगरा।
- शर्मा आर.के., दुबे श्री कृष्ण(2007): मूल्यों का शिक्षण, राधा प्रकाशन,आगरा।

शोध पत्रिका

- डॉ. गोयल सुनीता (2015): शिक्षामित्र, अंक 7(3), P-23
- डॉ. शर्मा राखी, डॉ. पंडित सोनाली (2015): एडेसर्च जनरल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, vol. 6, NO 2, P.122

Shodh Darpan (Special Issue) Part-II, January-2016, Vol-1, No-4 , ISSN No- 2454-1516

SDIS-024

महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण

डॉ. विजयलक्ष्मी बाजपेयी
क्राईस्ट कॉलेज, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग., भारत

प्राक्कथन

महिलाएॅ साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जिनकी संख्या लगभग पुरूषों के समान ही होती हैं। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है, विशेषतया हिन्दू समाज में पुरूष के अभाव में स्त्री को तथा स्त्री के अभाव में पुरूष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी माना गया है। धीरे–धीरे स्मृतिकाल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गये और पुरूषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आयी। इन्हें परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिलाओं में साक्षरता की दर 18.33 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता 27.16 और महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी। 2011 में भारत की साक्षरता की दर 74.04 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46 थी। नारीशक्ति धन और ज्ञान का प्रतीक मानी गयी है।

विभिन्न युग में नारी की स्थिति

1. वैदिक युग– संभवतः वैदिक युग हिन्दू साज का स्वर्ण युग था। इस युग में नारी की स्थिति न केवल अच्छी थी बल्कि अत्यंत उन्नत थी।
2. मध्यकालीन युग– इस युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गयी। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिये संबंध में नियमों को और भी कठोर बना दिया। इस युग में केवल स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार के संबंध में कुछ सुधार हुआ तथा विधवाओं को पति की सम्पत्ति का कुछ अधिकार मिला।
3. आधुनिक युग– स्वतंत्रता के पूर्व तक ।

सामाजिक निर्योग्यता– शिक्षा, नौकरी, समिति एवं संघ का अधिकार नहीं था।

आर्थिक निर्योग्यता– सन् 1937 से पहले स्त्रियों को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे।

पारिवारिक निर्योग्यता– माता के रूप में स्त्री की स्थिति कुछ अच्छी थी लेकिन पति के रहते तक ही। पत्नी के रूप में स्थिति काफी दयनीय थी । पुत्री के रूप में स्थिति और भी चिन्ताजनक थी। विधवा के रूप में स्त्री की बहुत दुर्गति होती थी।

राजनीतिक निर्योग्यता– सन् 1919 तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार पूर्णतः नहीं था। 1919 की सुधार योजना में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्न प्रान्तीय परिषद पर छोड़ दिया। 1935 के विधान में भी इस संबंध में कोई विशेष सुधार नहीं हुए और स्त्रियों को मताधिकार केवल उनकी शिक्षा, पति की स्थिति, सम्पत्ति आदि के आधार पर दिया गया।

महिलाएं साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जिनकी संख्या लगभग पुरूषों के समान ही होती है। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है । विशेषतया हिन्दू समाज में पुरूष के अभाव में स्त्री को स्त्री के अभाव में पुरूष अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी माना गया है। धीरे–धीरे स्मृतिकाल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गये और पुरूषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आयी। इन्हें परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया।

वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति –

वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परम्परागत स्थिति में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक स्थिति में सुधार, परिवार और विवाह के संबंध में उच्च स्थिति, उच्च आर्थिक स्थिति, शिक्षा के संबंध में सुधार, राजनीतिक क्षेत्र में समानता।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं में अपार शक्ति, चाहे वो गांव की या शहर की । बशर्ते वे इसे पहचानें। वर्तमान परिवेश में महिलाओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। क्या कारण हैं ?

इसी संदर्भ में स्व–सहायता समूह के माध्यम से बहुत से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और आज की पहले की अपेक्षा उनकी स्थिति बहुत अच्छी है । इसके साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है।

1. माईक्रो फायनेंस और फंड रायजनिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक व पारिवारिक स्थिति में सुधार लाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अभी राज्य सरकार व केंद्र सरकार इनको कई प्रकार के लोन दे रही है। इससे लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिये बहुत से काम किये जा रहे हैं।
2. नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को परिपक्व किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक प्रोव्हिजन प्रबंध व व्यवस्था के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परिवार नियोजन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अनपढ़ होते हुए भी प्रोव्हिजन के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचायी जाती है। ए.एन.एम. के द्वारा प्रसव संबंधी जानकारी दी जाती है। तात्पर्य यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये बहुत से कार्यक्रम टी.वी., समाचार पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। एन.आर.एच.एम. के माध्यम से किया गया कि ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराये हुए महिला को अस्पताल से कितने दिन में छुट्टी दी जानी चाहिये। तीन दिन, चार, छः या सात दिन। कहने का मतलब यह है कि छोटी सी छोटी बातें भी ध्यान में रखने योग्य होती हैं। जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो सके।
3. आर.टी.आई.– राईट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना के अधिकार से भी नारियां सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रही हैं। कानून के संदर्भ में भी ज्ञान हो रहा है।
4. मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से भी अनेक प्रकार के रोजगार संबंधी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे हो गयी हैं।

तात्पर्य यह है कि महिलाओं के उत्थान के लिये सक्रिय रूप से कार्य किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी नारियां ही सबसे आगे हैं। आज जगदलपुर में भी कई एन.जी.ओ अर्थात् गैर सरकारी संगठन चल रहे हैं। अभी मैंने जितनी बातें कहीं वे नारियों के हित में चलाये जा रहे कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी थी। फिर भी अभी भी प्रश्न यह है कि आजादी के 64 वर्ष बाद भी नारी की इतनी दुर्दशा ! इसका जिम्मेदार कौन है ? इसका सबसे सरल उत्तर बताउं तो हम ही हैं इसके जिम्मेदार।

रूढ़िवादिता के कारण कन्या भ्रूण हत्या ! यदि जन्म हो गया तो बेटी से ज्यादा बेटे को महत्व देना । आज भी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बेटी के जन्म के बाद उन्हें फेंकने या स्लो पॉईजन अर्थात धीमा जहर दूध के साथ देकर मार दिया जाता है। टी.वी. फिल्म में भी दिखाया जाता है। मां–बाप ही अपनी बेटी को बचपन से ही हीन भावना का शिकार बना देते हैं। वे यह

नहीं जानते, कुछ बेटे ही उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं। सभी को जीने का अधिकार है। आज लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कामकाजी महिलाओं को तो घर से निकलना ही पड़ेगा। घर से निकले तो सड़क में, बस में, रेल्वे स्टेशन में, सार्वजनिक स्थान में, छेड़छाड़ जैसी वारदात हो जाती है। उस समय महिला को बहुत धैर्य से काम लेते हुए छेड़छाड़ करने वाले मनचले युवकों को लोहे के चने चबवा देना चाहिये। अपने आपको कभी भी कमजोर न समझे, क्योंकि आत्मसम्मान, आत्मरक्षा से बड़ा और कुछ भी नहीं। स्वयं सही सलामत रहोगे तभी तो दूसरों के लिये कुछ कर सकोगे। अभी कई स्कूलों–कॉलेजों में जूडो–कराते, योग जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जा रही है। उसे सीखकर भी अपनी रक्षा कर सकते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किन्तु हैवानियत और सनकी लोग पशुवत् व्यवहार करने से नहीं चूकते। उन्हें नारी केवल भोग की वस्तु लगती है। ऐसे युवकों को सजा देने के लिये परिवार, समाज, सरकार सभी का सहयोग अपेक्षित है। वरना दामिनी जैसी लड़कियां न जाने कितनी होंगी। एक बात और यदि किसी महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक घटना घटती है तो चुप न रहें । अपने माता–पिता को सब कुछ सच–सच बता दें । माता–पिता भी बच्ची के प्रति सकारात्मक रूख अपनाते हुए समाज व सरकार से मदद लेने से न हिचकिचायें।

जब व्यक्ति का व्यवहार बदलेगा, तो परिवार बदलेगा । परिवार से समाज में नई क्रांति लायी जा सकती है।

भारतीय नारी की कुछ उपलब्धियाँ

वर्ष 2006 के दौरान भारतीय नारी द्वारा विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं –

- "प्रसिद्ध पत्रिका 'फॉर्चून' में जारी विश्व की सर्वाधिक 50 प्रभावशाली महिलाओं में भारतीय मूल की इन्दिरा नूयी को सर्वाधिक प्रभावशाली महिला का स्थान दिया गया है। चेन्नई में जन्मी 50 वर्षीय नूयी को विश्व की सबसे बड़ी कोला कंपनी 'पेप्सिको' में सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। यह किसी भी भारतीय महिला के लिये बहुत गौरव का विषय है। व्यवसाय के क्षेत्र में बुलंदियों का छूने वालीं अन्य सफल भारतीय महिलाओं के नाम हैं– किरण मजूमदार, प्रबंध निदेशक, बायोकॉन; चंदा कोचर, कार्यकारी निदेशक, आई.सी.आई.सी.आई.; विद्या छाबड़िया, जंबो ग्रुप तथा शीला हुड्डा (वॉल स्ट्रीट)।

- खेल जगत में बैडमिन्टन की महिला खिलाड़ी अर्पणा पोपट ने लगातार सातवीं बार राष्ट्रीय बैडमिन्टन चैम्पियनशीप जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
- भारत में हर वर्ष प्रायोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में इस वर्ष मिस इण्डिया यूनिवर्स 2006 नेहा कपूर चुनी गयीं हैं। मिस इण्डिया वर्ल्ड नताशा को बनाया गया है जबकि मिस इण्डिया अर्थ अमृता पाटकी चुनी गयी हैं।
- वहीदा प्रिज़्म भारत की वह पहली महिला हैं जिसने भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज पुणे में 13 मार्च 2006 को पासिंग आउट परेड का नेतृत्व किया।
- सानिया मिर्जा भारत की वह पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिसे सबसे कम उम्र में पद्मश्री अलंकरण प्राप्त हुआ है।
- भारतीय मूल की उषा पराशर को ब्रिटेन में सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जजों की नियुक्ति करने के लिये गठित 'ज्यूडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशन' का पहला अध्यक्ष बनाया गया है।
- डिजाईन के क्षेत्र में ऋतु बेरी ने पेरिस में अपने परिधानों से धूम मचा रखी है। फैशन जगत में पेरिस विश्व की राजधानी कही जाती है।
- 'बायोटिक' को विनीता जैन और 'शहनाज हर्बल्स' की शहनाज हुसैन ऐसी उद्यमी हैं, जिनके उत्पाद आज विश्व प्रसिद्ध हैं।
- विश्व सुन्दरी का खिताब अर्जित करने वाली सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता आदि भारतीय नारी ही तो हैं।
- संगीत, नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में लता मंगेशकर, हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं।
- सक्रिय राजनीति में सोनिया गांधी, उमा भारती, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज आदि कही जा सकती हैं।
- नैना लाल किदवई, ललिता गुप्ते, लीला पूनावाला, दीना मेहता ने उद्योग और व्यापार जगत में अपने कुशल प्रशासन से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किये हैं।
- लेखन व पत्रकारिता में अरून्धति राय, मृणाल पाण्डे व बरखा दत्त ने लोकप्रियता हासिल की है।
- प्रसिद्ध आई.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी ने देश व विदेश में महिला पुलिस अफसर का पद गौरवान्वित किया है।
- साथ ही साथ महान नारी शक्तियों में सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, प्रतिभा पाटिल को याद कर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।

सहायक संदर्भ ग्रंथों की सूची–

1. प्रो. गुप्ता, एम.एल. एवं डॉ. शर्मा, डीडी– 'समाजशास्त्र'–महिलाएं एवं समाज, पृष्ठ 819
2. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ– 'भारतीय सामाजिक संस्थाएं–भारतीय समाज में नारी की स्थिति', पृष्ठ 281, 288–89.

SDIS-030

बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों का नवाचार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की समायोजन क्षमता का एक अध्ययन

दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक (संविदा),
शिक्षा अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर छ.ग.,भारत
Email:- dkumar.119@rediffmail.com, Mo. No. 9981680375

प्रस्तावना

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत से प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करती है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की सहायता से और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृध्दि होती रही है । ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है । जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु–स्तर से ऊँचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। शिक्षक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का सूत्रधार है । राष्ट्र की शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है । शिक्षक एक ज्योतिपुंज है जो स्वयं जलकर राष्ट्र को प्रकाशित करता है । राष्ट्र का भविष्य उसके कंधे पर टिका है किसी भी राष्ट्र का निर्माण का निर्माता शिक्षक ही है । अध्यापक के विषय में ठीक ही कहा गया है एक इंजीनियर की त्रुटि से कुछ भवन या पुल टूट सकते है। एक डॉक्टर की त्रुटि से कुछ मरीज मर सकते है किन्तु एक शिक्षक की त्रुटि से संपूर्ण राष्ट्र को हानि होती है।

शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का सूत्रधार है । राष्ट्र की शैक्षिक राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है । शिक्षक एक ज्योतिपुंज है जो स्वयं जलकर राष्ट्र को प्रकाशित करता है राष्ट्र का भविष्य उसके कंधे पर टिका है । किसी भी राष्ट्र के निर्माण का निर्माता शिक्षक ही है । अध्यापक के विषय में ठीक ही कहा गया है एक इंजीनियर की त्रुटि से कुछ भवन या पुल टूट सकते है। एक डॉक्टर की त्रुटि से कुछ मरीज मर सकते है किन्तु एक शिक्षक की त्रुटि से संपूर्ण राष्ट्र को हानि होती है।

शिक्षक नेता है जो विद्यार्थियों का नेतृत्व करता है विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश देना है नवाचार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विद्यालय में अनेक क्रियाओं को आयोजित करता है । विद्यार्थियों की विचार शक्ति को उत्प्रेरित करता है। शिक्षक समुदाय और समाज का एक सदस्य है इसलिए समाज के भावकों के अनुरूप बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करना शिक्षक का आधारभूत कार्य है तथा सबसे

ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बालक के नवाचार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के विकास पर भी ध्यान देता है।

अध्यापक वह नक्षत्र है जो सम्पूर्ण मानव जाति के पथ प्रदर्शन करता है । शिक्षक का किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति–अवनति में महत्वपूर्ण स्थान देता है । मनोविज्ञान के प्रभाव से शिक्षा को बाल केन्द्रित बना दिया गया है । ऐसे में आज शिक्षक, शिक्षक होने के साथ साथ अभिभावक, नेता, निर्देशक, सहयोगी सलाहकार तथा निष्पक्ष निर्णायक आदि अनेक भूमिकाओं का सहयोग करता है। शिक्षक का व्यवसाय निःसंदेह एक आदर्श व्यवसाय है । इसलिए शिक्षक के उत्तरदायित्व पूर्ण है। भावी शिक्षक के स्वरूप की संकल्पना करे तो लगता है कि शिक्षक वर्तमान शिक्षक पध्दतियों के अनुरूपी अपने को बनायेगा । वह शिक्षक होने के नाते अच्छा मार्गदर्शक बनेगा । नव प्राद्योगिकिय यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करेगा । वह प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा मूल्यांकन तथा सहयोगी होने के साथ मार्गदर्शक बनेगा। अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम विद्यालय संगठन तथा पाठ्य सामग्री यद्यपि अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण अंग है और इन सब से शिक्षक की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक को एक योग्य अध्यापक के साथ साथ अनुभव और चरित्रवान होना भी आवश्यक है जिससे शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सके शिक्षक वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी को उत्प्रेरणा मार्गदर्शन परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करता है । शिक्षक एक व्यावसायिक व्यक्ति है अपनी क्षमता कुशलता के आधार पर ही वह विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करता है।

आज शिक्षा में प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जा रहा है जिससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके । अपने जीविकोपार्जन के साथ विकासशील समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर सके । शिक्षा समाज का एक गतिशील पहलू है । यह एक बहुकोणीय किया है। शिक्षा में हम पग–पग पर लक्ष्यों का विचार करते है । प्रयोजन तथा ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों की योजना तैयार करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है।

शिक्षकों को अच्छी शिक्षण देने के लिए वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली गई हैं। यदि शिक्षक को शिक्षण का कोई व्यवहारिक ज्ञान नही है तो शिक्षक के शैक्षिक योग्यता और शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करने के पूर्व उसकी प्रभावशीलता जानना अत्यन्त आवश्यक है। प्रभावशाली शिक्षा को मनुष्य का निर्माता राष्ट्र निर्माता शिक्षा पध्दति की आधारशिला समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना गया है।

महात्मा गांधी (1938) : ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रगतीकरण है।''

प्रो. पेस्टालॉजी : ''शिक्षा मनुष्य की समस्त सहज शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्ययुक्त और प्रगतिशील विकास है।''

टी. रेमण्ट : ''शिक्षा विकास की वह क्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है।''

बोगार्डस : ''सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है।''

समस्या : ''बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों का नवाचार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की समायोजन क्षमता का एक अध्ययन''

उद्देश्य :

- बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की समायोजन क्षमता का मापन करना।
- बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के पारिवारिक समायोजन का अध्ययन करना।
- बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य समायोजन का अध्ययन करना।
- बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।
- बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के संवेगात्मक समायोजन का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

- एच–1 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
- एच–2 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के पारिवारिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
- एच–3 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य समायोजन में कोई सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
- एच–4 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
- एच–5 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के संवेगात्मक समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

जनसंख्या

बी.पी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

क्र.	बी.पी.एड. महाविद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा	कुल प्रशिक्षणार्थी
1.	पं. हरीशंकर शुक्ल महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर	8	42	50
2.	शासकीय डी.बी. कन्या शाला रायपुर पी.जी. महाविद्यालय रायपुर	16	34	50
3.	स्कूल एंड एजूकेशन इन फिजिकल एजूकेशन रायपुर	15	7	22
4.	इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड सांइसेस गरियाबंद रायपुर	15	22	37
5.	नेताजी सुभाष महाविद्यालय बेलभाठा अभनपुर	24	26	50
6.	दिशा कॉलेज ऑफ आई.टी. शांति नगर, रायपुर	30	17	47
7.	विग्नान कॉलेज ऑफ एजूकेशन विधान सभा मार्ग रायपुर	22	14	36
	कुल	**130**	**162**	**292**

बी.पी.एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

क्र.	बी.पी.एड. महाविद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा	कुल प्रशिक्षणार्थी
1.	इंस्ट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन रायपुर	55	45	100

2.	महात्मागांधी कॉलेज स्टेशन रोड, रायपुर	35	65	100
3.	प्रगति कॉलेज, सेंट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर	53	47	100
4.	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर	42	58	100
5.	रामकृष्ण इंस्ट्यूट ऑफ एजूकेशन रायपुर	35	65	100
6.	अग्रसेन महाविद्यालय अग्रसेन भवन पुरानी बस्ती रायपुर	46	54	100
7.	डॉ. सी.व्ही. रमन शिक्षा महाविद्यालय अवंति विहार रायपुर	48	52	100
	कुल	**314**	**386**	**700**

न्यादर्श :

बी.पी.एड. महाविद्यालयों से न्यादर्श हेतु चयनित शिक्षणार्थियों की संख्या :

क्र.	**बी.पी.एड. महाविद्यालय का नाम**	**कुल प्रशिक्षणार्थी**
1.	पं. हरीशंकर शुक्ल महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर	10
2.	विप्र कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय रायपुर	10
3.	स्कूल एंड एजूकेशन इन फिजिकल एजूकेशन रायपुर	10
4.	नेताजी सुभाष महाविद्यालय बेलभाठा अभनपुर	10
5.	विग्नान कॉलेज ऑफ एजूकेशन विधान सभा मार्ग रायपुर	10
	कुल	**50**

बी.पी.एड. महाविद्यालयों से न्यादर्श हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

क्र.	बी.पी.एड. महाविद्यालय का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी
1.	इंस्ट्यूट ऑफ टिचर्स एजूकेशन रायपुर	10
2.	महात्मागांधी कॉलेज स्टेशन रोड रायपुर	10
3.	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कॉलोनी रायपुर	10
4.	अग्रसेन महाविद्यालय अग्रसेन भवन पुरानी बस्ती रायपुर	10
5.	डॉ. सी.व्ही. रमन शिक्षा महाविद्यालय अवंति विहार रायपुर	10
	कुल	**50**

उपकरण : प्रस्तुत समस्या शहरी क्षेत्र रायपुर के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों का नवाचार एवं व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण की प्रशिक्षणार्थियों के समायोजन क्षमता का बेल्स समायोजन मापन हेतु शोधकर्ता ने **डॉ. आर. के ओझा** द्वारा निर्मित **बेल्स मापनी** का चयन किया है।

सांख्यिकी विवेचना : एच–0: बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
1.	बी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	43.36	13.91	**1.84**
2.	बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	48.9	15.73	
स्वतंत्रता की कोटि df=98 p>0.05 सार्थक अंतर नहीं है।					

यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि बी.एड. एवं बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया है। अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

एच–0.1 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के पारिवारिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
1.	बी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	8.94	4.10	**2.88**
2.	बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	11.28	3.91	
स्वतंत्रता की कोटि df=98 p<0.05 सार्थक अंतर है।					

यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि बी.एड. एव ंबी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की पारिवारिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

एच–0.2 : बी.एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
1.	बी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	8.2	4.56	**3.61**
2.	बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	12	5.76	
स्वतंत्रता की कोटि df=98 p<0.05 सार्थक अंतर है।					

यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि बी.एड. एवं बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की स्वास्थ्य समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

एच–0.3 : बी.एड. एवं बी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
1.	बी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	15.94	15.94	**1.13**
2.	बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	14.88	4.7	
स्वतंत्रता की कोटि df=98 p<0.05 सार्थक नहीं है।					

यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि बी.एड. एवं बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नही पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

एच–0.4 : बी.एड. एवं बी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के संवेगात्मक समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य
1.	बी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	10.36	5.98	**0.54**
2.	बी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी	50	11.04	6.38	
स्वतंत्रता की कोटि df=98 p<0.05 सार्थक नहीं है।					

यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि बी.एड. एव ंबी.पी.एड. शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की संवेगात्मक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नही पाया गया है। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध समस्या में बी. एड. एव ंबी.पी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों का नवाचार एवं व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण की समायोजन क्षमता के मध्य प्रशिक्षणार्थियों का पारिवारिक समायोजन व स्वास्थ्य समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया है जो कि वातावरण के अनुसार उसके समायोजन को प्रदर्शित करता है विभिन्न परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थी स्वतः इतने परिपक्व होते है कि वह अपने आप को समायोजित कर लेते है एव ंबी.एड. व बी.पी.एड. के पाठ्यक्रम के अनुसार नवाचार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम करायें जाते है जो प्रशिक्षणार्थियों में परिपक्वता का विकास कर समायोजन की क्षमता को विकसित करता है।

SDIS-032

बस्तर जिले में प्राथमिक स्तर के छात्रों की हिन्दी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में बाधक स्थानीय भाषा के प्रभाव का अध्ययन

Dilip Kumar Shukla

Christ College, Jagdalpur C.G., India

सार

भाषा शब्द भाष् शब्द से बना हैं जिसका अर्थ बोलना हैं। बोलने के लिए स्वर यंत्रो की सहायता से ध्वनियों का प्रयोग किया जाता हैं पर ध्वनियों की संख्या असीमित हैं। ध्वनियों के आधार पर प्रतीक चिन्ह स्थापित किए जाते हैं जिनसे भाषा का निर्माण होता हैं। भाषा के द्वारा भाषायी समुदाय के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते हैं।

''ब्लाख'' और इेगर के अनुसार ''भाषा'' याद्धच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई समाज परस्पर व्यवहार करता है। याद्धच्छिक का अर्थ है स्वैच्छिक जिसके पीछे कोई कार्यकारण सिद्धान्त न रखा जा सके। सभी समुदायों ने अपनी –अपनी भाषा की व्यवस्था स्वेच्छा से की है जिसमें ध्वनि प्रतीक वाक्य गठन व्याकरिणक व्यवस्था तथा अर्थ तत्व में भिन्नता है क्योंकि प्रत्येक समुदाय ने ''याद्धच्छिक'' भाषायी व्यवस्था की है।

भाषा के द्वारा भौतिक जगत की तमाम वस्तुओं और व्यवहार को विनियमित और नियंत्रित किया जाता हैं जो याद्धच्छिक आंतरिक भावों का बाह्य प्रकटीकरण होता है। अतः भाषा सामाजिक व्यवहार, संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। भाषा सृजनशीलता रचनात्मक क्षमता और तमाम सामाजिक ज्ञान और सूचनाओं के अर्जन में प्रमुख साधन के रुप में महत्वपूर्ण है।

हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पश्चिमी खड़ी बोली से मानी जाती है। हिन्दी भाषा की अनेक विशेषताओं जैसे ध्वनियों में व देवनागरी लिपि में समानता है । जो बोला जाता है वही पढ़ा जाता है। प्राचीन संस्कृत भाषा के प्रभाव और तत्सम् शब्दों की अधिकता भी हिन्दी को समृद्ध बनाने मे योगदान देती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देश की स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला।

मानक हिन्दी

किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया भाषायी समाज के सार्वजनीय ग्राह्यता और उस भाषायी समाज के शिक्षित समुदाय की व्यापक मान्यता पर आधारित होती है। हिन्दी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया आज भी निरंतरित हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयुक्त होती है । इसलिये मानकीकरण के द्वारा शब्दावली की वैज्ञानिकता, उच्चारण, अक्षर वर्तनी, शब्द रुप वाक्य तथा रचना

आदि में एकरुपता होनी चाहिए। नागरी लिपि का मानकीकरण हिन्दी निर्देशालय द्वारा पूरा किया जा चुका है । पारिभाषिक शब्दावली का मानकीकरण केन्द्र तथा प्रांतो में चल रहा है जिनमें एकरुपता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

बोली और भाषा

जहाँ तक भाव संप्रेषण का प्रश्न हैं बोली और भाषा दोनो ही के द्वारा समान रुप से संप्रेषण होता हैं। कुछ बोलियों का साहित्य भी इतना विस्तृत हैं कि उन्हे बोली मानना असहज हैं।

बोली

बोली भाषा का स्थानीय स्वरुप होता हैं जो प्रायः मौखिक रुप में प्राप्त होता हैं। इनमें साहित्य की व्यापकता नही दिखाई देती है । यह घरेलू व्यवहार में प्रयुक्त होती है। बोली की शब्दावली सीमित होती है पर भाषा के सहायक तत्वों का इसमें समावेश होता है । बोलियों का विकास स्वाभाविक रुप से होता रहता है और बोलियां सामाजिक प्रभाव के कारण भाषा का स्वरुप प्राप्त करती है। भौगोलिक एकीकरण, राजनैतिक संरक्षण तथा धार्मिक विश्वास आदि कारक भी किसी बोली को भाषा के रुप में स्थापित करने में प्रभावी कारक होते हैं।

बस्तर के जनजातीय समुदाय की बोलियाँ

पूर्ववर्ती बस्तर जिला जो अब तीन जिलों– बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर में विभाजित किया गया हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं। यहाँ के निवासियों की अपनी पृथक बोलियाँ हैं जो निम्नानुसार वर्गीकृत की जा सकती हैं –

जनजाति	बोली
1. हल्बा	हल्बी
2. भतरा	भतरी
3. गोड	गोडी
4. राजगोड	हल्बी
5. माड़िया	माडिया– गोड़ी
6. दोरला	दोरली
7. धुरवा	हल्बी
8. परजा	परजी
9. मुरिया	गोंडी

उपरोक्त बोलियों में गोंडी और हल्बी प्रमुख हैं ।

गोंडी बोली के कई रुप हैं जैसे मुरिया, हिल माड़िया (कोयतोर), दंडामी माड़िया या वाइसन हार्न माड़िया और गोंड़। गोंडी बोलने वालें माडिया बीजापुर, कोंटा, गीदम, दंतेवाड़ा उसूर, कटेकल्याण,

सुकमा, छिन्दगढ़ इलाको में निवास करते हैं। भोपालपटनम और कोंटा ब्लाको में बोली जाने वाली गोंडी पर तेलगू का प्रभाव परिलक्षित होता हैं। तेलगू भाषी लोग भी वहाॅ काफी संख्या में निवास करते हैं । यह सभी क्षेत्र दंतेवाडा जिले में आते हैं। बस्तर जिले में मर्दापाल, कोडागांव, माकड़ी क्षेत्रो में गोंडी बोली जाती हैं जो हिलमाड़िया और वाइसन माड़िया दोनों से भिन्न हैं। नारायणपुर, ओरछा, परलकोट क्षेत्र, अबूझमाड़ क्षेत्र में हिल माड़िया गोंडी बोली जाती हैं।

संविधान और आदिवासी बोलियाँ

आदिवासियों की बोलियों और भाषाओं का संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख नही हैं। पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में बोली जाने वाली मातृभाषाओं की संख्या 258 थी जिनमें छत्तीसगढ़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। बस्तर संभाग में 8 वीं अनुसूची के भाषा–भाषियों की संख्या 39.53 प्रतिशत हैं और गैर–आठवीं अनुसूची भाषा भाषियों की संख्या 60.47 प्रतिशत हैं। 1981 में 6713 हजार व्यक्ति बस्तर में गोंडी बोलते थे ।

हल्बी बोली : विशेषताये

हल्बी बोली हल्बा जनजाति की भाषा हैं जो बस्तर स्टेट की राजभाषा थी। 1981 में 410768 लोगों हल्बी भाषी थे। हल्बी बोली पर छत्तीसगढ़ी का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता हैं छत्तीसगढ़ी के प्रभाव तथा राजभाषा होने का गौरव प्राप्त करने के कारण हल्बी बोली बस्तर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रचलित हुई और अन्य बोलियों पर हल्बी का प्रभाव पड़ा। यहां तक कि धुर गोड़ी क्षेत्रो में भी माझी मुखिया पटेल और समुदाय के प्रतिनिधि लोगों को हल्बी बोली का ज्ञान होना और उसका व्यवहार प्रचलित है।

छत्तीसगढ़ी बोली का प्रभाव

हल्बी में छत्तीसगढ़ी का पर्याप्त प्रभाव देखा जाता हैं जो शब्दों के प्रयोग साम्य से अधिक संबंधित है, जैसे

छत्तीसगढ़ी	हल्बी
लइका मन (लड़के)	लेकामन
बइलन (बैल)	बैला मन
कमिया मन (कमाने वाले)	कमिया मन
हम पंचन (हम लोग)	हम मन

विशेषण

लाम (लम्बा)	लाम
नागद (अच्छा)	नगद
आमट (खट्टा)	आमट
चुरपुर (तीखा)	चुरपुर
खोड़वा (लंगडा)	खोड़या
टंगिया (कुल्हाड़ी)	टंगेया
बेंदरा (बंदर)	बेंदरा
छेना (कंडा)	छेना

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों में हल्बी पर छत्तीसगढ़ी शब्दो में साम्य मिलता हैं ।

अनुसंधान

प्रस्तुत अध्ययन अति प्रभावी अध्ययन है, जिसमे छात्रों के विभिन्न विषयों में सीखने की क्रिया में स्थानीय बोली के प्रभाव को समाप्त करने और मानक भाषा की ओर ले जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करना उद्देश्य हैं।

शोध

प्रस्तुत शोध प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की मानक हिन्दी भाषा में दक्षता विकसित करने में स्थानीय बोली को सहायक संसाधन के रूप में व्यवस्थित किया गया है। भाषा अन्य समस्त विषयों के अध्ययन–अध्यापन के साथ ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बस्तर जिले की प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों में हल्बी बोली का स्पष्ट रूप में प्रभाव दिखायी देता है। मानक भाषा और न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित गुणवत्ता के स्तर पर कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत छात्रो में स्थानीय बोली के प्रभाव को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रविधि – इसी लक्ष्य को लेकर प्रस्तुत शोध अध्ययन किया गया हैं। शोध विधि के अंतर्गत –

(1) अतीत प्रभावी अवलोकन

(2) आकस्मिक तुलना मूलक विधि

(3) पाठ्य पुस्तक आधरित परीक्षण प्रविधियां प्रयुक्त की गयी ।

उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है –

(1) प्राथमिक वर्ग के कक्षा 5 वीं के छात्रों में हिन्दी भाषा विषय के प्रति रूचि और उनकी समझ विकसित करना ।

(2) इस मान्यता को आधार मानकर कि कक्षा 5वीं के छात्रों में स्थानीय बोली का प्रभाव समाप्त हो जाना चाहिए, प्रभाव का अवलोकन करना ।

(3) हिन्दी भाषा विषय हेतु प्रचलित पुस्तक भारती के पाठों पर आधारित शब्दों, वाक्यों वाक्याशों पर आधारित समझ और अववोधन का अवलोकन कर उसमें विकास हेतु प्रयास करना ।

(4) भारती कक्षा 5 पर आधारित वाक्यों शब्दों वाक्यासों से अज्ञात एवं अमूर्त अवधारणाओं के अर्थ स्पष्ट करने हेतु हल्बी के शब्दों की प्रभाविकता का अवलोकन करना ।

(5) छत्तीसगढ़ी हल्बी तथा अन्य क्षेत्रीय बोलियों पर आधरित प्रमुख शब्दों की सूची प्रस्तुत कर उनके शिक्षा हेतु निर्देश देना ।

(6) स्थानीय बोली हल्बी में प्रचलित कुछ मुहावरो और लोकोक्तियों का चयन कर सहायक शिक्षा पाठ्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना ।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु न्यादर्श का चयन किया गया। यह न्यादर्श बस्तर जिले की प्राथमिक शालाओं में कक्षा 5 वीं अध्ययनरत छात्रो से चयनित किया गया है। चयन का आधार इस मान्यता पर निर्भर करता है कि कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत छात्रो के उच्चारण, श्रवण, पठन, लेखन और अर्थ समझने मे अन्य स्थनीय बोली का प्रभाव शून्य होना चाहिए।

उपरोक्त आधार पर बस्तर जिलों की विभिन्न शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5वीं के छात्रों पर भारती पाठ्य पुस्तक से परीक्षण प्रशासित किया गया। परीक्षण में पृथक परीक्षण वस्तुओं को न तैयार कर भारती पुस्तक को मानक लिया गया। निम्न अवधारणाओं पर महत्व दिया गया।

(1) किसी वाक्य वाक्यांश को समझने के लिये कुछ विशेष महत्वपूर्ण शब्दों पर हल्बी/ छत्तीसगढ़ी का प्रभाव देखा गया।

(2) शब्दों के अर्थ की समझ का परीक्षण किया गया।

(3) शब्दों के हल्बी रूपान्तर के बाद अर्थ पूछा गया।

(4) हल्बी समानार्थी में बताने पर समझने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात की गयी उनका प्रतिशत रूपान्तर किया गया।

न्यादर्श चयन

न्यादर्श हेतु रेन्डम आधार पर न्यूनतम 10 छात्रों/छात्राओं को चयनित किया गया। दर्ज संख्या कम होने पर कक्षा 5वीं के पूरे छात्र छात्राओं को लिया गया।

न्यादर्श विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	छात्र/छात्रा की संख्या	शाला (प्रा.शा.)	विकासखण्ड
1.	7	प्रा.शा. एकटागुड़ा	बस्तर
2.	10	प्रा. शा. केशलूर	जगदलपूर
3.	7	प्रा. शा. परचनपाल	बस्तर
4.	6	प्रा. शा. कनिष्ठ धनपुर	बकावंड
5.	6	प्रा. शा. दरभा	दरभा
6.	9	प्रा. शा. नेतानार	जगदलपुर
7.	6	प्रा. शा. चिलकुटी	जगदलपुर
8.	10	प्रा. शा. चोड़ो मेटावाड़ा	लोहंडीगुड़ा
9.	7	प्रा. शा. गुचागुड़ा पोटानीर	लोहंडीगुड़ा
10.	6	प्रा. शा. अटारगुड़ा	लोहंडीगुड़ा
11.	9	प्रा. शा. देउरगांव	लोहंडीगुड़ा
12.	7	प्रा. शा. करंजी	लोहंडीगुड़ा
13.	10	प्रा. शा. किंजोली	बकावंड

इस प्रकार कुल पांच विकास खंडो में 100 छात्र–छात्राओं से –

1. पठन बोध
2. अर्थ बोध
3. लेखन
4. शब्द अर्थ हिन्दी
5. शब्द अर्थ हल्बी

उपरोक्त क्षेत्रो में परीक्षण किया गया और निष्कर्ष प्राप्त किया गया। कुछ शब्दो के मानक छत्तीसगढ़ी और स्थानीय स्वरुपो मे व्यावहारिक रहे है।

भारती पर आधारित पाठों के कुछ शब्द, जिन्हे बच्चे (छात्र) नही समझते निम्नानुसार हैं –

कठिन या न समझे गये शब्दों के नमूने :–

क्र.	*शब्द*	*पाठ*
1.	पथ	पुष्प की अभिलाषा
2.	आश्चर्य	दो बैलो की काया
3.	पसंद	योर
4.	विकल	कबीर के दोहे
5.	उत्सुकता	कम्प्युटर
6.	दैत्य	रत्ना का साहस
7.	आनंद	अंधेर नगरी
8.	मिंश्ती	अंधेर नगरी
9.	ज्यादा	अंधेर नगरी
10.	सूली (फाँसी)	अंधेर नगरी
11.	नाहक	अंधेर नगरी

शब्द : शुद्ध रुप, अमानक और स्थानीय रूप

शुद्ध रुप	**अमानक स्वरुप छत्तीसगढ़ी**	**स्थानीय स्वरुप**
छः	छैः	सय
छाता / छतरी	साता / सतरी	
छिपकली	छिपकिल्ली	घररख्खा
छुईखदान	छिखदान	छूखदान
रुमाल	रस्ता, रद्दा	बाट
सोलह	सोरा	

बकरी	छेरी, बोकरी	
बाजार	बजार	हाट
कमीज	कुरता, कुर्ता	कुरथा
केला	केरा	
कुत्ता	कुकुर	
गाय	गैया, गईया, गैयया	
चुड़ी	चुरी	
पिल्ला	पिला	
लड़की	टूरी	
सीमेन्ट	सिरमेन्ट / सिरमिट	
चावल	चावंल	चांऊर
शुद्ध रुप	**अशुद्ध रुप**	**स्थानीय**
पीला	पिला	
पानी	पानि	
परीक्षा	परिछा	
शीर्षक	शिर्षक	
रुचि	रुची	

देखा जाता है कि उपरोक्त प्रकार की त्रुटियाँ मात्रा की त्रुटियाँ हैं। मात्राओं की त्रुटियाँ सामान्य श्रेणी की त्रुटियाँ होती हैं पर स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण इस प्रकार की त्रुटियाँ अधिक देखी जाती हैं। त्रुटियों के कारण अग्रलिखित हैं–

भाषाई त्रुटियों के कारण

विद्यालय परिवेश से हटकर स्वतंत्र रुप सें भाषाई त्रुटियों की पहचान व विभाजन एक कठिन कार्य है। यह सर्वमान्य नियम तय कर पाना भी कठिन हैं कि इस तरह की गलतियाँ / त्रुटियाँ होती हैं। और यदि आम तौर पर होने वाली ऐसी त्रुटियों की सूची बना भी लिये जायें तब भी उनका कोई एक निश्चित कारण बता पाना भी कठिन है। त्रुटियाँ दोनो रुपों में होती हैं। बोलने और लिखने में। कभी त्रुटिपूर्ण उच्चारण के कारण त्रुटिपूर्ण लेखन होता है और कहीं त्रुटिपूर्ण लेखन के कारण त्रुटिपूर्ण उच्चारण। बच्चे अपनी समझ, अभ्यास एवं बोलने सुनने में सामने आये शब्द स्वरुप को ही

ग्रहण करते एवं व्यवहार में लाते है। जब तक उन्हें यह न पता हो कि उन शब्दों का मानक(शुद्ध) रुप क्या है तब तक त्रुटियों के सुधार का प्रश्न ही नही उठता। यदि बच्चे लिखित अथवा मौखिक रुप में त्रुटि करते है तो जब तक उन्हें यह नहीं बताया जायेगा कि वे त्रुटि कर रहे हैं तब तक उन्हे पता ही नही चल पाता है कि वे गलती कर रहे हैं। हमारे विद्यालय वाले अधिकांश गांवो में शब्दो के मानक रुप की जानकारी देने का स्त्रोत भी मात्र शिक्षक/शिक्षिका ही है। इस तरह शिक्षक/शिक्षिकाओं का दायित्व और बढ़ जाता है कि वे स्वयं शब्दों के मानक रुप का ही व्यवहार अपने बोलने एवं लिखने में करे।

अ/आ संबंधी त्रुटियां

अहार	अजादी (आजादी)
बजार	तलाब
अगामी	मगना
माकान	अदमी

संयुक्ताक्षर

संयुक्त अक्षर के बोलने एवं लिखने में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं –

अशुद्ध रुप	**शुद्ध रुप**
छेत्र	क्षेत्र
क्षात्र	छात्र
कया	क्या
मछर	मच्छर
दवार	द्वार

अनुस्वार के प्रयोग में त्रुटियाँ

अनुस्वार के प्रयोग में छात्र त्रुटि करते हैं जैसे –

हंस	हँसना
वंश	गांव

कंस	चाँद
कंद	माँग
बंद	बाँध

विसर्ग वाले शब्द

प्रातः	अतः
अंततः	सद्यः

विशेषण का प्रयोग

विशेषणों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम के साथ लिंग व वचन के अनुरुप होता है जैसे –

अच्छा पकवान (भोजन)

हमारा स्कूल

छोटा मुंह

अच्छी कविता

पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रयोग

अधिकांश त्रुटियों का कारण संज्ञा /सर्वनामों का स्त्री लिंग/पुल्लिंग विभाजन है ।

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**
मुँह	कविता
भोजन	स्कूल

जैसे–

काली गाय	काला बैल
काला पत्थर	काली मिट्टी
काली कोयल	काला कौआ

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**
पतला	पतली
मोटा	मोटी
छोटा	छोटी

त्रुटियों से निराकरण हेतु अभ्यास के नमूने

1. निम्न शब्दो की सही जोड़ी बनाओं और प्रत्येक पर एक वाक्य बनाओं :–—

जैसे– जगंल मे एक चतुर सियार था ।

चतुर	–	इमली	–	सुन्दर	–	भोजन
चालाक	–	गुड़	–	मनोहर	–	बच्चा
खट्टी	–	सियार	–	मासूम	–	गाना
मीठा	–	तोता	–	सुरीला	–	लड़की
हरा	–	लोमड़ी	–	स्वादिष्ट	–	दृश्य

2. इनकी जोड़ी मिलाकर लिखो

सच्चा	देश	सच्चा	बालक
उज्जवला	प्रशंसा		
झूठी	भविष्य		
स्वतन्त्र	बालक		
कठिन	बच्चा		
प्रत्येक	शब्द		
सही	परिश्रम		
प्रसिद्ध	व्यक्ति		

3. इनमें सही वाक्य पर √ का निशान लगाओं

अध्यापक –	अध्यापक पढ़ाता है ।
	अध्यापिका पढ़ाता है ।
	अध्यापिका पढ़ाती है ।
लड़की –	लड़की दौड़ता है ।
	लड़का दौड़ती है ।
	लड़की दौड़ती है ।

लेखक –	लेखिका लेख लिखती है ।
	लेखिका लेख लिखता है ।
	लेखक लेख लिखता है ।
सहपाठिन –	सहपाठी साथ साथ पढ़ता है ।
	सहपाठी साथ साथ पढ़ती है ।
	सहपाठिनें साथ साथ पढ़ती है ।
गायक –	गायिका गीत गाता है ।
	गायिका गीत गाती है ।
	गायक गीत गाता है ।

भाषा की पुस्तक में पाठों पर काम

भाषा की पुस्तक में बच्चे जब किसी पाठ पर काम करते हैं तब आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उस पाठ पर पूरा काम हो गया है और अब आगे बढ़ा जा सकता है। पाठ पर काम करने की कौन–कौन सी विधियाँ है ? अर्थात् पाठ में कौन–कौन से कार्य होने चाहिए? पाठों पर कार्य के निम्न सोपान हो सकते हैं –

1. पाठ में दिये चित्रों पर चर्चा /पाठ में आगे बढ़ने के साथ–साथ चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण/प्रस्तुति/संदर्भ।
2. पाठ में आये नये शब्दों पर काम । यथाः अर्थ, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वाक्यो में प्रयोग, इत्यादि।
3. बच्चों द्वारा पाठ पढ़ना और समझ पाना ।
4. अपने शब्दों में कहानी, कविता, लिखना, सुनना ।
5. कहानी पर नाटक करना/अभिनय
6. कहानी की विषय वस्तु , घटना चक्र, पात्र परिस्थिति इत्यादि के संदर्भ मे चर्चा ।
7. कहानी के आधार पर प्रश्न पूछना और उनके उत्तर जानना ।
8. कहानी को आगे बढ़ाना। जैसे – आगे क्या हुआ होगा उस जगह यदि आप होते तो क्या करते ।
9. कविता कहानी को हाव भाव और परिस्थिति अनुरुप गाना, पढ़ना, कहना ।

10. पहेलियों पर काम
11. कहानी , कविता की विषय वस्तु को बच्चे के परिवेश से जोड़ कर देखना ।
12. पाठों के अभ्यास पर काम अतिरिक्त नये अभ्यास बताना। आवश्यकता/सूझ–बूझ/के अनुसार पाठ के भाषाई तत्वो पर कार्य ।

अभ्यासों के नमूने

1. पढ़ो, समझो और लिखो –

सहेली	सहेलियाँ	रानी
स्त्री	बेटी	छावनी

2. नीचे दिये शब्दो में ई (ी) की मा्त्रा लगाकर नया शब्द बनाओं

दुश्मन	दुश्मनी
दोस्त	———————
बहादुर	———————
गरीब	———————

3. नीचे कुछ शब्द गलत लिखे हैं । तुम उन्हे सही करके लिखो –

सुनदर	सुन्दर
शबद	———————
नमसते	———————
पतनी	———————

4. पढ़ो, समझो और छाँटकर अलग– अलग लिखो –

अध्यापक, प्रत्येक, उत्तर, प्रयत्न, कमशः, अतः, हृदय, प्रसन्न, नमः, सच्चाई, प्रातः, प्रशंसा, स्वतः, प्रस्थान, ज्यों– त्यों ।

जिस शब्द के शुरु में प्र अक्षर हैं	जिस शब्द में आधे अक्षर आते है	जिस शब्द के अन्त वाले अक्षर में अः की मात्रा आती है।
प्रयत्न	अध्यापक	क्रमशः
———	———	———
———	———	———
———	———	———
———	———	———

5. पढ़ो, समझो और लिखो –

इच्छा	इच्छाएँ	स्वतंत्र	स्वतन्त्रता
कथा	———	प्रधान	———
माला	———	उदार	———
कला	———	उदासीन	———
पुस्तिका	———	महान	———
घटा	———	व्रीव	———

6. 'ना' लगाकर शब्द बनाओ –

काट	काटना
छाँट	———
बाँट	———
बोल	———

7. इन शब्दों को 'ता' लगाकर पूरा करा –

वीर	वीरता
धीर	———
निडर	———
सुन्दर	———

8. शब्द के अन्त में 'ता' लगाकर नया शब्द बनाओ –

जैसे– मित्र + ता = मित्रता

शत्रु	————————
उदार	————————
स्वाधीन	————————
पराधीन	————————
धार्मिक	————————

9. बार – बार पढ़ो और लिखो –

(अ) स, श, सा, शा, स, श, स, श, श, स, श

(ब) बारिश, खुशी, काश, बरसा, सुखी, घास,

(स) कड़ी, कढ़ी, बड़ी, बढ़ी, पढ़ी, पड़ी

(द) डाला, पड़ा, झड़ा, झण्डा, ढ़ोलक, पढ़ना

10. 'ऊँ' तथा ' ू ' की मात्रा वाले शब्दो को छाँटकर अलग– अलग लिखो–

जैसे– पूँछ, फूल, ऊन, झूट, ऊँच, ठूँठ, रुठ, खूँट, छूट, मूँछ, धूप, ऊँट

फूल	पूँछ
————————	————————
————————	————————
————————	————————
————————	————————
————————	————————

10. गलती पकड़ो और सही शब्द लिखो–

गरमी	छुटटी	दोसत	सरबत	बरषा
————	————	————	———	———
नदि	पौउधे	तलाबो	रसिला	पियास
————	————	————	———	———

11. इन शब्दों को बोल कर पढ़ो और समान ध्वनि वाले नये शब्द बनाओ और लिखो–

जैसे–	मकान	यकान	समान
	सिलाई	––––	––––
	अच्छा	––––	––––
	करना	––––	––––

12. नीचे दिये गये शब्दो से मिलते–जुलते शब्द लिखो–

जैसे–	ढ़ोल	बोल	गोल	मोल	तोल
	भाला	–––	–––	–––	–––
	हल	–––	–––	–––	–––
	माता	–––	–––	–––	––––

13. निम्नाकिंत मुहावरो का अर्थ लिखें व वाक्य में प्रयोग करे–

1. अंधो में काना राजा ।
2. नौ दो ग्यारह होना ।
3. मजा चखाना ।
4. आग बबूला होना ।
5. अक्ल ठिकाने आना ।
6. बगुला भगत होना ।
7. सत्यानाश होना ।

भाषा लिखने का अभ्यास

छात्रों के सैद्धांतिक उपलब्धि स्तर से पता चला कि कक्षा तीन व चार के कुछ बच्चे लिखने में अभी भी बहुत कमज़ोर रहे हैं। ये बच्चे अभी भी सही नहीं लिख पाते। यदि इन्हें विशेष अभ्यास नहीं कराया जाये तो ये कमजोर रह जायेंगें। ऐसे बच्चों में लिखने की दक्षता का विकास करने के लिए उन्हें प्रारम्भ में कुछ सरल बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराया जा सकता है। कमज़ोर बच्चों का एक–एक करके श्यामपट पर बुलाकर उन्हें लिखने को कहा जाए। इसके बाद मात्रायुक्त और कठिन शब्द लिए जाएँ। अभ्यास कराने के लिए मात्राओं और कठिनाई के अनुसार शब्दों को अलग–अलग समूहों में विभक्त करके इन्हें क्रम संख्या दी जाये। प्रत्येक समूह में कुछ अलग शब्द भी दिए जाएँ तथा आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करने पर कक्षा

चार के बच्चों में लिखने की दक्षता का विकास किया जा सकता है। बस आवश्यकता है शिक्षक के द्वारा थोड़े से प्रयास की। इसके लिए शिक्षक को केवल इतना ही करना है कि रोज एक पीरियड लिखने के अभ्यास पर लगायें। यह क्रम दो तीन माह तक चलने दें। परीक्षा के आधार पर शिक्षक ऐसे कमज़ोर बच्चों को एक–एक कर श्यामपट पर बुलाकर अभ्यास के लिए जो शब्द दिए हैं, उन्हें लिखवाएँ और सही न लिख पाने पर बच्चे को उसकी गलती समझा दें तो बच्चा सरलता से सही शब्द सीख लेता है।

अभ्यास सामग्री

क्र	दक्षता	श्रुत लेखन के लिए शब्द
1.	मात्रा रहित शब्द (इन शब्दों को इस प्रकार छांटा गया है कि शब्दों के सभी अक्षर आ जाएँ)	अब, कम, धर, जल, तट, थल, फल, धन, यह, शक, सच ,गजक, डबल, नगद पवन, भजन, मटर, रजत, टनटन, ठकठक, ढमढम, खलबल, झटपट,
2.	स्वर अ और आ समान वर्णो वाले शब्दों में मात्राओं का अंतर समझाइए ।	कम काम कल काल बल बाल जल जाल

अतिरिक्त अभ्यास –

अचार, इनाम, उपहार, ऊगना, एकता, खानदान, गटागट, घटाना, चालाक, छापना, जनता, झाड़ना, टकसाल, ठहराना, डाकखाना, ढाल, तबला, थकान, दगाबाज, धमाका, नायक, पागल, फहरना, बकवास, भगदड़, मानव, यातायात, रावण, वकालत , शानदार, सागर, हारना ।

3. **स्वर इ और ई :–** मिला, मिली, माली, मील, तिल, तीली, तली, तितली, किला, कील, कली, काली, निधि, धीरज, धीरे, धारी, जिस, जीता, जीवन,

अतिरिक्त अभ्यास

आखिर, इमरती, उचित, एशिया, ऐनक, खिलाड़ी, गणपति, धिसना, कपिल, चटनी, छिलका, जीतना, झिलमिल, टिकट, ठिकाना ढील, तितली, थिरकन, दिमाग, धीरज, पिटना, फीता, बिजली, यतीम, रिसना, विजय, लिखावट, शीतल, सिपाही, हिमालय ।

4. **स्वर उ और ऊ –** पुल, पूनम, पूरा, पुलिस, पूजा, पुजारी, रूपया, रूप, रूदन, चुन, चुप, अनूठा, काजू, खरबूज, गुड, धुटना, छुआछूत, जबलपूर, टूटना, डुबकी, ढुलाई, तूफान, दुगूना, धुलाई, नुकीला, फूलदान, बुढ़ापा, भुगतान, मुनमुन, युग, रूकना, लूटना, शुरू, सुमन, हुनर ।

5. **स्वर अ,आ,इ, ई,उ,ऊ का सम्मिलित अभ्यास :–**झील, राजा, जूता, अब, गिनती, आरी, मकान, नाव, सुना, खूब, आटा, हरा, फुटबाल ।

अतिरिक्त अभ्यास

अकड़, झील, राजा, इलाका, खुशबू, अधिक, गिनती, आटा, आरी, परिवार, फकीरा, टीचर, ठग, छाया, दीपक, पीता, दूध, आशा, गिरा, दिवस, धन, काम, जिस, जीवन, पुल, पूजा, बबूल ।

6. स्वर ए और ऐ – एक ऐसा, ऐसे, मेल, बैल, चेला, केक, कैसा, जैसा, बेल, बैल, बैठना, बेलन ।

अतिरिक्त अभ्यास

अपेक्षा, उल्टे, ऐलान, कनेर, गेंती, धेरना, छेड़ना जेवर, झेलना, ठेकेदार, डकैत, ढेर,तेज, थैली, देवता, नेपाल, पैदल, फैशन, बेजान, भैंस, लेनदेन, वेतन ।

7. **स्वर ओ और औ –** ओर, और, चोर, चौड़ा चोट, चौक, नोक, नौकर, पकड़ो, पकौडी ।

अतिरिक्त अभ्यास

ओला, इकलौता, उपयोग, कटौती, खोदना, गोदाम, घोड़ा, छोकना, जौहरी, झोला, टोला, ठोस, डोलना, ढोल, तोलना, थोपना, दौलत, धोकेबाज, पोशाक, फौलाद, बौछार, भोजन, मौखिक, योग, रौनक ।

8. **स्वर अं –** अंधा, कंधा, कहां, यहां, गंगा, रंग ।

9. **स्वर ए, ऐ, ओ, औ, अं का सम्मिलत अभ्यास –**देश, खेती, पंतग, छोटा, नौकर, पैसे, इंजन, तैरना, दोस्त, सौदा, लंका, पटाखे, मंत्री, चने, अंधेरा, हंस, लंबा, रोकना ।

अतिरिक्त अभ्यास

अंधा, देश, कंधा, खेती, पौधा, छोटा, हथेली शैतान, लोरी, यहां, रंग दैनिक, तैयार, महँगा, रोकना, लोरी, योजना, टंकी, नहीं, संसार, चौड़ा, आरा, और, बैल, पैर, बेलन, सुगंध, थानेदार, बंदर, बैठना, हरे, मैडम, फैला, ठेला, कमजोर ।

ब् + ब – ब्ब गुब्बारा, डिब्बा, छब्बीस,	ल् + क – क्क चक्का, धक्का, मक्का,
म् + म – म्म अम्मा, सम्मान,	ट् + ट – ट् मिट्टी, लट्टू ,
ल् + ल–लल् हल्ला, चिल्लाना, बिल्ली ।	

10. **र संयुक्त अक्षर और ऋ का स्वर** –मात्रा, पत्र, पुत्र, प्रकृत, निद्रा, ट्रक, कृपा, गृह, कृषि, तृण, नृप, पृथ्वी, वर्षा, तीर्थ, प्रार्थना, सूर्य, पूर्व, पूर्णमासी, खर्च ।

11. **क्ष, त्र, ज्ञ और श्र** जो स्वतंत्र वर्ण नहीं है ।

	त्र – त् + र मित्र पुत्र रात्रि,	ज्ञ – ज् + न विज्ञान, आज्ञा, प्रतिज्ञा
	श्र – श् + र श्रम, श्रीमान, श्रेणी, श्रेष्ठ	क्ष – क + ष क्षत्री, कक्षा, पक्षी
12.	र संयुक्त अक्षर ऋ का स्वर	नेत्र, आश्रम, क्षमा, त्रिकोण, ज्ञानी, दर्द
	व क्ष त्र ज्ञ और श्र का सम्मिलित प्रभाव	क्षेत्र, दृष्टि , धृणा, प्रधान, चित्र, शत्रु
	अभ्यास	विश्राम, समुद्र, बर्फ, प्रतीक्षा, तीर्थ, क्षति।
13.	कम प्रचलित किन्तु मिलते जुलते वर्ण	ड/ड़ ण निडर, धोड़ा, रावण, डमरू, सड़क, कीड़ा, गणेश, ढ/ढ़/ड़ ढपली, बूढा, ढोलक, चढ़ाई, लड़ाई, सीढ़ी, पेड़, पढ़ना, ध/ध धन, धर धोबी, गंध, छंद, जंगल, टंकी, मेंढक, संसार, बंधु, नहीं।
	अतिरिक्त अभ्यास	अंक, अंगुली, कंजूस, खंड, चंदन, छलांग, झंझट, ठेंगा, डंका, ढंग, तंग दंगा, धंधा, पंख, पतंग, बसंत, भंडार, मंडी, लंका, शिकंजा, संदेंश, हंगामा
14.	मात्रा रहित संयुक्त अक्षर	भक्त, पत्थर, शब्द, गट्ठर, मच्छर, तख्त ।
15.	कम प्रचलित किंतु मिलते–जुलते वर्ण –	गुण, कष्ट, दाढ़ी, ढलान, थोड़ा बेटा ।

और मात्रा वर्ण और मात्रा रहित संयुक्ताएँ का सम्मिलित अभ्यास	ज्यादा, प्राण, सेठ, घड़ी, शाम, सख्त । डेढ़, पाठ, शोभा दोष, मछली, भरत, सभी ।
16. मात्रायुक्त संयुक्ताक्षर	शुद्ध, नन्हा, कान्हा, कुम्हार, तुम्हारा, क्या, क्यारी, प्यास, प्यारा, विद्यार्थी, विद्यालय,राज्य, न्यास, अभ्यास, जन्तु, झंडा, पश्चिम, मनुष्य।
17. वर्ण जो दो बार आते हैं।	द्+ द – द्द : गद्गद्, न् + न – न्नः पन्ना, चुन्नी, मुन्नी, अन्न प् + प–प्प छप्पन, चप्पल, छप्पर।
18. मात्रा युक्त संयुक्ताक्षर और वे अक्षर जो दो बार आते हैं प्याली का संयुक्त अभ्यास	बिल्ली, मिट्टी, तुम्हारा, जल्दी, चिल्लाना,मक्खी, वस्तु, सच्चा, कुत्ता, बच्चा, उन्नीस, बिस्कुट, हुक्का, इक्कीस, समाप्त, प्यास चक्की ।

भाषा, कक्षा – 5, पाठ का नाम – पत्र

1. पाठ के बारे में – यह पाठ पत्र लेखन की विधा से परिचित कराता है । इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उसके तेरहवें जन्मदिवस के अवसर पर नैनी जेल, इलाहाबाद से लिखा था।

दक्षताएं –

- हाथ की लिखी हुई पठन सामग्री को सहजता से पढ़ना
- सही प्रारूप एवं सही दूरी के साथ लिखना
- सरल अनौपचारिक पत्र लेखन ।

सामग्री –

पुराने लिखे पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय, पुराने, अखबार, कागज

गतिविधियाँ –

1. पाठ के पत्र को पहले शिक्षक स्वयं पढ़कर सुनाएं, उसके बाद बच्चों को भी पत्र पढ़नें दें । विराम चिन्हों के उचित प्रयोग एवं शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दें ।
2. शिक्षक और बच्चे कुछ पुराने पत्र और लाएँ और उन्हें बच्चो को टोलियों में बाँटकर पढ़ने को कहें । जैसे – निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र , बधाई पत्र।
3. पुरानी चिट्ठियों द्वारा पत्र के प्रारूप को समझाएँ । जैसे – बच्चों को चिट्ठियां बाँटकर उन्हें गौर से देखने को कहें । यह भी देखने को कहें कि भेजने व पाने वाले का काम व पता, तारीख, संबोधन, अभिवादन के शब्द आदि पत्र में कहाँ – कहाँ लिखे गए हैं ।
4. पत्र के प्रारूप को बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करें ।
5. पत्र लेखन के सामान्य नियमों की जानकारी दी जाए । रिश्तेदारो को, मि़त्रो को क्या संबोधन दिया जाए, पत्र की शुरूआत व अंत कैसे की जाए ।
6. बोर्ड पर लिख कर सही शब्द से मिलवाएँ।

आदर सूचक शब्द	संबोधन	अभिवादन के शब्द
पूज्यनीय	पिताजी	––––––––
	माताजी	––––––––
प्रिय	मित्र	––––––––
सर	छोटों को	––––––––
माननीय	बडों को	––––––––

नीचे दिए शब्दो में से सही शब्द चुनकर संबोधन के सामने लिखें –

सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभ, आशीष

7. प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के एक मित्र / सहेली के लिए एक पत्र लिखे । उसमें पाने वाले का तथा अपना स्वयं का नाम व पता लिखें । इन पत्रों को एक जगह एकत्र कर सबको एक–एक पत्र बाँट दें । बारी–बारी से सभी बच्चे अपनी–अपनी चिट्ठी पढ़कर सबको सुनाएँ । तथा बताएँ कि यह पत्र किसने लिखा है व किसे लिखा है ?
8. संभव हो तो पुराने अखबार या अन्य अनुपयोगी कागजों से बच्चों को साधारण लिफाफा बनाना भी सिखाएं ।

9. ''इंदिरा के पत्र'' की तरह साहित्य में अन्य कई पत्र सम्बन्धी पुस्तकें हैं जो उपलब्ध हो सकें तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें ।
10. बोर्ड पर पत्र के प्रारुप में कुछ गलतियां करके लिखें । बच्चों को उसमें से गलतियां ढूँढने दें । पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय तथा लिफाफे के लिए कुछ पंक्तियाँ बच्चे गाकर तथा अभिनय सहित सुनाये जा सकते है ।

जैसे– मैं हूँ छोटा पोस्टकार्ड
है आयत सा आकार
सस्ता, सुन्दर और टिकाऊ
घूमें सब संसार ।
मैं हूं अन्तर्देशीय मुझको
देखभाल कर मोड़ो
संदेश छुपा लेता मैं अन्दर
डाक में मुझको छोड़ो
मैं हूं लिफाफा मेरे अन्दर
लेटी चिट्ठी रानी
रखे हाथ में क्या बैठे हो
खोलो पढ़ो कहानी ।

आंकलन हेतु

कुछ व्यक्तियों जैसे – माताजी, पिताजी, बहन, भाई, मित्र, आदि के नाम चिट में लिखकर बच्चों को बाँट दें जिसे जो व्यक्ति आए उसे किसी विषय जैसे – ''पिकनिक में कितना आनन्द आया'' पर पत्र लिखने को कहें ।

पिताजी, माताजी, भैयाजी, सहेली, मित्र, दीदी, चाचाजी, आदि नामों की चिट बनाकर बाँट दें । जिन बच्चो को जो चिट आए उसमें दिए गए संबोधन के पहले आदर सूचक शब्द व बाद में अभिवादन के शब्द लिख कर नीचे अपना नाम लिख दें ।

हल्बी हिन्दी शब्दावली

प्रस्तुत अध्याय में प्राथमिक स्तर तक के शिक्षकों को व्यवहार में लाने योग्य अति महत्वपूर्ण हल्बी शब्दों का चयन कर उनके हिन्दी अर्थ के साथ संकलित किया गया है । यह आशा की जाती है कि प्राथमिक शिक्षक थोड़े से प्रयास के बाद इन शब्दों से अवगत हो जायेंगे । हल्बी शब्दों का ज्ञान उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है जो बस्तर जिले में कार्य कर रहे है । पर इसका आशय यह कदापि नहीं है कि शिक्षक छात्रों को आवश्यक रुप से हल्बी शब्दों का ज्ञान कराए । इसका आशय यह है कि यदि भाषा शिक्षण के समय शिक्षकों को यह प्रतीत हो कि किसी अज्ञात अथवा अमूर्त भाषायी अवधारणा को छात्र नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका हल्बी पर्याय बताया जाकर कुछ दृष्टांत और उदाहरण दिए जाएँ । पुनः मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाए ।

भाषा

काठिन्य निवारण और स्थानीयता भाषायी कठिनाई को दूर करने के लिए जिन प्रक्रम या संसाधनों का प्रयोग शिक्षक करे उनमें स्थानीय बोली और परिवेश से जुडी घटनाओं वस्तुओं पर प्राथमिकता दें ।

. जैसे–

1. कहानी
2. घटनायें
3. लोकोक्तियां / मुहावरे
4. चित्र (जंगल, पेड, जीव, पहाड़)
5. समानार्थी / विरूद्धार्थी
6. हल्बी शब्द अर्थ सहित
7. व्याख्या, उदाहरण व दृष्टांत हल्बी के

स्वर और स्वर व्यंजन का निर्णय

प्रायः निम्नालिखित देवनागरी वर्णों का व्यंजन के रुप में हल्बी में प्रयोग किया जाता है ।

व्यंजनो में 'अ' ध्वनि सम्मिलित रहती हैं ।

अ, इ, उ, लघु और आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और औ दीर्ध स्वर हैं ।

प, ब, ट, उ, क, म, न, ल, र, फ, ब, स, ज, ह, व्यंजन हल्बी में प्रयुक्त होते हैं ।

संज्ञा शब्द

क्रमांक	हल्बी	हिन्दी
1.	डिबका	पहाड़ी
2.	कहा	कहाँ
3.	लीम्हू पाक	नीबू फल
4.	नरियर	नारियल
5.	बियानबेरा	सवेरे
6.	आमचो	हमारा
7.	भुई	जमीन
8.	पहार	पर्वत
9.	झगरा	लड़ाई – झगड़ा
10.	सुकसी	सूखी मछली
11.	तकता	ब्लैक बोर्ड
12.	ककई	कंघी
13.	गुरूजी	शिक्षक
14.	दुआर	आहाता
15.	भोइन	बहन

लोकोक्तियां पहेलियाँ

मुहावरे और कहावतें (धंदा, कहका)

किसी भी भाषा या बोली में लोकोक्तियों और मुहावरों का अपना विशिष्ट स्थान है। हल्बी भाषा में अनेक लोकोक्तियां और मुहावरे प्रचलित हैं ।

धंदा – पहेलियां

1. लाल गाय काग़ज खाय
2. सरग किटी पोरटी

घर आसे दुआर नी हाय

3. सुकलो रूखे वायले नाचे

4. कलिग राजर पाडा

भीतरे मास बाहरे हाडा

5. पंडरा बोकडा लेपसा कान

कान के धरून आन

6. तेली चो तेल, कुम्हार चो हाडी

हाथी चो चोडा, आउर राजा चो झंडी

7. अडगडा ऊपरे वड़गड़ा

वड़गड़ा ऊपरे डोर

गाय बैला के छाडुन दीला

कोठा के नीला चोर

(नारियल, घोसला, लेटरबाक्स, मादर, ढोल)

कहावतें

1. रूक चेग चो मन नाई

तो पिंडा ठेंगलू काय करू आय

(कठिन कार्य न करने वाला क्या कर सकता है)

2. हाथे नी आय दाम

मामा चो बेटी के मांग (साधन न होना पर कार्य करना)

3. धरे नी आय राधा

दुआरे भैंसा बोधा (दिखाना करना)

4. छिलपा चाचू बायले बाच (दिखावा मांगना न पाना)

5. वामन शिकारी

सुंडी इनकारी (भिक्षा मांगना न पाना)

6. पोसलो कुकर

उलटुन चाबे (भलाई से बुराई)

7 हुनी पतरी ने खाउन

हुनी पतरी के काना करे (विश्वासघात करना)

8. धरे रऊतेरा

हाट जाऊ बारा (घर का महत्व)

9. हाथे नीआय कासू

वायले आनलो बासू (साधनहीनता)

10. तिन सड़ईचो मात खाऊ (मेहनत कर खाना)

11. व्युकलो लार के फेर चाटे (वचन भ्रंग)

लोकोक्तियां

1. गंदना बास वामनारास (गुणहीन होना)
2. मसगत नी होले मूसा मांस नी मिरे
3. माहरा ढोंग रीग टोंग
4. संडी माहरा चो–कुकडा गाली
5. धुरवा मुरिया पाली पाली
6. गोंड बुद्धी लाड़ी राखा ।
7. जानला मुरिया सिगनपुरिया । नी जानलो धाराउरिया ।।
8. फोकटा खाउ दशहरा जाऊ
9. चुय चुय के दूय बाटा। ओगाय रहू के एक बाटा ।।
10. केबटिन चो एक पाड़

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. तिवारी , डॉ. विजय कुमार – ''छत्तीसगढ़ एक् भौगोलिक अध्ययन'' हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, 2001।
2. वर्मा डॉ. भगवान सिंह, – ''छत्तीसगढ़ का इतिहास'', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2001।
3. रामचंद्र वर्मा, – मानक हिन्दी कोष–1976 ।
4. डॉ. तेलांग, – छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी, बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, –1966 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मुम्बई ।

5. पूरन सिंह, – हल्बी भाषा बोध 1973 ।

6. रमेश चंद मेहरोत्रा, – भाषा विज्ञान का सामान्य ज्ञान 1981 रायपुर ।

7. बाल गोवन्द मिश्र, – हिन्दी स्वरुप और प्रयोग, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1986 ।

8. गुरु कामता प्रसाद , – हिन्दी व्याकरण संवत् – 2032 ।

9. दीप चंद जैन, – हिन्दी की विविध बोलियॉ, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1972 ।

10. श्री चंद जैन, – आदिवासियों के बीच, किताबघर, दिल्ली, 1980 ।

11. डॉ. शिवतोष दास, – भारत की जनजातियाँ, किताबघर दिल्ली, 1983 ।

12. सुनील चटर्जी, – भारत की भाषायें और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ, हिन्दी भवन लखनऊ, 1951।

13. आर.के.एम. बेदी, – ए ग्रामर ऑफ हलबी, शासकीय मुद्रणालय, बस्तर, 1945 ।

14. डॉ. हरदेव, – ग्रामीण हिन्दी बोलियाँ, किताब महल, इलाहाबाद, 1966 ।

15. डॉ. हीरालाल शुक्ल, – बस्तर का सांस्कृतिक इतिहास, विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर, 1978 ।

SDIS-037

छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षा का विकास एवं प्रशिक्षण (कोण्डागॉव जिला के भोंगापाल पंचायत का एक अध्ययन)

दिलीप कुमार शुक्ला[1] एवं सियालाल नाग[2]

[1] *क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर (छ0ग0), dilipshukla02@gmail.com*

[2] *पी.एच.डी. शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ0ग0)*

सार संक्षेप

आदिवासियों में अपनी पृथकता का बहुत आभास है और वे अपने आपको गैर–आदिवासी जातियों, मुसलमानों और ईसाइयों से अलग मानते हैं। भाषा उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा आधार है। बहुत सी जनजातियॉ ऐसी पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहती हैं जहाँ जनसंख्या फैली हुई है और संचार कठिन है। आदिवासी पूरे उपमहाद्वीप में फैले है परन्तु पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में इनका मुख्य आधार है। एन.के. बोस की तरह आंद्रे बेत्तेई ने भी जनजातियों के वर्गीकरण के मुख्य आधार, भाषा, धर्म और पृथकता को बतलाया है। उनकी मुख्य समस्याएँ निर्धनता, बेरोजगारी,. ॠणग्रस्तता, पिछड़ापन और अज्ञानता की हैं। आमतौर पर छोटा समुदाय बड़े समुदाय से प्रभावित होता है और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा जनजाति है। वर्तमान समय की मांग है इसमें परिवर्तन हो और इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत के संविधान की धारा 46 में लिखा गया है कि राज्य जनता के कमजोर तबकों विशेष अनुसूचितजातियों और आर्थिक हितों को विशेष सुविधा देगा और उनकी प्रत्येक प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा । जनजातीय समुदाय देश के कुल 15 प्रतिशत क्षेत्र भाग में फैले हुए हैं। वर्तमान समय में शिक्षा में महिलाओं को अवसर मिलने से भारतीय नारी की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आज महिलाओं की नई पहचान बनी है । एक सशक्त महिला के रुप में आज महिलायें अपने कर्तव्यों के प्रति ही नहीं बल्कि अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुई है। आर्थिक रूप से धर्नाजन में जुटने हेतु शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, पुलिस, शासन–प्रशासन, कला, संस्कृति, विज्ञान–व्यापर, अनेक उच्चस्तरीय तकनीकी क्षेत्रों, कम्प्यूटर, चिकित्सा विज्ञान, अनुसन्धान, मीडिया तथा राजनीति, आदि सभी क्षेत्रों में प्रवेश पा चुकी हैं। कल की साधारण सी गृहिणी आज कुशल प्रबंधक बनकर अनेक कार्यों, दायित्वों एवं कर्त्तव्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

अरस्तु के अनुसार ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।'' शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अहूति है । शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सर्तक नियंत्रण हो सकता है । शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा सप्त समूह के स्मृति में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति सही रूप में चिंतन करना सीखता है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है, व्यक्ति को संस्कारित करती है। ''शिक्षा सिखना नही वरन् मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। जनजातियों के महिलाओं में शिक्षा का प्रचार –प्रसार निहायत ज़रूरी है। चूँकि अधिकतर जनजातियों के महिलाएँ अनपढ़ हैं अतः सम्बन्धी शिक्षा हेतु दृश्य–श्रव्य उपकरणों की सहायता ली जानी चाहिए ताकि अच्छे ढंग से उन्हें जानकारी दी जा सके। शिक्षा विकास संबंधी कार्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विशिष्ट रूप से सम्मिलित उपाय किये जाने चाहिए ताकि शिक्षा विकास संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके ।

भारत का एक राज्य नवोदित छत्तीसगढ़ भारत के मध्य स्थित है। इस राज्य के बस्तर संभाग के नवोदित जिला कोण्डागॉव के जनजातीय ग्राम पंचायत भोंगापाल में महिलाओं के शिक्षा विकास के प्रति क्या स्थिति है एवं विकास, समस्याओं का अध्ययन कर इसका सुझाव देने का उ़द्देश्य है।

भारत में जनजातियों की स्थिति

भारत में नृजातीय समूहों में जनजातीय जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है । जनजातीय लोग विभिन्न नृजातीय भाषाई तथा धार्मिक समूहों से सम्बन्ध रखते हैं । उनके सामाजिक तथा आर्थिक लक्षण भी विशिष्ट होते हैं ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद

अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार इनकी कुल संख्या 550 है । सम्भवतः विश्व में जनजाति के सर्वाधिक लोग भारत में ही अनुसूचित जनजातीय की जनसंख्या 2.25 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत भाग था, 1 वर्ष 2011 में इनकी जनसंख्या बढ़कर 10.42 करोड़ हो गई जो कुल जनसंख्या का 86 प्रतिशत भाग था । जी0 एस0 धुर्ये ने अपनी पुस्तक दि शेड्यूल्ड ट्राइब्स (1959) के संशोधित संस्करण में लिखा है – ''अनुसूचित जनजातियों को ना तो ''आदिम'' कहा जाता है और न ही ''आदिवासी'' न ही उन्हें अपने आप में एक कोटि माना जाता

है। आमतौर पर उन्हे अनुसूचित जातियों के साथ शामिल किया जाता है और पिछड़े वर्गो का एक समूह माना जाता है ''अनुसूचित जनजातियों के बारे में संवैधानिक दृष्टिकोण '' का यही सार है ।

जनजातीय क्षेत्र

जनजातीय समुदाय देश के कुल 15 प्रतिशत क्षेत्र भाग में फैले हुए हैं जो भिन्न–भिन्न पारिस्थितिकी तथा भू–जलवायु स्थितियों वाले मैदानी, पर्वतीय, जंगली और दुलर्भ क्षेत्रों में रहते हैं । भारतीय जनजातियों को उनके भौगोलिक विस्तार के अनुसार निम्न भागों में बॉटा जाता है –

(1) उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र

यह उत्तर में लेह और शिमला के पूर्व में लुषशाई पर्वतों तक फैला हुआ है । इसमें समस्त उत्तर–पूर्वी राज्य सम्मिलित है। इसी की एक शाखा पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से होती हुई कश्मीर तक फैली हुई हैं। कुल जनजातियों का 12 प्रतिशत से अधिक भाग इस क्षेत्र में पाया जाता हैं ।

(2) मध्यवर्ती क्षेत्र

जनजातियों की संख्या व विस्तार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है । इसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात राज्यों की जनजातियाँ सम्मिलित हैं।

(3) दक्षिणी प्रदेश

दक्षिणी भारत में जनजातियों का एक तीसरा वर्ग पाया जाता है जो पश्चिमी घाट पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में मिलता है । यह क्षेत्र वयनाड़ से कन्याकुमारी तक फैला है जिसमें आन्ध्रपदेश, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु की जनजातियाँ मिलती हैं। भारत की लगभग 7 प्रतिशत जनजातियॉ इस भाग में निवास करती हैं ।

(4) द्वीपसमूह क्षेत्र

इस क्षेत्र में अण्डमान एवं निकोबार लक्षद्धीप तथा दमन व दीव शामिल हैं। जरग सेण्टेनिलीज, ऑग, शैपेन, ग्रेट अण्डमानी तथा निकोबारी इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियॉ हैं। इसमें से कुछ जनजातियाँ अत्यंत पिछड़ी हुई हैं तथा जीविका के पाषाणयुगीन तरीकों से मुक्ति हेतु संघर्षरत हैं ।

भारत की जनजातियाँ अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के सन्दर्भ में विभिन्न अवस्थाओं में है। कुछ जनजातियाँ संक्रमण अवस्था में है और कुछ काफी हद तक अपनी परम्परात्मक जीवन प्रणाली को अपनाएं हुए हैं। परिवर्तन के ये परिवेश बताते हैं कि भारत की

जनजातियों में विकास की प्रक्रिया असमान रही है। जनजातियों के बदलाव की नीतियां और कार्यक्रम ऐसे रहे हैं कि इनसे केवल इनकी छोटी संख्या ही लाभान्वित हुई है ।

जनजातीय अर्थव्यवस्था

भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन सर्वप्रथम दो अर्थशास्त्रियों डी0एस0 नाग तथा आर0पी0 सक्सेना ने क्रमशः 1958 एवं 1964 में किया ।

अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ –

(1) वन पर निर्भर अर्थव्यवस्था

जनजातीय अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम गुण इसकी प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता है । दूसरे शब्दों में इनकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था वन के चहुं ओर घूमती रहती हैं । अपने सरलतम उपकरणों के माध्यम से तथा बिना किसी बाहरी तकनीकी सहायता के ये अपनी ज़रूरत की पूर्ति करते है । ये अपने गृहनिर्माण से लेकर खाद्य पदार्थ तक सब कुछ जंगलों से ही प्राप्त करते हैं।

(2) परिवार

जनजातीय अर्थव्यवस्था में परिवार ही उत्पादकता की इकाई है । यह सीधे आर्थिक कार्यो में संलग्न हैं। परिवार के सभी सदस्य पति–पत्नी, बच्चे सब मिलकर यह इकाई बनाते है । श्रम विभाजन भी इन्हीं के बीच किया जाता है । जब कभी परिवार के सदस्य कार्यों को सम्पादित करने मे पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते तब दूसरे परिवार की मद्द बेझिझक ली जाती है।

(3) सरल तकनीक

प्राकृतिक दोहन की जनजातीय विधि अत्यन्त अपरिष्कृत है। इस कार्य मे बहुत उपकरण स्वनिर्मित एवं अपरिष्कृत होते हैं । आखेटक बिरहोर जनजाति एकदम सरल धुरी का प्रयोग करती है ।

(4) आर्थिक व्यवहार में मुनाफा वृत्ति का अभाव

जनजातियों में आर्थिक व्यवहार में मुनाफावृत्ति का अभाव रहता है । इनमें उत्पादन जीवनयापन के लिए किया जाता है न कि मुनाफा कमाने के लिए ।

(5) समुदाय : एक सहकारी इकाई

जनजातियों में सहकारिता उनमें प्रचलित श्रम–विभाजन की विशेषता का परिचायक है । उनमें बहुत प्रकार के कार्य एकत्र होकर और समूहों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं । बहुधा यह देखा गया है कि सम्पूर्ण समुदाय एक सहकारी इकाई की तरह कार्यरत रहता है ।

(6) उपहार तथा उत्सव विनियम

सरल जनजातीय समाज में उपहार की महत्ता पर दुर्खीम के अनुगामी मार्सल मॉस ने एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था । उसने दो प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया था । ''कुला तथा पोटलैच'' में लिनोस्की ने ट्रोबियंड दीपों के अध्ययन के सिलसिले में शंख आभूषणों के आदान–प्रदान के लिए कुला समुद्री अभियान का वर्णन किया है ।

आदान प्रदान को सर्विस ने तीन भागों में बॉटा है –

(1) साधारण आदान–प्रदान

(2) समान आदान–प्रदान

(3) नकारात्मक आदान–प्रदान

(7) निश्चित अन्तराल बाजार

अनेक जनजातीय समुदायों मे निश्चित समय अन्तराल से परम्परागत स्थान पर बाज़ार लगते हैं। उनमें बाज़ार जैसी संस्था का अभाव है । ये अन्तराल बाजार साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं । जो प्रायः हाट, बाजार, पिठीया, शांडिस इत्यादि नामों से जाने जाते हैं ।

(8) परस्पर –निर्भरता

जनजातियों में कार्यात्मक संबंध यथा एक ही जनजाति के लोगों मे दूसरी जनजाति के साथ बाहरी जातियों के साथ परस्पर निर्भरता का सम्बन्ध पाया जाता है। इस व्यवस्था के तहत् एक ही गांव या क्षेत्र मे बसने वाली विभिन्न जातियाँ एवं जनजातियाँ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं ।

(9) धांगरों की आर्थिक संस्था

भारत के कृषक जनजातियों मे एक आर्थिक संस्था ''धांग'' का प्रचलन है जिसके माध्यम से वे कृषि कार्य में मदद प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बड़े जमीन मालिकों के लिए कार्य करता है उसे ''धागर'' कहते हैं ।

छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ का भू–भाग मध्यप्रदेश से पृथक कर एक अलग छत्तीगढ़ राज्य बना दिया गया । छत्तीगढ़ राज्य निर्माण के अधोलिखित कारण है –

(1) भौगोलिक कारण

(2) सांस्कृतिक कारण

(3) प्रशासनिक कारण

(4) छत्तीगढ़ के साथ भेद – भाव

(5) औद्योगिक विकास

(6) बाहरी शोषण

छत्तीगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । यहाँ पर वन सम्पदा की प्रचुरता विद्यमान है । आदिवासी, वनवासी, एवं जनजाति इत्यादि नामों से अविहित एक मानवीय समुदाय जो मानवीय सभ्यता के विकास सोपान को अभी तक पूर्ण रूप से स्पर्श नही कर पाये हैं । जो अभी भी दुर्गम्य और सघन – वन प्रांतो की धरा में जड़ बने बैठे है उनका जीवन, उनकी शैली, उनका आचार–विचार, उनकी संस्कृति हमें शान्ति और एकान्त में भौमिकता से दूर नैसर्गिक पवित्रता के साक्षी बनाते हैं । नवगठित छत्तीगढ़ प्रान्त मूलतः इन्ही प्रकृति–पुत्रों की प्रधानता लिये है ।

2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 66,16,596 है । छत्तीगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.8 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है । विदित हो कि 1991 की जनगणना मे ंराज्य की कुल जनसंख्या का 32.5 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का था ।

छत्तीगढ़ राज्य में कुल 42 अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

अगरिया, अंध, बैगा, भतरा, भैना, भील, मुंडा मुरिया, गोंड आदि ।

ये जनजातियॉ मूल रूप से राज्य में आदिवासी समूह तीन भाषा परिवारों मे विभाजित हैं –

(1) मुंडा भाषा परिवार

(2) द्रविड़ भाषा परिवार

(3) आर्य भाषा परिवार

जनजातियों का सामाजिक जीवन

जनजातीय समाज बहुत ही सरल है । उनका सौजन्य, अतिथि सत्कार, अनुशासन, सामुदायिकता, आत्म निर्भरता, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य उनके समाज की मौलिक विशेषताएॅ इसके प्रमाण हैं।

(1) जन्म संस्कार

आदिवासी शिशु जन्म को प्राकृतिक घटना मानते हैं । गोंड़ इसे झलनोदनी एवं दुल्हादेव की कृपा मानते हैं । छः दिनों तक माता अपवित्र मानी जाती है । छठवें दिन छठी मनाया जाता है ।

(2) नामकरण

नामकरण संस्कार बच्चे के जीवन का पहला संस्कार होता है । जिसे विभिन्न जनजातियॉ अलग–अलग अवधि पर सम्पन्न करती हैं । बच्चे का नाम नदी, पहाड़, दिन, महीना, ऋतु या विशिष्ट अवसर के नाम पर रखा जाता है ।

(3) विवाह पद्धति

आदिवासी समाज में एक विवाह और बहुविवाह दोनों का प्रचलन है जनजातियों में विवाह संबंधी सीमाएं अधिक हैं –

1) क्रय विवाह – विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालो को धन देकर वधू प्राप्त करने की प्रथा होती है ।

2) सेवा विवाह – जो व्यक्ति वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ रहता है वह एक निश्चित अवधि तक भावी ससुर के घर मे रहकर उनकी सेवा करता है ।

3) गंधर्व विवाह – जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक दूसरे का वरण कर लेते है तो उस विवाह **को गंधर्व विवाह कहते है ।**

4) अपहरण विवाह – ऐसे विवाह में लड़के पक्ष के द्वारा लड़की को अपहरण कर विवाह किया जाता है।

5) विधवा विवाह – आदिवासी समाज में विधवा विवाह भी प्रचालित है ।

6) विनिमय विवाह – जब दो परिवार बिना वधु मूल्य चुकाये आपस में अपनी लड़कियों का अदान – प्रदान कर लेते है तो वह विवाह विनिमय विवाह कहलाता है।

7) हठ विवाह – यदि कोई स्त्री अपने पंसद के युवक के घर बलात् घुस जाती और धमकाने पर भी उसके घर से नहीं जाती है तब सामान्यतः उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को हठ विवाह कहते है ।

गोत्र – आदिवासी समाज में गोत्र का विशिष्ट महत्व है सभी जनजातियॉ अनेक गोत्रों में विभाजित रहती हैं । गोत्रों का विभाजन विभिन्न देवताओं के आधार पर किया जाता है । इनमें निम्नलिखित चार गोत्र प्रमुख माने गये हैं –

(1) नालुंग पेंग – चार देवताओं को मानने वाले

(2) सयुंग पेंग – पॉच देवताओं को मानने वाले

(3) सारूंग पेंग – छः देवताओं को मानने वाले

(4) येरूंग पेंग – सात देवताओं को मानने वाले

जनजातीय युवा गृह

जनजातीय युवागृह जनजातीय संस्कृतियों की प्राचीनता और मौलिक संस्थाएं उनकी विशेषतायें हैं। युवागृह उनमें से एक है यह जनजातियों की एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । युवा गृह अविवाहित लड़कों एवं लड़कियों का एक ऐसा संगठन हैं जिसका कार्य अपने समाज की संस्कृति से परिचय कराना तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप उनके मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है ।

जनजातियों का धार्मिक जीवन

आदिवासी का सम्पूर्ण जीवनचक्र धर्म पर आधारित होता है । हिन्दू देवी – देवता भी होते हैं जो हिन्दू शास्त्र में नहीं मिलते हैं । इनके देवता हैं – दुल्हादेव, बुढ़ादेव, ठाकुरदेव, धर्मादेव, करमदेव एवं देवियॉ है – खुरियाराती, भूमिमाता, दंतेश्वरी, माहामाया आदि ।

जनजातियों के देवी देवता

जनजातियों के हर गांव में अपने देवी–देवता होते हैं । धार्मिक आस्था और अंधविश्वास का गहरा ताना बाना इस अंचल में विस्तारित है । हर गांव में देवगुड़ी हाता है ।

जनजातियों के प्रमुख आदिवासी देवता

भंगाराम, बूढ़ादेव, डोकरादेव, बारह तरह के भीमा, कुंवर, भैरमबाबा, आंगापाटदेव, पाटदेव, ।

जनजाति जनजातियों की प्रमुख आदिवासी देवियां

केशरपालीन, मावली, तेलगीन, शीतलादई, हिंगलाजीन, कंकालीन, सातवाहिनी, घाटमंडीन ।

जनजातियों में लोक संगीत व लोक वाद्य

जनजातियों के जीवन में संगीत एक अनिवार्य हिस्सेदारी है । इसके बगैर सम्पूर्ण जीवन की कल्पना भी वनवासी नहीं कर सकते । उनके खेत–खलिहान से लेकर आंतरिक रीति–रिवाजों, पर्वों, अनुष्ठानों व अन्य सामाजिक वातावरण में लोक संगीत की उपयोगिता परिलक्षित है । इन लोक संगीतों को लेकर वाद्यों से और भी अवलम्बर प्राप्त होता है । लोक संगीत, लोक वाद्य व लोक नृत्य एक – दूसरे के सम्पूरक हैं ।

कोण्डागॉव जिले में जनजातीय शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण

सामान्य परिचय – बस्तर एक देशी रियासत थी जिसका विलय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय गणमान्य मे किया गया । बस्तर राजवंश के अन्तिम राजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव 1936 में उनकी माता

प्रफुल्ल कुमारी के निधन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी सौंपी । आज़ादी के बाद देश अन्य देशी रियायतों के साथ–साथ बस्तर रियासत को भी भारतीय गणराज्य में विलयकर दिया गया। बस्तर जिले से विभाजित नवोदित जिला कोण्डागॉव की स्थापना 24 जनवरी 2012 में की गई है। यह सम्पूर्ण जिला जनजातीय क्षेत्र है।

कोण्डागाँव जिले में शिक्षा

जिले में तीन शासकीय महाविद्यालय, जिसमें गुण्डाधुर महाविद्यालय कोण्डागॉव, शासकीय दण्डकारणय महाविद्यालय केशकाल, नवीन शासकीय महाविद्यालय फरसगॉव हैं । इसके अतिरिक्त मॉडल स्कूल फरसगॉव और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, ज्ञान ज्योति, ऑगनबाड़ी केन्द्र, निजी स्कूल संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए शिक्षा में जागरूकता के लिए इन्हें आरक्षण की व्यवस्था है । यह जिला मुख्यालय कोण्डागॉव, फरसगॉव, केशकाल तीन मुख्य शहर हैं और यह गाँवों का जिला है। इसमें जनजातीय क्षेत्र सर्वाधिक हैं। शासन के द्वारा चलाये जाने वाली योजना का लाभ उन्हें बहुत कम मिल पाता है। गाँवों में शिक्षा को अधिक से अधिक गॉवों में सुविधा पहुचे इसके लिए सरकार एवं समाज सेवी संस्था एवं शिक्षाविदों को ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। –''गॉवों का विकास भारत देश का विकास'' के साथ भारत की आत्मा गॉवों में निवास करती है। (महात्मा गांधी के कथन) को साकार करना हो तो गॉवों में शिक्षा का विकास करना आवश्यक है। इस जिले में प्रमुख जनजाति गोंड, हल्बा, मुरिया, मडिया, राज मुरिया, भतरा, धुरवा, परजा आदि निवास करते हैं। इस जिले में जनजातीय महिलाओं के प्रमुख आस्था इस जिले में विराजमान शीतला माता, बडेडोंगर की दन्तेश्वरी देवी एवं आलोर का लिंगेश्वरी देवी, भोगापाल का प्राचीन मूर्ति, गौतम बुद्ध एवं केशकाल का बारह मोड की घाटी एवं घाटी के बीच में उपस्थित तेलीन शक्ति माता एवं गॉवों के विभिन्न देवी–देवता जो कि यह जनजातिय महिलाओं के आस्था के प्रमुख केन्द्र है और इनकी संस्कृति वेशभूषा, कलाकृति जो जनजाति महिला को पूरे वर्ष भर इनकी तीज त्यौहारों में अपने गीतों से खुशियाँ अर्जित कर बाँटती हैं। यह कोण्डागॉव जिला बस्तर जिला के उत्तर में स्थित है।

नारी तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास रजत नग पगतल में,
पीयुष स्त्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में।।
–जयशंकर प्रसाद

प्राचीन युग से ही हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथो में नारी को पूज्यनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियां वहीं पर निवास करती हैं जहां पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन प्रचीन ग्रन्थों का उक्त कथन आज भी जितनी महत्ता प्राचीन काल में थी कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थो में प्रगति की ओर अग्रसर नही हो सकता जब तक वह नारी के प्रति भेदभाव, निरादर अथवा हीनभाव का त्याग नही करता है।

कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमणों के पश्चात् भारतीय नारी की दशा में भी परिवर्तन आने लगे । नारी की स्वयं की विशिष्टता एवं उसका समाज में स्थान हीन होता चला गया। अग्रेंजी शासनकाल के आते–आते भारतीय नारी की दशा अत्यन्त चिंतनीय हो गई। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी तथा दिन –प्रतिदिन उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार की सामना करना पड़ा। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काल में बड़े ही संवेदनशील भावों से नारी की स्थिति को व्यक्त किया है–

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।।

विदेशी आक्रमणों व उनके अत्याचारो के अतिरिक्त भारतीय समाज में आई सामाजिक कुरीतियाँ, व्यभिचार तथा हमारी परंपरागत रुढ़िवादिता ने भारतीय नारी को दीन –हीन कमजोर बनाने में अहम् भूमिका अदा की। नारी के अधिकारों का हनन करते हुए उसे पुरुष पर आश्रित बना दिया गया। दहेज, बाल–विवाह व सती प्रथा आदि इन्ही कुरीतियों की देन है। पुरुष ने स्वयं का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ग्रंथों व व्याख्यानों के माध्यम से नारी का अनुगामिनी घोषित कर दिया । अंग्रेजी शासन काल में रानी लक्ष्मीबाई, चाँद बीबी आदि नारियाँ अपवाद ही थीं जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी । स्वतंत्र संग्राम में भी भारतीय नारियों के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

भोंगापाल पंचायत की जनजातीय महिलाओं के विकास एवं प्रशिक्षण वर्तमान प्ररिपेक्ष्य में

ग्राम पंचायत भोंगापाल का संक्षिप्त परिचय

ग्राम पंचायत भोगापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यह ग्राम पंचायत दो गाँव से मिलकर बना है। भोंगापाल एवं आलमेर । यह दोंनों गाँवों में अनुसूचित जनजाति की बाहुलता है। इसके अतिरिक्त भी ग्राम पंचायत भोंगापाल में अन्य जाति निवास करती है। ये इस प्रकार हैं– कलार, मरार, यादव, साहू इत्यादि है। ग्राम पंचायत भोंगापाल की थाना बड़े डोंगर, तहसील फरसगाँव, कोण्डागांव बस्तर (छ.ग.) है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर से भोंगापाल को जोड़ने वाली सड़क राष्ट्रीय

राजमार्ग क्रमांक 43 है जो कि विकासखण्ड फरसगाँव तक की लम्बाई 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रायपुर से जाते समय विकासखण्ड़ फरसगाँव से दायीं ओर 16 किलोमीटर पर थाना बड़ेडोंगर है । बड़ेडोंगर से भोंगापाल़ तक 30 किलोमीटर है । इस तरह 246 किलोमीटर दक्षिण –पश्चिम में स्थित है। भोंगापाल से आलमेर 4 किलोमीटर पर स्थित है । दोनों गाँवों को मिलाकर वर्तमान में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ये दोंनों गाँवों की संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं–

(1) भोंगापाल – भोंगापाल में गोंड जनजाति की बहुलता है । यहाँ की मुख्य बोली हल्बी एवं गोंडी है। यह की जनता कृषि एवं वन पर आधारित रहती है। ग्राम भोंगापाल में प्रशासनिक विभाग में तीन आंगनबाडी केन्द्र हैं। इसमें एक ही आंगनबाडी केन्द्र भवन है। दो भवन हीन हैं। दो नवीन ज्ञान ज्योति स्कूल हैं। एक प्राथमिक स्कूल है । दो पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल हैं। एक नवीन हाई स्कूल भी खोला गया है। जो भवन एवं शिक्षक के अभाव में अन्तिम सांस ले रहा है। इस पंचायत में पहुँचने के लिए कच्ची सडक है जिसमें वर्षा में आने–जाने में परेशानी होती है । कोटपाड़ की जनसंख्या सन् 2011 की जनगणनानुसार 785 है । इनमें स्त्रियों की संख्या 400 है जबकि पुरुषों की संख्या 385 है। भोंगापाल की कुल सक्षारता दर 37.17 प्रतिशत है। इनमें पुरुष 52.63 प्रतिशत तथा महिलाएँ 22.05 प्रतिशत हैं।

(2) आलमेर – ग्राम आलमेर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर गोंड जनजाति निवास करते रहते हैं। यहाँ की मुख्य बोली गोंडी है। यहाँ की जनता भी कृषि, वन, नदी पर आधारित रहते हैं। यहाँ दो आंगनबाडी केन्द्र हैं । एक आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन नही है । एक ज्ञान ज्योति स्कूल है। इसका भवन तो है पर शिक्षक नहीं है। एक प्राथमिक शाला, एक पूर्व माध्यमिक शाला, जिसमें भी शिक्षक का अभाव है । इसमें एक शिक्षक कार्यरत है।

यह एक घोटुल की प्राचीनता को जीवित रखा है । घोटुल वास्तव में अविवाहित युवकों एवं युवतियों का संगठन है। घोटुल एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसे अनुशासन की प्रमुख संस्था कहा जा सकती है। गाँव के घोटुल में अविवाहित युवक –युवतियों को आपस में मिलकर समाज में रहना सिखाया जाता था। घोटुल एक प्रकार का 'रात्रिकालिन क्लब' है। जो वर्तमान में अन्तिम सांस ले रहा है। आलमेर में जनसंख्या वर्तमान जनगणनानुसर 2011 की कुल जनसंख्या 475 है, इसमें महिलाएं 265 है। पुरुष 210 है। आलमेर की कुल साक्षारता दर 27.65 प्रतिशत है। इनमें पुरुष 40 प्रतिशत, महिलाएं 19.23 प्रतिशत है।

तालिका कमांक 1.01

साक्षारता दर

क्रमांक संख्या	कक्षा	महिलाओं की संख्या		पुरुषों की संख्या	
		अ.ज.जा.	पि.व.	अ.ज.जा.	पि.व.
1	पहली–पाँचवीं	25	15	100	66
2	छठवीं–आठवीं	80	14	60	40
3	नवीं–बारहवीं	20	10	18	11
4	बारहवीं–स्नातक	4	1	4	1
5	स्नातक–स्नातकोत्तर	1	1	4	–
	कुल	120	14	186	118

अ.ज.जा. अनुसूचित जनजाति

पि.व. पिछड़ा वर्ग

सुझाव एवं निष्कर्ष

संक्षेप में बस्तर सम्भाग के नवोदित जिला कोण्डागॉव के भोगापाल पंचायत में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण ''घर की चौखट से शिक्षा तक के सफर ''का यदि मूल्यांकन करे तो परिणाम बहुत आशाजनक नहीं कहे जा सकते हैं । राजनीतिक, सामाजीकरण शिक्षा प्रश्नवाचक चिन्हों के दायरे में है। इसके सुझाव निम्नांकित हैं –

(1) अंचल की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण कोण्डागॉव जिले में इस हेतु विशेष कार्यक्रम बनाया जाये।

(2) अपने कार्य एवं अधिकारों के समुचित क्षेत्र के अभाव के कारण ये अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रभावी सिद्ध नही हुई है। अतः यह आवश्यक है कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं अर्द्धवार्षिक या वार्षिक प्रशिक्षण की विधिवत् व्यवस्था की जाय । उन्हें कार्यालयीन रीति तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाये।

(3) जनजाति के दोयम दर्जे का मुख्य कारण उनकी आर्थिक पराधीनता है । अतः जनजातीय महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए । राष्ट्रीय

महिला कोष की कार्यकारी निर्देशक श्रीमति इंदिरा मिश्र का भी मानना है कि –''आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाये बिना महिलाओं के शिक्षा विकास की बात करना बेमानी है।''

(4) जनजाति एवं नौकरशाहों में उचित संपर्क, समन्वय व सामंजस्य आवश्यक है ताकि सरकारी योजनाओं के कारगार व व्यावहारिक क्रियान्वन को सुनिश्चित किया जा सके ।

(5) जनजाति क्षेत्रों में उचित स्कूल, कॉलेज की सुविधा एवं संचार व्यवस्था का प्रदान करना।

(6) जनजाति क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं संचार के लिए पक्की सडकों की व्यवस्था किया जाना चाहिए ।

(7) शिक्षा सभा एवं शिविर के माध्यम से प्रचार प्रसार अत्याधिक मात्रा में करना चाहिए ।

(8) नक्सलवाद की समस्या का त्वरित समाधान आवश्यक है। (चाहे बातचीत से हो या अन्य साधनों से)

(9) स्थानीय भाषा में शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के नवीन जिला कोण्डागॉव (ग्राम पंचायत भोंगापाल) की जनजातीय महिलाओं के शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण की सहभागिता कई दशक उपरांत भी संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है । जनजातीय क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की चुनौतियॉ अन्नत हैं । वर्तमान समय में टेक्नोलाजी को गांव –गांव तक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण से भविष्य में इसके ठोस एवं सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे ऐसे शुभ संकेत अवश्य मिलने लगे हैं। सरकार को चाहिए कि महिलाओं के लिए शिक्षा विकास एवं प्रशिक्षण वर्तमान समय में क्षेत्र के उचित अवसर व्यवस्था, प्रचार, प्रसार की आवश्यकता है ताकि ईक्कीसवीं सदीं में एक नवीन ग्रामीण समाज का शिलान्यास संभव हो सके । कहना ना होगा की भारत में जनजातीय महिलाओं के शिक्षा विकास के बिना अधूरी साबित होगा।

परिशिष्ट

1 साक्षात्कार अनुसूची

साक्षात्कार अनुसूची क्रमांक ....   कोड क्रमांक................

1.व्यक्तिगत परिचय –

1.1   उत्तरदाता का नाम :–

1.2 विकास खण्ड नाम :— 1.3 जिला :— कोण्डागॉव

1.4 जाति :— 1.5 धर्मः—

1.6 आयुः— 1.7 शिक्षाः—

1.8 भाषाः— 1.9 जन्म स्थान :—

1.10 स्थायीः—

1.11 वैवाहिक स्थितिः—

2 शिक्षा संबंधी प्रश्न :—

2.1 हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी कितनी है?

————————————————————————————————

_ 2.2 कॉलेज की दूरी कितनी है?

————————————————————————————————

2.3 आप कहाँ तक पढे हैं?

————————————————————————————————

2.4 शिक्षा में लड़कियों के लिए सरकारी योजना है या नहीं ?

————————————————————————————————

2.5 शिक्षा विकास के लिए प्रशिक्षण होनी चाहिए या नही ?

————————————————————————————————

2.6 महिलाओं के विकास में शिक्षा की आवश्यकता है या नही ?

————————————————————————————————

2.7 महिलाओं के शिक्षा सम्बधी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है ?

————————————————————————————————

2.8 पढते समय घर वालों का सहयोग मिला या नहीं ?

————————————————————————————————

3. साक्षात्कार लिये गये लोगों की सूची

क्रमांक	नम	पद	जिला
1	श्रीमति फुलमति नेताम	पूर्व सरपंच	कोण्डागांव
2	श्रीमति निमेन्द्री नाग	मितानिन	कोण्डागांव
3	श्रीमति श्याम नेताम	शिक्षाकर्मी	कोण्डागांव
4	श्रीमति कुमारी मोनिका	10 वीं	कोण्डागांव
5	श्रीमति सनबत्ती नाग	रोजगार सचिव	कोण्डागांव
6	श्रीमतिलच्चोन नाग	आंगनबाडी कार्याकर्ता	कोण्डागांव
7	श्रीमति राधानाग	मितानिन	कोण्डागांव
8	श्रीमति सुनिता	उपसरपंच	कोण्डागांव
9	श्रीमति सियाबत्ती	पंच	कोण्डागांव
10	श्रीमति रामबत्ती	पंच	कोण्डागांव
11	श्रीमति लच्छनतीन	पूर्व पंच	कोण्डागांव
12	श्रीमति बोधनी	पूर्व पंच	कोण्डागांव
13	श्रीमति सुभाय सलाम	पूर्व पंच	कोण्डागांव
14	श्रीमति मालती दुग्गा	आंगनबाडी कार्याकर्ता	कोण्डागांव
15	श्रीमति माली कोर्राम	पूर्व पंच	कोण्डागांव
16	श्रीमति फूलमती सलाम	पूर्व पंच	कोण्डागांव
17	श्रीमति उर्मिला कोर्राम	आंगनबाडी कार्याकर्ता	कोण्डागांव
18	श्रीमति मथनी नेताम	स्नातक	कोण्डागांव
19	कुमारी शशि नेताम	बारहवीं	कोण्डागांव
20	कुमारी झिडगों सलाम		कोण्डागांव

3. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 बेहार– डॉ0रामकुमार –बस्तर एक अध्ययन म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1995 ।

2 शर्मा एल0शर्मा – भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिर्वतन रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 2006।

3 डॉ उपाध्याय, विजय शंकर एवं शर्मा, डॉ0विजय प्रकाश –भारत की जनजातीय संस्कृति म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ,भोपाल 2004।

3 शर्मा डॉ0 तृषा – छ0 ग0 इतिहास ,संस्कृति एवं परम्परा वैभव प्रकाशन रायपुर छ0ग0 2010।

5 डॉ0ए0आर0एन0श्रीवास्तव – जनजातीय भारत म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 2004।

6 उत्प्रेती डॉ, हरिश्चन्द्र – भारतीय जनजातियाँ :संरचना एवम् विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2002।

7 सामाचार पत्र–पत्रिकाएँ एवं न्यूज पेपर

SDIS-44

Skill development approaches for generating rural employability
कौशल विकास प्रयासों से ग्रामीण रोजगार सृजन की संभावना

सुश्री रंजना नीलिमा कच्छप एवं डॉ0 भूप नारायण सिंह

Govt. Naveen Girls College, Baikunthpur, District Korea Chhattishgarh

संक्षिप्त सार

शिक्षा विकास का मूलमंत्र है । मानव जीवन के विकास के लिए शिक्षा ही प्रमुख आभूषण है। शिक्षा के साथ संस्कार एवं कौशल विकास भी आज के बदलते औद्योगिक परिवेश में आवश्यक हैं। कौशल विकास से ही विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाला यह देश विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में अपने को स्थापित करते हुए देश–दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ा रह सकता है।

भारत का दिल गाँवों में बसता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,07,26,932 पायी गयी जिसमें पुरूष जनसंख्या 62,37,24,248 तथा महिला जनसंख्या 58,64,69,174 पायी गयी। कुल जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में निवास करती है। कृषि प्रधान देश होने के कारण लगभग 53 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं जबकि कृषि क्षेत्र से देश को मात्र 18 प्रतिशत आय की प्राप्ति होती है।

वर्तमान में तेजी से बढ़ते आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य में प्रौद्योगिकी पहले से भी ज्यादा अनिवार्य हो गयी है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आवश्यक है कि जहाँ प्रौद्योगिकीय विकास एवं रोजगार सृजन एक साथ करना है । कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाय। भारत को युवाओं का देश कहा जा रहा है । यहां लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 40 वर्ष से कम की है। इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना संभव नहीं है। प्रत्येक युवा के अंदर कोई न कोई कला होती है । कुछ उसे पहचान लेते हैं जबकि कुछ को पता नहीं होता है। युवाओं को नई दिशा देने के लिए आवश्यकता है । विद्यालयों में शिक्षा, संस्कार के साथ पर्यावरण जागरूकता एवं कौशल उन्नयन के प्रयासों पर ध्यान दिया जाए ।

समय के साथ क्षेत्रानुसार उपलब्ध संसाधनों, उद्योगों एवं अन्य उत्पादनों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कई अवसर उपलब्ध हो सकते हैं इससे प्रत्येक युवा स्वयं को आत्मनिर्भर एवं हर परिस्थिति में खड़ा करने योग्य बना सकता है।

उद्देश्य – कौशल विकास से ग्रामीण रोजगार के अवसरों की पहचान करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों एवं अवलोकन पद्धति पर आधारित है।

कौशल विकास से सृजन होने वाले रोजगारों की संभावना

1. पर्यटन बहुलता वाले क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी कौशल प्रशिक्षण

2. कृषि वाले क्षेत्रों में कृषि संबंधी उद्योगों का प्रशिक्षण

3. वन बहुलता क्षेत्रों में वन आधारित उद्योग धंधों की जानकारी

4. खनिज आधारित उद्योगों से संबंधित कौशल विकास

5. फलों पर आधारित कौशल विकास

6. टी0व्ही0, मोबाइल रिपेयरिंग एवं मैकेनिक संबंधी जानकारी

उपरोक्त क्षेत्रों में कौशल विकास के प्रयास किये जायें तो निश्चित रूप से लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे तथा वह स्वयं को शहरी क्षेत्रों में भी जीविकोपार्जन करने योग्य बना सकेगा। उनमें आत्मनिर्भरता आयेगी एवं बेरोजगारी दूर होने के साथ देश का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

प्रस्तावना

कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख उपलब्धि कौशल प्रशिक्षण योजना है। कौशल प्रमाणीकरण एवं प्रोत्साहन की इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उपलब्धि आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोज़गार पाने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षितों को मौद्रिक प्रोत्साहन तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के गठन की घोषणा 2008–09 में हुई थी जिसके तहत् 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 मई 2014 को नए मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया तथा 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरूआत की जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ

किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कौशल विकास के महत्व को पहचानना तथा 2022 तक 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर कौशल विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित करना है।

विश्व में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने कौशल उन्नयन् के लिए कानून बनाया था । देश में यू.पी.ए .सरकार ने सबसे पहले कौशल विकास योजना पर काम शुरू किया था । छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे कानून का रूप देकर ठोस स्वरूप प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने कौशल उन्नयन के लिए प्रदेश स्तर पर प्राधिकरण का गठन किया। साथ ही नौ जिलों में इसका विस्तार किया। आवश्यकता है प्रदेश के सभी जिलों में इसका विस्तार करते हुए कौशल विकास के लिए जिलेवार कार्ययोजना बनाने की। प्रत्येक जिले की अपनी प्राचीन एवं परम्परागत कला–कौशल है । कौशल विकास से उसका उपयोग सही ढंग से संभव हो सकता है एवं अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिल सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रों में जनजातीय समूह पाये जाते हैं जिसमें सर्वाधिक जनजातियाँ बस्तर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या (1,21,05,69,573) का अनु0जा0 16.6 प्रतिशत तथा अनु0ज0जा0 8.6 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या (2,55,45,198) का अनु0जा0 12.82 प्रतिशत तथा अनु0ज0जा0 30.62 प्रतिशत एवं कोरिया जिले की कुल जनसंख्या (658917) का अनु0जा0 8.31 प्रतिशत तथा अनु0ज0जा0 46.18 प्रतिशत पाया गया।

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि जिन 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा उनमें 53–54 फीसदी लोग कृषि क्षेत्र में हैं। तकनीकी विकास एवं औद्योगिकरण की दौड़ में आवश्यकता है क्षेत्रीय, ग्रामीण आवश्यकता के आधार पर कौशल विकास किये जाएँ। कौशल विकास का तात्पर्य यह नहीं कि उससे केवल पैसा कमाये पर इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास ला सके एवं किसी भी क्षेत्र में स्वयं को खड़ा करने योग्य बन सके।

वर्तमान में भारत को युवाओं की आबादी वाला देश कहा जा रहा है। प्रत्येक तीन व्यक्तियों में तीसरा व्यक्ति युवा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या के गांवों में रहने के कारण यहां ग्रामीण एवं शिक्षित बेरोजगारी पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वे तो अच्छे स्कूलों में पढ़कर आगे निकल जाते हैं पर जो गरीब घर के बच्चे हैं वे शिक्षा नीति के कारण कक्षा 8 वीं तक तो पास हो जाते हैं पर हाई स्कूल व हायर सकेण्डरी की परीक्षा में असफल होकर पढ़ाई छोड़

देते हैं तथा श्रम बाज़ार का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर तो स्कूलों में दर्ज संख्या बहुत अधिक होती है जबकि हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी पहुंचते–पहुंचते दर्ज संख्या बहुत कम हो जाती है। महाविद्यालयीन शिक्षा तक दर्ज संख्या बिलकुल ही कम हो जाती है। ग्रामीण युवा साक्षर तो हो जाते हैं पर सही शिक्षा न मिलने के कारण उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। थोड़ा पढ़ने के कारण वे कृषि कार्य भी नहीं करना चाहते हैं।

ग्रामीण युवाओं को अच्छी शिक्षा दिलाने का न केवल प्रयास किया जाय वरन् शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण कौशल उन्नयन की व्यवस्था की जाय जिसमें युवाओं के अभिभावकों की कौशल क्षमता का भी ख्याल रखा जाय। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के बाद प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाएँ जिनकी वैधानिकता भी निश्चित करने की आवश्यकता है । इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो पूर्व से ही अपने कार्य में दक्ष हैं उन्हें भी वैधानिकता प्रदान करते हुए उनकी दक्षता का लाभ लिया जाए।

देश में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की प्रथा कभी नहीं रही। विभिन्न कारणोंवश परंपरागत रोजगार के अवसर स्वयं समाप्त हो गये। पूरे विश्व की नजर अब हमारे सर्वाधिक युवाओं वाले देश पर टिकी हुई है। सभी क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की मांग को पूरा करने एवं कौशल की मांग व आपूर्ति के बीच मौजूदा खाई को दूर करने के लिए आवश्यकता है कौशल उन्नयन की। मौजूदा केन्द्र सरकार इसे लेकर गंभीर है ।

उद्‌देश्य – कौशल विकास से ग्रामीण रोजगार के अवसरों की पहचान करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों एवं अवलोकन पद्धति पर आधारित है।

अध्ययन का क्षेत्र – छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण आदिवासी अंचल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों की संभावना बतायी गयी है।

पूर्व शोध साहित्य का अध्ययन –

1. ललन कुमार महतो, 2015

"प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – रोजगार को नई दिशा" इनके अध्ययन में कौशल विकास योजना के उद्‌देश्य एवं मिशन की जानकारी दी गयी है।

2. नरेन्द्र मोदी, 2015 –

कौशल विकास योजना के उद्घाटन समारोह पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण जिसमें कौशल विकास योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में बताया गया है।

अध्ययन से प्राप्त परिणाम

कौशल विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगारों के सृजन की संभावना

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का बड़ा हिस्सा जो 10वीं 12वीं फेल होकर श्रम बाज़ार का हिस्सा बन चुके होते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं एवं ग्रामीण बेरोजगारी जिसमें छिपी तथा मौसमी बेरोजगारी पायी जाती है। यदि कौशल विकास से उनमें रोजगार के क्षेत्रों की पहचान करायी जाए एवं ग्रामीणों में छिपी कलाओं में निखार लाए जायें तो कई रोजगार के अवसरों की सृजन होने की संभावना बनती है जो इस प्रकार हो सकते हैं–

1.कृषि क्षेत्रों में कौशल विकास –

कृषि प्रधान देश होने के कारण आवश्यकता है कृषि क्षेत्र में कौशल विकास किया जाय। वर्तमान में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में मात्र 18 प्रतिशत का योगदान प्राप्त हो रहा है । यही स्थिति रही तो देश में खाद्यान्न की कमी हो जायेगी। अतः कृषि के क्षेत्र में लोगों को जानकारी की आवश्यकता है–

अ. फसल उत्पादन संबंधी जानकारी–

1. उन्नत किस्म के बीज व खाद का प्रयोग किस तरह किया जाए कि अधिक उत्पादन की प्राप्ति की जा सके।
2. मिट्टी की पहचान कर किस मिट्टी में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाए, की जानकारी देना।
3. उत्पादित फसल को कैसे बाजार तक पहुंचाया जाए।

ब. कृषि आधारित सहायक उद्योगों की जानकारी –

राइस मिल, भूसे से बनने वाली चीजों की जानकारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनाज, दाल, मसाला, चटपटे मसाले की पैकिंग व विपणन, ताड़ उत्पाद उद्योग, गन्ना गुड़, मधुमक्खी पालन, अचार, दलिया निर्माण, पशु चारा निर्माण आदि।

स. पशुपालन संबंधी जानकारी – मछलीपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मुर्गी से अंडे तथा गोबर खाद की जानकारी।

लाभ –

इन क्षेत्रों में ग्रामीणों का कौशल विकास किया जाए तो लोगों में कृषि कार्यों के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा कृषि से संबंधित अन्य सहायक उद्योगों को चलाने से कई ग्रामीण युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है।

2. **वन आधारित उद्योग–धंधों के लिए कौशल विकास–**

जिन क्षेत्रों में वनों की बहुलता पायी जाती है उन क्षेत्रों में वनों से प्राप्त होने वाले संसाधनों से संबंधित उद्योग धंधों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है जिससे कत्था निर्माण, गोंद निर्माण, लाख निर्माण, कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बांस एवं बेंत उद्योग, कागज की तश्तरी, लिफाफा, झाड़ू, चटाई, जूट उत्पाद आदि उद्योग धंधों में कई ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर खुल सकते हैं।

3. पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल विकास–

ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनके विकास की आवश्यकता है । उनका विकास होने से पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं । इससे क्षेत्र का विकास भी होगा एवं कुछ ग्रामीण गाइड बन सकते हैं । कुछ लोग ड्रायवर बन सकते हैं, कुछ होटलों में कार्य कर सकते हैं।

4. **भाषा, देश एवं संस्कृति की जानकारी संबंधी कौशल विकास –**

देश में चूंकि लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है अतः ग्रामीणों को इस तरह से भी प्रशिक्षित किया जा सकता है –

1. बोलने की कला विकसित करना जिससे वे सही तरीके से बात कर सकें।
2. भाषा संबंधी ज्ञान दिया जा सकता है
3. संस्कृति व सभ्यता की पहचान कराने की आवश्यकता

5. **लघु एवं कुटीर उद्योग संबंधी प्रशिक्षण –**

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में कला होती है तथा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं –जैसे– चित्रकारी, मिट्टी की चीजें बनाना, बाँस के खिलौने तथा फर्नीचर, टोकरी आदि, टेराकोटा की चीज़ें बनाना आदि। प्रशिक्षण के अभाव में कार्यों में निखार नहीं आ पाता है यदि उनको प्रशिक्षित कर प्रोत्साहित किया जाय तो इस क्षेत्र में कई ग्रामीणों को रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है।

6. **फलोत्पादन के क्षेत्र में कौशल विकास** –

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास थोड़ी न थोड़ी ज़मीन अवश्य होती है। इन भूमि का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको बिना मेहनत के उगाया जा सकता है। जैसे आम, अमरूद, पपीता, नीबू, कटहल, बेर, लीची, शहतूत, आदि। जिनका उत्पादन करके ग्रामीण अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा का विक्रय कर आय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में फलोत्पादन से संबंधित अन्य उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी कौशल विकास किया जा सकता है जैसे – फलों से जैम, अचार, मुरब्बा का निर्माण कर रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है।

1 **फलों की खेती** – इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों को शामिल किया जाता है। जिसके अंतर्गत परम्परागत फल एवं गैर–परम्परागत फल आते हैं। भारत के साथ–साथ छत्तीसगढ़ में भी सभी फल पैदा किये जाते हैं। परम्परागत तौर पर आज भी आम, केला, नीबू, अमरूद, सेब, पपीता, लीची, अंगूर, अनन्नास, बेर एवं चीकू का ही उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है। गैर परम्परागत फलों का उत्पादन एवं विपणन स्थानीय क्षेत्र के आधार पर होने के कारण इनका मूल्य कम होता है। बहुत से गैर–परम्परागत फल वनों से तोड़कर लाये जाते हैं। ये फल अधिकतर शुष्क, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य इन फलों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। इनका उत्पादन करके दैनिक आहार में इनका उपयोग किया जा सकता है तथा फलों के विक्रय से प्राप्त आय द्वारा भोजन व सब्जी खरीदी जा सकती है। (अनार, बेल, लीची, स्ट्राबेरी, देशी खजूर, जामुन, करौंदा, इमली, अखरोट, कटहल, शरीफा, जैतून, आदि। सब्जियों में मखाना, कुन्दरू, सहजन, परवल, ओल आदि।

2 **फूलों की खेती** – इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शोभायमान पौधे, वृक्ष तथा अलंकृत बागवानी को शामिल किया जाता है। भारतीय संस्कृति में बिना फूल व पत्तियों के कोई भी

धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। पुष्पीय फसलों के सामाजिक–आर्थिक महत्व के अतिरिक्त पुष्पीय पदार्थों के उद्योग विकसित होने की अपार संभावनायें हैं। सन् 1995 में विश्व में पुष्प तथा पौधौं का 680 करोड़ रू0 का व्यापार किया गया जिसमें भारत की भागीदारी मात्र 0.389 प्रतिशत रही । इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवी–देवताओं को फूल चढ़ाये जाते हैं तथा पुष्पों का राष्ट्रीय महत्व भी है। सुंदरता के लिए, छाया एवं शीतलता के लिए, रंगीन दृश्य निर्माण के लिए, वायु प्रदूषण रोकने तथा वातावरण शुद्धिकरण के लिए, वायु गति को कम करने या वायु अवरोधक के लिए, आदि।

3 **सब्जियों की खेती** – इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साग़, सब्ज़ियों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत 880 लाख टन सब्ज़ियां पैदाकर विश्व के सब्जी उत्पादक देशों में दूसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करता है। यह मात्रा हमारी बढ़ती आबादी को मात्र 210 ग्राम सब्जियां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने में समर्थ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पोषण विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्ज़ियों की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए हमें सब्ज़ियों की पैदावार और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में भिंडी, बरबट्टी, तोरई, सेम, फूलगोभी, पत्तागोभी, गाजर, टमाटर, आदि सब्जियों की खेती तो की ही जाती है इसके अतिक्ति कुन्दरू, परवल, सहजन, बड़े अरहर, सिंघाड़ा एवं कमल ककड़ी, करी पत्ती, चौलाई, लाल भाजी, पालक भाजी, बथुआ आदि सब्जियों की खेती करके सामान्य तथा गरीब लोग भी अपने भोजन में पौष्टिक सब्ज़ियों को शामिल कर सकते हैं एवं कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं।

7. **ड्रायविंग व मैकेनिक संबंधी क्षेत्रों में कौशल विकास** –

ग्रामीण क्षेत्र में कई युवा बेरोजगार रहते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोगों के पास गाड़ियां होती हैं पर यदि वे गाड़ी चलाने के लिए ड्रायवर खोजते हैं तो कुशल ड्रायवरों की कमी पायी जाती है। यदि युवाओं का कौशल विकास किया जाए तो कई युवक इस क्षेत्र में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह मैकेनिक का कार्य है कौशल विकास से छोटे–छोटे कार्य ग्रामीण स्वयं कर सकते हैं तथा इस क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

8. औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास–

तकनीकी प्रगति एवं कम्प्यूटर क्रांति ने उद्योगों में शिक्षित तथा कुशल कारीगरों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। शिक्षा के प्रसार ने नए ज़माने की इस मांग को पूरा करना संभव बनाया

जिससे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। आने वाले समय में इसकी आवश्यकता में और वृद्धि होगी। अतः हमारी युवा पीढ़ी को उस समय के लिए तैयार करना अतिआवश्यक है।

9. **मोबाइल संबंधी ज्ञान व कौशल विकास –**

ग्रामीण युवाओं को मोबाइल संबंधी ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान युग मोबाइल का युग है । गाँव–गाँव में भी मोबाइल उपलब्ध है किंतु मोबाइल की पूरी जानकारी लोगों को नहीं है । इस क्षेत्र में भी कौशल विकास किया जा सकता है।

10. **पाक कला के क्षेत्र में कौशल विकास** –

जगह–जगह रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्टल तथा घरों में भी रसोइए की आवश्यकता होती है । इस क्षेत्र में कौशल विकास से कई लोग रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।

11. **कौशल विकास से महिला सशक्तिकरण** –

जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 58,64,69,174 जनसंख्या महिलाओं की है। इनमें से 65.46 प्रतिशत शिक्षित हैं। यदि उनमें कौशल विकास किया जाए तो कई क्षेत्रों में वे कार्य कर सकती हैं तथा आय प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में जगह–जगह हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज खुल गये हैं। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं होते, 12 वीं पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं किंतु जानकारी के अभाव में वे कुछ कर नहीं पाते हैं। कौन से विषय की पढ़ाई करने से किस क्षेत्र में जा सकते हैं अतः उनमें भी कौशल विकास की आवश्यकता है। जैसे –

1. लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कब और कैसे की जाय?
2. कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपने आप को किस तरह तैयार किया जाय?
3. पुलिस की नौकरी के लिए कौन से अभ्यास किए जाएँ?

4. कम्प्यूटर का ज्ञान कैसे प्राप्त करें?

5. साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें?

6. अन्य क्षेत्रों की जानकारी आदि?

इन प्रयासों से ग्रामीण युवा भी आगे आऐंगे एवं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

अतः यदि कौशल विकास का प्रयास किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई रोजगारों के सृजन की संभावना है। ग्रामीण युवाओं को सही जानकारी मिलने से अपने आप को किसी भी क्षेत्र में खड़ा करने योग्य बना सकेगा। वह आत्म निर्भर बनेगा एवं बेरोजगारी में कमी आएगी।

सुझाव –

1. **पर्यावरण की रक्षा** –

औद्योगीकरण की दौड़ में यदि पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए आवश्यकता है कौशल विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करने की जानकारी दी जाय।

2. **नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की जानकारी –**

वर्तमान समय में देखा जाय तो औद्योगीकरण की दौड़ के साथ नैतिक व मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। आवश्यकता है इसकी जानकारी की ताकि देश का आज का युवा आने वाले कल के लिए इन मूल्यों को बरक़रार रख सके।

3. **देश की संस्कृति एवं सभ्यता की पहचान कराना** –

देश की संस्कृति एवं सभ्यता की पहचान से ही युवा स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर से कोई भी कार्य को सम्पन्न कर पायेगा तथा देश की संस्कृति का ज्ञान उसे होगा एवं आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जानकारी हो पाएगी।

4. **कौशल प्रशिक्षण के बाद वैधानिकता प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जाना चाहिए।**

5. **कौशल प्रशिक्षण से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।**

6. कौशल विकास खानापूर्ति न होकर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा लाभान्वित हो सकें।

निष्कर्ष –

कहा जा सकता है कि भारत का दिल गांवों में बसता है। यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वर्ष 2013–14 में 5 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से मार्च 2014 तक 20,84,843 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया एवं 1,39,076 युवाओं को रोजगार दिलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास प्रयासों से कई रोजगारों के सृजन की संभावना है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा । आय में वृद्धि होने से उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी तथा बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। बंजर भूमि एवं युवा शक्ति का उचित दोहन होगा एवं बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ

1. *सिंह, आशुतोष कुमार 2015 – **बदलते गांव उभरता भारत** कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, पेज नं0 09।*
2. *महतो, ललन कुमार (2015) **"प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – रोजगार को नई दिशा"** कुरूक्षेत्र, अक्तूबर, पेज नं0 65 से 69 तक।*
3. *कौशल विकास मिशन के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण।*
4- *www.Jagranjosh.com*
5. *दैनिक भास्कर, नव भारत पत्रिका।*

SDIS-046

राष्ट्रीय छात्र सेना एवं सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Archana Gomasta
Dept. of Education, Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.), India
Email -archrpr@gmail.com

सारांश (Abstract)

किसी भी राष्ट्र के युवा देश की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति और धरोहर होते हैं। वे राष्ट्र के भावी निर्माता, नेतृत्वकर्ता, संचालनकर्ता और विकास के प्रतीक होते हैं। उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण इन युवाओं का समुचित विकास और उन्नयन हो, यह परमावश्यक है। युवा ऊर्जा का अपव्यय धन, संपत्ति के अपव्यय से भी अधिक हानिकारक है क्योंकि धन के अपव्यय का प्रभाव एक व्यक्ति या अधिक से अधिक एक परिवार पर ही पड़ता है किन्तु युवा शक्ति को व्यर्थ जाने देने का तात्पर्य है समाज, राष्ट्र को विनाश के गर्त में ढकेलना। प्रश्न यह है कि इन युवाओं को किस तरह सम्हाला जाये, उनका उचित विकास किया जाये, उनमें निहित प्राकृतिक गुणों एवं ऊर्जा को सही दिशा दिया जाये जिससे उनकी ऊर्जा विनाशकारी और विध्वंसकारी नहीं बने।

मानवीय जीवन मूल्यों में देशभक्ति, मानव एकता, आत्म गौरव, कुछ कर गुजरने की अतृप्त आकांक्षा के साथ अनुशासनबद्ध जीवन प्रणाली और आसमान को छू लेने का माद्दा प्रमुख स्थान रखता है। कोरी किताबी जानकारियाँ मनुष्य को चलाता–फिरता शब्दकोष भले ही बना दें परन्तु इसे कुछ होने वाला नहीं है। जानकारी के साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरुरी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति उसका एक महान कर्तव्य है। इसी महान कर्तव्य को समझाने में राष्ट्रीय छात्र सेना जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अटल विश्वास था कि जब तक युवा वर्ग को यह एहसास नहीं कराया जायेगा कि वह जिस समाज की देन है, उस समाज के प्रति उसका भी कुछ कर्तव्य है, तब तक शिक्षा निरर्थक है। संभवतः बापू के इस कथन की गरिमा को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना को विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रम एवं क्रियाकलापों में स्थान दिया गया है। इन्हें हम शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनुपूरक कह सकते हैं।

Key Words: राष्ट्रीय छात्र सेना, सामान्य विद्यार्थियों, अनुशासन स्तर

भूमिका

किसी भी राष्ट्र के युवा देश की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति और धरोहर होते हैं। वे राष्ट्र के भावी निर्माता, नेतृत्वकर्ता, संचालनकर्ता और विकास के प्रतीक होते हैं। उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण इन युवाओं का समुचित विकास और उन्नयन हो यह परमावश्यक है। युवा ऊर्जा का अपव्यय धन, संपत्ति के अपव्यय से भी अधिक हानिकारक है क्योंकि धन के अपव्यय का प्रभाव एक व्यक्ति या अधिक से अधिक एक परिवार पर ही पड़ता है किन्तु युवा शक्ति को व्यर्थ जाने देने का तात्पर्य है समाज, राष्ट्र को विनाश के गर्त में ढकेलना। प्रश्न यह है कि इन युवाओं को किस तरह सम्हाला जाये, उनका उचित विकास किया जाये, उनमें निहित प्राकृतिक गुणों एवं ऊर्जा को सही दिशा दिया जाये जिससे उनकी ऊर्जा विनाशकारी और विध्वंसकारी नहीं बने। युवा शक्ति सुप्त ज्वालामुखी की भाँति होती है। ज्वालामुखी के फटने पर उसके गर्म लावा के प्रवाह में आने वाली हर वस्तु जलकर राख हो जाती है। उसी प्रकार युवा शक्ति का दुरुपयोग विनाश का सबल कारण बनता है। युवाओं का विकास सही हो, यही जरुरी नहीं है, उसका संतुलित होना भी महत्वपूर्ण है।

देश की स्वतंत्रता के पूर्वकाल से लेकर वर्तमान में प्रचलित हमारे यहाँ की शिक्षा नीति और प्रणाली को बारीकी से देखा जाये तो कमोवेश एक ही बात दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा का उद्देश्य शासन चलाने में भागीदारिता निभाने वाले अधिकारियों और बाबुओं की फौज खड़ी करना था तो वर्तमान का लक्ष्य आजीविका चलाने के लिए नौकरी की तलाश में भटकते युवा–युवतियों की भीड़ बनाना हो गया है। मनुष्य के वास्तविक, व्यावहारिक जीवन से शिक्षा का कोई नाता ही नहीं दिखाई देता।

संभवतः इसका एक बड़ा कारण यह है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में उन जीवन मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया है जो आवश्यक है। डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलने वाला युवा वर्ग अपने आपको इस चौराहे पर असहाय, निरुपाय, क्लांत खड़ा दिखाई देता है जहाँ कोई संकेतक ही नहीं है।

मानवीय जीवन मूल्यों में देशभक्ति, मानव एकता, आत्म–गौरव, कुछ कर गुजरने की अतृप्त आकांक्षा के साथ अनुशासनबद्ध जीवन प्रणाली और आसमान को छू लेने का माद्दा प्रमुख स्थान रखता है। कोरी किताबी जानकारियाँ मनुष्य को चलाता–फिरता शब्दकोश भले ही बना दें परन्तु इसे कुछ होने वाला नहीं है। जानकारी के साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरुरी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति उसका एक महान कर्तव्य है।

इसी महान कर्तव्य को समझाने में राष्ट्रीय छात्र सेना जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अटल विश्वास था कि जब तक युवा वर्ग को यह एहसास नहीं कराया जायेगा कि वह जिस समाज की देन है, उस समाज के प्रति उसका भी कुछ कर्तव्य है, तब तक शिक्षा निरर्थक है। संभवतः बापू के इस कथन की गरिमा को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना को विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रम एवं क्रियाकलापों में स्थान दिया गया है। इन्हें हम शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनुपूरक कह सकते हैं।

छात्र सेना संगठन, विकास, उद्देश्य

''यदि आपकी योजना एक वर्षीय हे तो अनाज का उत्पादन करें, दस वर्ष की योजना है तो वृक्षारोपण करें परन्तु यदि योजना संपूर्ण जीवन काल की है तो लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करें।''

— हो ची मिन्ह

किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि उसके लोगों में साहस, धैर्य, परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम जैसे मानवीय गुणों एवं उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है। ये सभी मानवीय गुण किसी भी व्यक्ति में स्वतः ही या यकायक पैदा नहीं होते वरन् इसके लिए व्यक्ति को उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण देना होता है। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

प्राचीनकाल में न ही आज जैसी शिक्षा व्यवस्था थी और न ही देश की अधिकांश जनता साधन सम्पन्न थी। उस समय समाज के कतिपय साधन सम्पन्न एवं सक्षम लोग ही अपने बच्चों को विद्या अध्ययन हेतु आश्रमों एवं गुरुकुलों में भेजते थे जहाँ गुरुओं द्वारा उन्हें केवल शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था बल्कि उनमें साहस के साथ आपत्तियों और कठिनाइयों का मुकाबला करने तथा शस्त्र विद्या का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। यद्यपि वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल चुकी है लेकिन मानवीय गुणों का महत्ता आज भी यथावत् बनी हुई है। राष्ट्रीय छात्र सेना प्रशिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में इन गुणों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राष्ट्रीय छात्र सेना का जन्म और विकास

राष्ट्रीय छात्र सेना के जन्म का बीजोरोपण ब्रिटिश शासन काल में उस समय हुआ जब तत्कालीन सरकार ने सशस्त्र बलों में सैनिकों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इंडियन डिफेन्स एक्ट 1917 (भारतीय सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत विश्वविद्यालय सेना (यूनिवर्सिटी कोर) की

स्थापना की। 1920 में इंडियन टेरीटेरी एक्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटी कोर के स्थान पर विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर (यू.टी.सी.) की स्थापना की गई।

सन् 1942 में विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर के नाम को परिवर्तित करते हुए इसे विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर (यू.ओ.टी.सी.) नाम दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ग के लिए एक मजबूत संगठन बनाने की आव यकता को ध्यान में रखकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु की प्रेरणा से सन् 1946 में पं. हृदयनाथ कुंजरु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय छात्र सेना के गठन की शिक्षा में इस समिति की सिफारिशों को मील का पत्थर कहा जा सकता है। कुंजरु समिति की अनुशंसाओं को मान्य करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय छात्र सेना अधिनियम सन् 1948 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार वल्देव सिंह ने विधेयक को संसद की स्वीकृति दिलाने में अथक परिश्रम किया।

16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय छात्र सेना विधिवत् अस्तित्व में आया। यद्यपि 16 जुलाई को राष्ट्रीय छात्र सेना का जन्म दिन माना जाता है किन्तु सारे देश में एन.सी.सी. दिवस नवम्बर माह के अंतिम रविवार को ही मनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र सेना की जो प्रथम इकाई गठित की गई थी उस इकाई ने 1949 में नवम्बर माह के अंतिम रविवार को हमारे प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में अपना पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस दिन की स्मृति को ताज़ा बनाये रखने के लिए नवम्बर माह के अंतिम रविवार को 'स्थापना दिवस' मनाया जाता है।

राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना के मूल में तत्कालीन राष्ट्र नायकों द्वारा एक ऐसे संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया जाना है तो गतिशील भारत की संकल्पना को साकार रुप प्रदान कर सके और युवाओं को बेहतर नागरिक के रुप में तैयार कर सके। राष्ट्रीय छात्र सेना युवा भाक्ति को सार्थक दिशा देने के लिए एक ऐसे प्रयास का नाम है जो उनमें उच्चतम् चारित्रिक मूल्यों के विकास के साथ साहस, सहकारिता, निःस्वार्थ सेवा, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण अनुशासन व एकता की भावना को विकसित तो करता ही है जबकि उन्हें जीवन के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकने की योग्यता भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय छात्र सेना को 'देश की सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति' (सेकेन्ड लाईन ऑफ डिफेन्स) के नाम से संबोधित किया जाना निरर्थक नहीं है। किसी भी संगठन या संस्था की सफलता अथवा विफलता

का एक मापदण्ड यह होता है कि उस संगठन की स्थापना जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, संगठन ने उन्हें पूरा किया अथवा नहीं? संगठन से सामान्य जनों को जो उम्मीदें थी, उनकी पूर्ति हुई या नहीं ?

राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना के मूल में देश के सशस्त्र बलों के लिए युवाओं का एक सुरक्षित संगठन बनाना था जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन युवाओं को लिया जा सके। इसे युवाओं का बफर स्टॉक कहा गया। देश की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रुप में राष्ट्रीय आपदाओं एवं आपात स्थिति के दौरान इस संगठन ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय छात्र सेना के उद्देश्यों पर सर्वप्रथम 1972 में पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.सी.एस. महाजनी की समिति ने विचार किया। इसके पश्चात् 1988 में लेफ्टीनेंट जनरल एम.ए. थापा की कमेटी ने तथा 1998 में विकास समिति (डेवलपमेंट कमेटी) ने विचार किया। वर्तमान में राष्ट्रीय छात्र सेना के उद्देश्यों का स्वरुप इसी समिति के द्वारा निर्धारित किया गया है।

सन् 1948 में राष्ट्रीय छात्र सेना के निर्माताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्य

1. देश के युवाओं में चारित्रिक विकास, सहयोगी भावना सेवा का आदर्श तथा नेतृत्व की क्षमता का विकास करना।
2. युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर देश की सुरक्षा के प्रति रुचि जागृत करना।
3. राष्ट्रीय आपदाओं एवं कठिनाइयों के समय देश के सुरक्षा बलों के त्वरित विकास एवं विस्तार हेतु युवकों का एक सुरक्षित संगठन बनाना।

राष्ट्रीय छात्र सेना के वर्तमान उद्देश्य

1. देश के नवयुवकों में चारित्रिक विकास, सहयोग का भाव, अनुशासन, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक गुणों तथा निःस्वार्थ सेवा की भावना एवं विकास करना।
2. राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की भावना के विकास हेतु संगठित, प्रशिक्षित तथा प्रेरणादायी युवकों के रुप में मानवीय संसाधन स्त्रोत का निर्माण करना।
3. भारतीय सशस्त्र बल में भर्ती होकर उसे अपने जीवन का कैरियर बनाने के लिए युवकों को अभिप्रेरित करने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।

आदर्श सिद्धांत

राष्ट्र छात्र सेना के आदर्श सिद्धांत को 23 दिसम्बर 1957 को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार 'एकता' और 'अनुशासन' छात्र सेना का मूल मंत्र है।

राष्ट्रीय छात्र सेना – आचार संहिता

1. सत्यनिष्ठा, ईमानदार और आज्ञाकारी बनें।
2. संवेदनशील, शिष्ट और दयालु हों।
3. अपने प्रशिक्षकों, माता–पिता तथा सह कैडेटों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें।
4. हर समय अनुशासित और समय के पाबंद रहें।
5. व्यक्तिगत व्यवहार में स्पष्ट और पारदर्शी बनें।
6. मानसिक और शारीरिक रुप से हमेशा स्वस्थ रहें।
7. कमजोरों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहें।
8. अपने संगठन के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहें।
9. राष्ट्रीय एकता के संदेश का प्रचार करें।
10. अपने जीवन में सामाजिक उद्देश्यों को अपनायें।

अनुशासन के आधार

1. आदेशों का परिपालन मुस्कुराकर करें।
2. हमेशा समय के पाबंद रहें।
3. बिना किसी विवाद के कठिन परिश्रम करें।
4. अपनी गलतियों का बचाव नहीं करें तथा असत्य नहीं बोलें।

गतिविधियाँ :–

राष्ट्रीय छात्र सेना की गतिविधियों को मुख्यतः 4 वर्गों में रखा या बाँटा जा सकता है –

1. संस्थागत प्रशिक्षण।
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं समाज
3. युवा आदान–प्रदान का कार्यक्रम
4. क्रीड़ा एवं साहसिक अभियान।

राष्ट्रीय छात्र सेना की गतिविधियों में हाल के वर्षों में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। स्थापना काल में इसकी गतिविधि व्यायाम, कवायद और हथियारों के संचालन के प्रशिक्षण तक ही सीमिति थी परन्तु अब समय की आवश्यकताओं के अनुरुप प्रतिवर्ष इसकी गतिविधि विस्तृत होती जा रही है।

समस्या कथन

''राष्ट्रीय छात्र सेना एवं सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन ।''

समस्या के उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रस्तुत शोध कार्य में समस्या के अध्ययन हेतु कुछ उद्देश्य निर्धारित हैं –

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत राष्ट्रीय छात्र सेना के सहभागी विद्यार्थियों के अनुशासनात्मक गुणों का अध्ययन करना।
2. उन सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर का अध्ययन करना जो इस संगठन के सदस्य नहीं है।
3. दोनों प्रकार के विद्यार्थियों में प्रशिक्षण की भिन्नता के आधार पर गुणात्मक अंतर का अध्ययन और विश्लेशण करना।
4. प्रशिक्षण के आधार पर छात्रों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में भिन्नता का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना

राष्ट्रीय छात्र सेना में प्रशिक्षणरत एवं सामान्य विद्यार्थियों में अनुशासन स्तर पर सार्थक अंतर पाया जाएगा।

कार्य प्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया जायेगा।

न्यादर्श

अध्ययन के लिए रायपुर शहर में स्थित निम्नलिखित उच्चतर माध्यमिक स्तर के चार विद्यालयों के ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा के छात्र–छात्राओं का चयन किया गया –

1) शासकीय जे.आर. दानी उ.मा. भााला, बूढ़ापारा, रायपुर,

2) भाासकीय मायाराम सुरजन कन्या भाालाा, चौबे कॉलोनी, रायपुर

3) भाासकीय जयनारायण पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक भाालाा, रायपुर

4) शासकीय हिन्दू हाई स्कूल बैरनबाजार, रायपुर

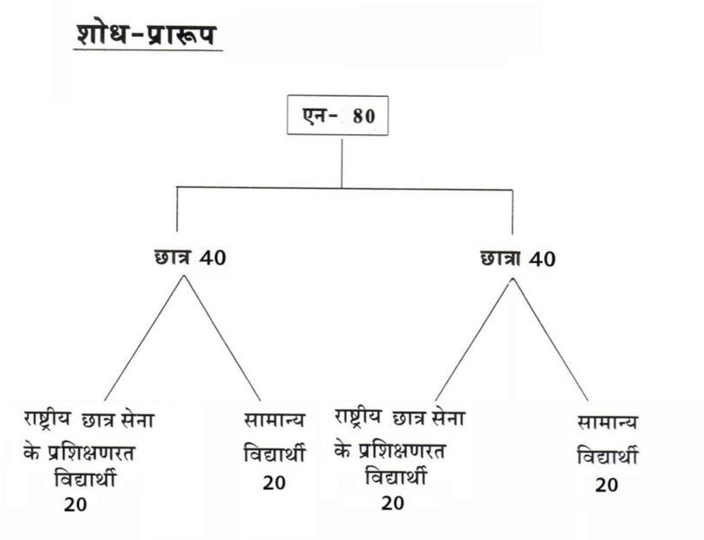

चर

स्वतंत्र चर — 1) लिंग – अ) छात्र ब) छात्राएँ

2) अ) राष्ट्रीय छात्र सेना में प्रशिक्षणरत विद्यार्थी
ब) सामान्य विद्यार्थी

परतंत्र चर — अनुशासन स्तर

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में स्वतंत्र चर के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्र सेना प्रशिक्षणरत छात्र–छात्रायें सहभागीदार एवं असहभागी सामान्य विद्यार्थी हैं जबकि परतंत्र चर अनुशासन स्तर है। प्रस्तुत शोध में स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हुआ है।

सांख्यकीय अभिप्रयोग

प्रस्तुत लघु भाोध प्रबंध में निम्नलिखित सांख्यकीय सूत्रों का उपयोग किया गया है।

1. M = AM $\frac{\sum \mathrm{fdx1}}{\mathrm{N}}$

यहाँ

M = मध्यमान

AM = कल्पित मध्यमान

f = आवृत्ति

d = कल्पित मध्यमान से विचलन

N = कुल आवृत्ति

i = वर्गान्तराल

2. SD = $\frac{\sum \mathrm{fd2}}{\mathrm{N}} - \frac{\sum \mathrm{fd2}}{\mathrm{N}}$

यहाँ

SD = मानक विचलन

i = वर्ग अंतराल

N = कुल आवृत्ति

d = विचलन

f = आवृत्ति

3. σd = $\sqrt{\frac{\sigma_1 2}{\mathrm{N}_1} + \frac{\sigma_1 2}{\mathrm{N}_1}}$

σd = दो प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर की प्रामाणिक पुष्टि

σ1 = प्रथम प्रतिदर्श का मानक विचलन

σ2 = द्वितीय प्रतिदर्श का मानक विचलन

N1 = प्रथम समूह में इकाईयों की संख्या

N2 = द्वितीय समूह में इकाईयों की संख्या

4. $CR = \frac{M_1 - M_2}{d}$

CR = क्रांतिक अनुमान

$M1$ = प्रथम प्रतिदर्श का मध्यमान

$M2$ = द्वितीय प्रतिदर्श का मध्यमान

प्रक्रिया

एन.सी.सी. में प्रशिक्षणरत और सामान्य विद्यार्थियों में अनुशासन स्तर पर सार्थक अंतर पाया जायेगा।

इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए एन.सी.सी. में प्रशिक्षणरत और सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन के स्तर के गुणों के बीच मध्यमान, प्रामाणिक विचलन व क्रांतिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका – 1

विद्यार्थी	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रांतिक अनुपात	विवरण
राष्ट्रीय छात्र सेना के प्रशिक्षणरत विद्यार्थी	60	41.13%	5.23%	4.69	सार्थक
सामान्य विद्यार्थी	60	36.06%:	4.28%		

व्याख्या

उपरोक्त तालिका के अवलोकन के पश्चात् निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. राष्ट्रीय छात्र सेना के विद्यार्थियों का मध्यमान सबसे अधिक 41.13 और सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान 36.06 है।
2. राष्ट्रीय छात्र सेना के विद्यार्थियों का प्रामाणिक विचलन 5.23 है और सामान्य विद्यार्थियों का प्रामाणिक विचलन 4.28 प्रतिशत है।
3. इनका क्रांतिक **अनुपात 4.69 है जो सार्थक है।**

एन.सी.सी. में प्रशिक्षणरत एवं सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर के गुणों का मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन

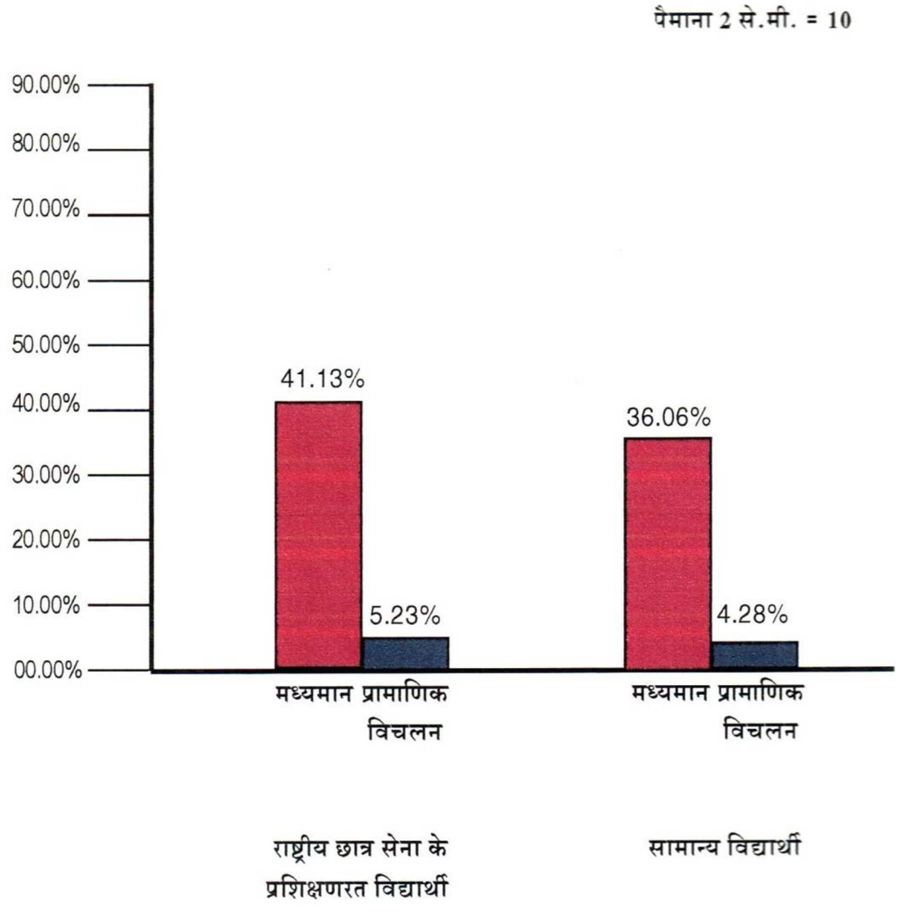

निष्कर्ष

1. राष्ट्रीय छात्र सेना के प्रशिक्षणरत और सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर में सार्थक अंतर पाया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि सामान्य छात्रों में अनुशासन के सही अर्थ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सामान्य छात्रों को समान गणवेश धारण करना, जबरन लादा गया अनुशासन प्रतीत हो सकता है पर राष्ट्रीय छात्र सेना का छात्र सैनिक अपने गणवेश में आन, बान और शान की अनुभूति कराता है। सामान्य छात्रों को ड्रील और शारीरिक व्यायाम करना भार भले ही प्रतीत हो पर छात्र सेना के सैनिक इसे जीवन क एक आवश्यक कार्य के रुप में लेते हैं। ड्रील और शारीरिक व्यायाम केवल शारीरिक सक्षमता प्रदान नहीं करता वह मानसिक विकास के द्वारों को भी खोलता है। यही कारण है कि सामान्य छात्र और राष्ट्रीय छात्र सेना के सैनिकों में मानसिक धरातल पर भी अंतर पाया जाता है।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रशिक्षणरत छात्रों एवं सामान्य विद्यार्थियों के अनुशासन स्तर में सार्थक अंतर पाया गया है जो इस तथ्य को इंगित करता है कि सेवा योजना को लेकर सामान्य छात्र–छात्राओं में भी भ्रम की स्थिति है। सेवा योजना का प्राथमिक उद्देश्य छात्र–छात्राओं को ग्रामीण अंचल की जनता से जोड़ना, उनके बीच रहकर उनकी जरुरतों और समस्याओं को जानने, समझने और उनके निराकरण करने की दिशा में पहल करना है।
3. राष्ट्रीय छात्र सेना विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राओं के लिए अनुपम कार्यक्रम है, यह एक सत्य है। इस संगठन ने छात्रों में एक नई चेतना, नई जागृति लाने का कार्य किया है। राष्ट्र सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। यह संदेश देकर इस संगठन ने युवा वर्ग की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का विनाश किया है। वस्तुतः एकता, अनुशासन और सामाजिक पुनर्निर्माण का मार्ग ही एकमात्र विकल्प है।
4. राष्ट्रीय छात्र सेना ने छात्र समुदाय की प्रतिभा को निखारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, मानवता की सेवा की उच्च भावना जगाकर इस संगठन ने युवकों को एक नया जीवन दर्शन दिया है। स्वयं के लिए तो सभी कुछ न कुछ करते हैं परन्तु जो दूसरों के लिए थोड़ा भी करता है। वह प्रशंसनीय है। छात्र समुदाय अब यह अनुभव करने लगा है कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य इनसे बहुत ऊँचा है।
5. राष्ट्रीय छात्र सेना के छात्रगण अपने कुशल प्रशिक्षकों के निर्देशन में राष्ट्र सेवा का आदर्श प्राप्त करते हैं । अतः आवश्यक है कि प्रशिक्षण भी निःस्वार्थ, अनुशासित और सेवा भाव के गुणों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए तभी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तुत शोध प्रबंध के

माध्यम से यह पाया गया कि इस संगठन ने युवा वर्ग में राष्ट्र के प्रति अप्रतिम गौरव की भावना पैदा की है।

'जिसे न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, निरा पशु और मृतक देह समान है।।

सुझाव

मानव के अंर्तनिहित गुणों में कुछ तो विरासत से प्राप्त होते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ अभिभावक एवं माता–पिता, शिक्षक समाज और संगति के परिणाम होते हैं। मनुष्य सब कुछ सीखकर नहीं आता। इस संसार में आने के पश्चात् उसे हर क्षण कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। सीखने की यही सतत् क्रिया शिक्षा है।

गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि यह संसार एक विशालकाय पुस्तक है। मनुष्य को यदि कुछ सीखना है, जानना है तो उसे इस पुस्तक को पढ़ना होगा परन्तु वह यह नहीं समझे कि यह पढ़ाई कुछ दिनों या वर्षों की है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाला अध्ययन है । अतः हर मनष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। अनुशासन का भाव शिशु में भी होता है परन्तु जैसे–जैसे वह बढ़ता जाता है । उसे बिना सिखाये, बताये अनुशासित करना कठिन होता है। राष्ट्रीय छात्र सेना ने युवक–युवतियों में इसी अनुशासन के गुण को सही दिशा देकर उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा में लगाने का कार्य किया है। इस संगठन की अब तक की उपलब्धियाँ गौरवशाली रही हैं परन्तु उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कतिपय सुझाव दिये जा रहे हैं।

1. परिवार के प्रशिक्षण के पश्चात् प्राथमिक स्तर की शिक्षा बच्चों के हृदय, मन, मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है, अतः राष्ट्र प्रेम, एकता, अनुशासन और भाईचारे को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रुप से भाामिल किया जाना चाहिए।
2. शैक्षणिक पाठ्यक्रम का निर्धारण ऐसा हो जो छात्रों को कक्षा की सीमा के भीतर ही बांधकर नहीं रख दे। खुले आकाश में, प्रकृति की गोद (आंचल) में मिलने वाली शिक्षा अधिक लाभकारी होती है। अतः छात्र सेना के छात्रों को वर्तमान से अधिक खुला वातावरण दिया जाना चाहिए।
3. प्रशिक्षण कार्य को और अधिक वैज्ञानिक, ग्रहण करने योग्य और विवेकयुक्त बनाया जाये। विद्यार्थी को एक मशीन नहीं मानकर जीवित प्राणी के रुप में देखा जाए।

4. राष्ट्रीय छात्र सेना के संगठनात्मक एवं प्रशासकीय आधार में आवश्यक सुधार किया जाये। प्रशिक्षकों, समन्वयक एवं एन.सी.सी. अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण में सावधानी बरती जाए।
5. शिविर अथवा कैम्प के समय होने वाली आर्थिक अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाए।
6. केन्द्र एवं राज्य सरकारें द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि में और वृद्धि की जाये। सकल राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत प्रशिक्षण, विभिन्न गतिविधियों एवं शिविर आयोजन हेतु निर्धारित किया जाए।
7. प्रशिक्षकों, अधिकारियों, समन्वयकों की मानदेय राशि में वृद्धि की जाए।
8. इस संगठन के शिविर एवं कैम्प आयोजन हेतु आवश्यक सभी सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में दी जावे।
9. शिविर एवं कैम्प का आयोजन स्थल प्रत्येक वर्ष बदला जाये जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इन संगठनों के कार्यों एवं गतिविधियों का ज्ञान हो।
10. समय–समय पर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाये जिसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।
11. भ्रमण, स्थल निरीक्षण, साहसिक अभियानों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्र बढ़ाया जाये।

भावी अध्ययन हेतु सुझाव

शोध छात्रा को यह जानकर और पढ़कर बेहद दुःख हुआ कि राष्ट्रीय छात्र सेना पर अब तक किसी भी लेखक ने प्रामाणिक ग्रंथ की रचना नहीं की। यह आश्चर्य का विषय है कि जिन संस्थानों ने राष्ट्रीय जीवन में इतना मूल्यवान योगदान दिया है उनके बारे में सामान्यजनों को कोई विशेष जानकारी नहीं है। यही कारण है कि माता–पिता एवं अभिभावकों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रीय छात्र सेना को लेकर भ्रम है। इसी भ्रम के कारण वे अपने बच्चों को राष्ट्रीय छात्र सेना में भर्ती करने से इंकार कर देते हैं। यदि वे भर्ती करा भी देते हैं तो कैम्प अथवा शिविर में बच्चें को विशेषकर लड़कियों को भेजने में आनाकानी करते हैं। ज़रुरत इस बात की है कि इस संगठन के बारे में प्रामाणिक जानकारी देते हुए ऐसी पुस्तक लिखी जाए जो भावी विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कर सकें।

लघु शोध छात्रा को भविष्य में और अधिक शोध कार्य होने पर प्रसन्नता ही होगी तभी इस शोध कार्य को सही सफलता मिलेगी ।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

1. अवस्थी रामकुमार, राजनीति शास्त्र के क्षितिज, भाग –2 (केवल आवश्यक अध्याय 1980) भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. कपिल, एच.के., सांख्यकीय के मूल तत्व (1992) आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर
3. कपिल, एच.के., अनुसंधान विधियाँ (1986) कचहरी घाट आगरा, हरप्रसाद भार्गव प्रकाशक
4. माथुर, एस.एस., शिक्षा मनोविज्ञान (1983) आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर
5. पाठक, पी.डी., शिक्षा मनोविज्ञान (1982) आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर
6. शर्मा, आर.ए., शिक्षा अनुसंधान (1995) मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन
7. सिंह, श्यामधर, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व (1995) इंदौर (म.प्र.), कमल प्रकाशन,
8. सुखिया, मेहरोत्रा एवं मेहरोत्रा, शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व (1984) आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर
9. वर्मा, एस.एल., राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि (1988) रायपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी

पत्र–पत्रिकाओं की सूची

1. दि एन.सी.सी. जनरल (अंग्रेज़ी) – 2002
2. दि एन.सी.सी. जनरल (अंग्रेज़ी) – 2003
3. दि एन.सी.सी. जनरल (अंग्रेज़ी) – 2004
4. दि एन.सी.सी. जनरल (अंग्रेज़ी) – 2005
5. दि एन.सी.सी. जनरल (अंग्रेज़ी) – 2006
6. दि कैडेट (अंग्रेजी हिन्दी) वाल्यूम नं. 51, 2001
7. दि कैडेट (अंग्रेजी हिन्दी) वाल्यूम नं. 56, 2007
8. यूथ इन एक्शन (अंग्रेज़ी) 2003
9. ग्रूमिंग टुमारोज लीडर्स (अंग्रेज़ी) ले. कर्नल आर.एस. क्षत्री रामकुमार गुप्ता, भाग्योदय प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, मथुरा